लोक-सभा

शनिवार,
२० अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५५

(२५ जूलाई से २० अगस्त, १९५५)

दशम सत्र, १९५५

(खण्ड ४ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

842 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से १५, १७ से २२, २४, २५, २७, २९ से ३३, ३६ और ३७	१–४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १६, २३, २६, २८, ३४, ३५ और ३८ से ५२ .	४५–४८
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १४ .	१८–६६
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ५५, ५६, ५८, ७३, ५९ से ६८, ७०, ७२ से ७५, ७८ और ८० . .	६७–१११
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४, ५७, ६९, ७१, ७६, ७७, ७९ और ८१ से११७	१११–१३५
अतारांकित प्रश्न संख्या १५ से ४२, ४४ और ४५	१३५–१५२
अंक ३—बुधवार, २७ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८ से १२५, १२७ से १२९, १३१ से १३४, १३६ से १३८, १४१, १४२, १४४ से १५५ .	१५३–१९७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१९७-२०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३५, १३९, १४०, १४३, १५६ से १६३	२०३–२१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ७३	२१०–२२४
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६४ से १६९, २०२, १७० से १७२, १७४ से १७७, १७९ से १८१, १८३ से १८५, १८७, १८८ और १९० से १९२	२२५–२६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७८, १८२, १८६, १८९, १९३ से २०१, २०३ से २१६	२६६–२८२
अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ से ९१ . . .	२८२-२९२

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २२१, २२३ से २२७, २२९ से २४०, २४२, २४५, २४८ से २५४ . २९३ ३४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२२, २२८, २४१, २४३, २४४, २४६, २४७, २५५ से २७३ . . ३४४–३५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२५ ३५८-३८२

अंक ६—सोमवार, १ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७७, २८० से २८२, २८५ से २९२, २९५ से २९९, ३०३ से ३०५, ३०७, ३०९, ३११, ३१२, ३१४, २७६, २८३, २९३, ३०६, ३१३ और ३०८ . ३८३-४२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७८, २८४, २९४, ३००, ३०१ और ३१० . ४२१–४२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६ से १४७ . . ४२४–४३६

अंक ७—मंगलवार, २ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३३२, ३३४, ३३५, ३३७, ३३८, ३४०, ३४२, ३४४ से ३४९, ३५१, ३५२ और ३५४ . ४३७ ४८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२१, ३३३, ३३६, ३३९, ३४१, ३४८, ३५३, ३५५ और ३५६ . . ४८१ ४८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६७ . ४८५-४८९

अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३५९, ३६४ से ३६८, ३७० से ३७५, ३७७, ३७९ से ३८४, ३८६ से ३९२, ३९५, ३९८ से ४०० और ४०२ . ४८९ ५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . ५४५ ५४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६०, ३६१, ३६३, ३६९, ३७६, ३७८, ३८५, ३९३, ३९४, ३९६, ३९७, ४०३ से ४११ और ४१३ से ४१८ . ५४९ ५६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १९८ ५६२ ५८४

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१९, ४२०, ४२४ से ४२९, ४३१, ४३२, ४३४ से ४३७, ४४०, ४४३, ४४५, ४४७, ४५० से ४५६, ४५९ से ४६१ और ४२३ ५८५-६२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२१, ४३०, ४३३, ४३८, ४३९, ४४१, ४४२ ४४४ ४४९ और ४५७ . . ६२५ ६३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९ से २१४ ६३१-६४२

अंक १०—शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६३, ४६२, ४६४ से ४६७, ४९३, ४६९, ४६८, ४७१ से ४७५, ४७७ से ४८१, ४८४ से ४८६ और ४८८ से ४९२ ६४३ ६८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७०, ४७६, ४८३, ४८७, ४९४ से ४९६, ४९८ और ५०० से ५०२ . . ६८९ ६९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२८ ६९५ ७०४

अंक ११—सोमवार, ८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ से ५०६, ५०८ से ५१४, ५१६, ५१९ से ५२२, ५२६ से ५३१, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२, ५४४ से ५४६ और ५४८ से ५५० . ७०५ ७४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०३, ५०७, ५१५, ५१७, ५१८, ५२४, ५२५,५३२ से ५३५, ५३९, ५४३, ५४७ और ५५१ से ५६० ७५०-७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २५७ . . ७६३-७८०

अंक १२—मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५६४ से ५६७, ५६९, ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८, ५८१, ५८२, ५८४ से ५९०, ५९७, ६००, ५६८,५९२ ५६३, ५९१ और ५९३ . ७८१—८२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . ८२४—८२६

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७२, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९८ और ५९९	८२६–८३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से २८३	८३२–८४८
अंक १३—बुधवार, १० अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०१ से ६०३, ६०५ से ६१५, ६१८, ६२० से ६२२, ६२६, ६२७, ६३१ से ६३३, ६३५ से ६३७, ६३९ से ६४२ और ६४४ . . .	८४९–८९२
प्रश्नों के लिखित उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६१६, ६१७, ६१९, ६२३ से ६२५, ६२९, ६३०, ६३४, ६३८, ६४३, ६४५ से ६५७, ६५९ और ६६०.	८९२–९०६
अतारांकित प्रश्न संख्या २८४ से ३०३ .	९०६–९१८
अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ से ६६७, ६६९, ६७२ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८८ और ६९० से ६९३ . . .	९१९ ९६०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६८, ६७०, ६७१, ६७९, ६८१, ६८९ और ६९४ से ७०२	९६१–९६९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५ से ३०८, ३१० से ३१२ और ३१४ से ३४३ .	९६९–९९४
अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७०४, ७१०, ७०५ से ७०७, ७११, ७१३, ७१५ से ७१७, ७१९, ७२२, ७२४, ७२५, ७३०, ७३१, ७३४, ७३५, ७३७ से ७३९, ७०९, ७२९ और ७३२	९९५–१०३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . .	१०३२ १०३५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७१२, ७१४, ७१७, ७१८, ७२०, ७२१, ७२३, ७२६ से ७२८, ७३३, ७३६ ७४०, २७९ और ३०२ .	१०३५–१०४३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ३५६ .	१०४३–१०५०

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४५, ७४६, ७४९, ७५३ से ७५५, ७५७ से ७५९, ७६२, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२ से ७७४, ७७६ से ७८०, ७८९, ७८२, ७८४ से ७८६, ७८८, ३१८, ४९७ और ७६४. १०५१-१०९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . १०९७–११००

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ से ७४४, ७४७, ७४८, ७५० से ७५२, ७५६, ७६०, ७६१, ७६३, ७६५, ७६६, ७६९, ७७१, ७७५, ७८१, ७८३, ७८७ और ३४३ . . . ११००–१११३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३८१ १११३–११२८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ७९२, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०९, ८११, ८१२, ८१४ से ८१६, ८१८, ८२२, ८२३ और ८२५ से ८२९ ११२९–११७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ से ९९५, ७९८, ८१०, ८१३, ८१७, ८१९ से ८२१, ८२४, ८३० से ८५१, ३६२ और ४०१ ११७३–११९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८२ से ४३५ ११९३–१२२८

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५३, ८५४, ८५७ से ८६५, ८६९, ८७०, ८७२, ८७३, ८७६, ८७७, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४, ८८८, ८५५, ८७१, ८८०, ८८७ और ८७५ . १२२९-१२७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५२, ८५६, ८६६ से ८६८, ८७४, ८७८, ८८३, ८८५ और ८८६ . . १२७६–१२८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३६ से ४५१ . १२८२–१२९२

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८९, ८९३, ८९८, ९००, ९०२ से ९०४, ९०६ से ९१०, ९१२, ९१३, ९१६, ९१७, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६ से ९२८, ९३०, ४८२, ८९९, ८९४, ८९७, ८९५, ९०५ और ९१४ . . १२९३–१३३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ८९२, ८९६, ९०१, ९११, ९१८, ९१९, ९२१, ९२२, ९२५ और ९२९ १३३६–१३४५

अतारांकित प्रश्न सख्या ४५२ से ४७२ १३४५ १३५८

अंक २०——शनिवार, २० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३३ से ९३५, ९४०, ९४१, ९४३ से ९४५, ९४७, ९४८, ९५० से ९५३, ९५७, ९५९ से ९६२, ९६८, ९७०, ९७१, ९७४, ९७५, ९३१, ९३८, ९३६, ९४९, ९५४, ९६५ और ९७२ . १३५९ -१४०३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ १४०३–१४०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३२, ९३७, ९३९, ९४२, ९४६, ९५५, ९५८, ९६३, ९६४, ९६६, ९६७, ९६९ और ९७३ . . . . १४०८–१४१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७३ से ५१३ . . . १४१४–१४३८

समेकित विषय सूची . . . . . .

लोक-सभा

शनिवार, २० अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलवे की आय

*९३३. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक श्रेणी के यात्रियों से अप्रैल मई और जून १९५५ में उस से पहले के तीन महीनों की तुलना में कितनी आय हुई; और

(ख) क्या इन दोनों अवधियों की आमदनी का अन्तर भाड़े की वर्द्धमान दरों के अथवा किसी अन्य कारण से है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११]**

(ख) आमदनी का अन्तर भाड़े की वर्द्धमान दरों तथा अतिरिक्त यातायात के कारण है ।

श्री डाभी : विवरण से ज्ञात होता है कि तीसरे दर्जे के अलावा अन्य सब दर्जों की आमदनी कम हो गई है । तीसरे दर्जे में ३ करोड़ ७३ लाख रुपये की वृद्धि हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि केवल तीसरे दर्जे की

आयदनी में वृद्धि के तथा अन्य दर्जों की आमदनी में गिरावट के क्या कारण हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : संभवतः जनता समाजवादी आधार का अनुकरण कर रही है । ऊंचे दर्जों में यात्रा करने वालों ने तीसरे दर्जे में यात्रा करना आरम्भ कर दिया है ।

श्री डाभी : क्या मुझे प्रत्येक महाखंड के आंकड़े मिल सकते हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : आंकड़े सभा-पटल पर रखे जा सकते हैं । वे बहुत लम्बे-चौड़े हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां; उन्हें सभा-पटल पर रखा जा सकता है ।

श्री डाभी : क्या मैं केवल ५० मील तक के तीसरे दर्जे के यात्रियों के तुलनात्मक आंकड़े प्राप्त कर सकता हूं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : इसका मेरे पास एक लम्बा विवरण है । मैं इसकी एक प्रति माननीय सदस्य के पास बाद में भेज सकता हूं ।

मीन-क्षेत्र के लिये आर्थिक सहायता

*९३४. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीन-क्षेत्रों के विकास के लिये राज्यों को कोई आर्थिक सहायता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो १९५४–५५ में, राज्यवार, कितनी रकम दी गई ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). विवरण लोक-सभा-पटल

पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १२]**

श्री इब्राहीम : मैं जानना चाहता हूं कि भारत में मछली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : राज्यों को दी गई आर्थिक सहायता के प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । यहां मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं जानना चाहता हूं कि मद्रास को कितनी रक़म और किन योजनाओं के लिये दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : १९५४–५५ में मद्रास को १.९९ लाख रुपये दिये गये हैं । मुझे खेद है कि मेरे पास राज्यों की योजनाओं का विस्तृत वर्णन नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश को सब से अधिक आर्थिक सहायता दी गई है । मैं जानना चाहता हूं कि समुद्रीय या तटवर्ती क्षेत्रों की अपेक्षा क्या उत्तर प्रदेश के व्यक्ति अधिक मत्स्यप्रिय हो गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : माननीय सदस्य को निजी धारणायें बनाने का अधिकार है ।

श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

*१३५. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई १९५५ में बम्बई में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में किन किन बातों के बारे में विचार किया गया और क्या निश्चय किया गया ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : श्रम मंत्रियों का सम्मेलन बम्बई में मई १९५५ में नहीं हुआ था । शायद माननीय सदस्य भारतीय श्रम सम्मेलन के १४वें अधिवेशन के सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं जो मई १९५५ में बम्बई में हुआ था । इस सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(१) न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ यानी मिनिमम वेजिज़ एक्ट का संशोधन ।

(२) उन सभी उद्योगों में जहां दस हज़ार कामगर काम करते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ यानी एम्पलाईज़ प्राविडेंट फंड एक्ट का विस्तार ।

(३) कृषि और बागान को छोड़कर अन्य सभी व्यवसायों में, रोजगार के लिये प्रवेश करने की कम-से-कम उम्र १४ साल हो, काम करने के घंटे, विश्राम का समय, साप्ताहिक छुट्टी और बच्चों के लिये रात में काम करने की मनाई के विषय में कामगर सम्बन्धी सभी कानूनों में जितनी भी व्यवस्थायें हैं, उनमें समानता हो ।

(४) श्रम कार्यालय (लेबर ब्यूरो) द्वारा प्रकाशित "कामगरों के निर्वाह व्यय सूचक अंक" यानी "वर्किंग क्लास कास्ट आफ़ लिविंग इन्डेक्स नम्बर्ज़" का नाम "कामगरों के लिये उपभोग मूल्य सूचक अंक" यानी "कन्ज़ूमर प्राइस इन्डेक्स नम्बर्ज़" रखा जाय ।

(५) व्यावसायिक बीमारियों यानी आकुपेशनल डिज़ीजिज़ के लिये, कामगरों को प्रतिकर के सम्बन्ध में कन्वेन्शन संख्या ४२ और कृषि में न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम वेजिज़ निश्चित करने की व्यवस्था के बारे में, प्रासंगिक यानी रेलीवेन्ट अधिनियमों में उचित संशो-

धन किये जाने के बाद, कन्वेशन ९९ का रैटिफिकेशन ।

श्री भागवत झा आज़ाद : माननीय अध्यक्ष जी, पहले मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब कभी किसी प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार का लम्बा विवरण दिया जाय, तो उसकी प्रतिलिपि हम को पहले से दे दी जाय, ताकि हम को पूरक प्रश्न करने में सुविधा हो । इतने लम्बे विवरण को देखते हुए पूरक प्रश्न अच्छी तरह नहीं पूछे जा सकते हैं । फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि सम्मेलन ने ये जो सिफ़ारिशें कीं, इन में से किस पर अब तक सरकार ने अमल कर लिया है ?

श्री आबिद अली : इस सवाल का जवाब तो वहां लगा दिया गया था । माननीय सदस्य ने देखा होगा । जहां तक अमल का सम्बन्ध है, मैं ने अभी अर्ज़ किया कि मई में यह कांफ्रेन्स हुई थी और अभी तो हम अगस्त में हैं । उसकी सिफ़ारिशों को अमल में लाने के पहले काफ़ी काम करना है । वह हो रहा है और उम्मीद है कि और भी काम जल्दी होगा ।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं यह बता देना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, कि कहा गया है कि इसकी प्रतिलिपि लगा दी गई है, लेकिन वह नहीं लगाई गई है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार । हिन्दी भाषी सदस्य स्वयं इस हिन्दी को नहीं समझ पाये हैं, अतः हमें अंग्रेज़ी अनुवाद दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति रखिये । माननीय मंत्री ने कौन से पत्र रखे हैं ?

श्री आबिद अली : प्रक्रियानुसार हमें दिये गये उत्तरों की प्रतियां लोक-सभा सचिवालय में भेजनी पड़ती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थिति को स्पष्ट किये देता हूं । उत्तरों की कुछ प्रतियां लोक-सभा सचिवालय में भेजी जाती हैं किन्तु सूचना-पटल पर जो प्रतियां रखी जाती हैं वे उन विवरणों की होती हैं जो माननीय मंत्री सभा-पटल पर रखना चाहते हैं किन्तु उत्तर की प्रतियां सूचना-पटल पर नहीं रखी जातीं । उत्तर यहां पर पढ़े जाते हैं । माननीय सदस्य ने यह कहा है कि उत्तर लम्बा था । माननीय सदस्यों को चाहिये कि यदि मुख्य बातें ही यहां पढ़ी जायें तो वे उसे पसन्द करें । इस विषय में तो यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तर बहुत लम्बा था ।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं तो यह कहता हूं कि यहां की प्रथा के अनुसार विवरणों की प्रतियां सूचना कार्यालय में रखी जाती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं ने भी कहा है । आप ने शायद सुना नहीं ।

श्रीमती कमलेंदु मति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि इस कान्फ्रेन्स में यह विचार-विनिमय भी हुआ था कि काम करने वालों को कितने घटे काम करना चाहिये और क्या बेकारी की समस्या को हल करने के बारे में भी बातें हुई थीं या नहीं ?

श्री आबिद अली : सवाल का आखिरी हिस्सा मैंने नहीं सुना है ।

अध्यक्ष महोदय : बेकारी को हल करने के बारे में कुछ बातें हुई थीं या नहीं ?

श्री आबिद अली : जो भाषण हुए थे, उनमें बेकारी का ज़िक्र भी किया गया था ।

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए--

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ! श्री चेट्टियार कुछ प्रश्न करना चाहते थे ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं तो यह कह रहा था कि माननीय मंत्री का उत्तर हिन्दी भाषा-भाषी भी नहीं समझ सके हैं, अतः अंग्रेज़ी में भी उत्तर पढ़ा जाय

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत देर हो चुकी है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रालय द्वारा बनाई गई इस योजना पर भी सम्मेलन में चर्चा की गई थी कि इस उद्योग में मज़दूर भी भाग लें और यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी ?

श्री आबिद अली : कार्यवाही का सारांश शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान औद्योगिक विवाद अधिनियम के स्थान पर एक बृहत् औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक प्रस्तुत करने का निश्चय अभी तक क्यों नहीं किया गया है ?

श्री आबिद अली : हम एक संशोधन विधेयक शीघ्र ही प्रस्तुत करने को हैं जिससे माननीय सदस्यों को सब जानकारी मिल जायगी ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कभी बृहत् सामाजिक प्रतिभूति योजना पर भी चर्चा की गई थी और यदि हां, तो क्या वह योजना आयोग अथवा श्रम मंत्रालय के पास विचाराधीन है ?

श्री आबिद अली : कुछ प्रस्ताव श्रम मंत्रालय तथा योजना आयोग के पास विचाराधीन हैं ।

बटन दबा कर टिकट प्राप्त करने की मशीन

***९४०. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ते में हाल ही में लगाई गई बिजली से चलने वाली बटन दबाकर टिकिट छापने और प्रस्तुत करने की मशीन का मूल्य कितना है; और

(ख) जिस देश से वह खरीदी गई है, उसका नाम क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ९८२१ रुपये ।

(ख) वह मशीन अभी खरीदी नहीं गई है । वह इंगलैण्ड में बनी है और केवल परीक्षा के लिये जून १९५५ में कलकत्ते में चलाई गई थी ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि वह कितने दिन चलाई गई और क्या वह अब भी चलाई जाती है ?

श्री शाहनवाज़ खां : वह २५ दिन तक चलाई गई ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि एक घंटे में अधिक-से-अधिक कितने टिकट निकाले गये ।

श्री शाहनवाज़ खां : इस समय तो ७०० टिकट प्रति घंटे का औसत है किन्तु उससे १,००० टिकट प्रति घंटा निकाले जा सकते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : उसका प्रयोग रेलवे के कौन से खण्ड में किया गया था और कितने स्टेशनों के लिये किया गया था ?

श्री शाहनवाज़ खां : वह हावड़ा खडगपुर खण्ड के काम में लाई गई थी ।

खान दुर्घटनायें

***३४१. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जनवरी से जून १९५५ तक कोयले की खानों तथा अन्य खानों में १९५३ और १९५४ के इसी समय के आंकड़ों की तुलना में दुर्घटनाओं से हुई मृत्युओं की संख्या कहीं अधिक बढ़ गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : जनवरी से जून १९५५ के बीच कोयले की खानों में हुई मृत्यु-संख्या में कुछ वृद्धि हुई है जो कि जनवरी १९५५ में अम्बलाबाद कोयला

खान की एक बड़ी दुर्घटना के कारण हुआ है। अन्य खानों में दुर्घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

श्री पी० सी० बोस : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि इस अम्बलाबाद कोयला खान दुर्घटना के कारण दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्युओं में वृद्धि हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि यदि इस दुर्घटना के आंकड़ों को निकाल दिया जाय तो १९५५ की स्थिति पिछले वर्षों की तुलना में कैसी रहेगी ?

श्री आबिद अली : मेरे पास विशेष रूप से अम्बलाबाद के आंकड़े नहीं। यदि माननीय सदस्य मुझे पूर्व सूचना दें तो मैं जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं जानना चाहता हूं कि इस दुर्घटना की जांच जिस अदालत ने की थी उसने क्या अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

श्री आबिद अली : हमें पन्द्रह दिन के भीतर वह प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है।

दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस

*१४३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री १० मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और मद्रास के बीच सप्ताह में तीन बार चलने वाली जनता एक्सप्रेस को अधिक बार चलाने के बारे में क्या अभी तक कोई निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस तिथि से लागू होगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) ऐसा कोई निश्चय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नही होता।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : जब कि इनको स्थानों के बीच में लाइन की सुविधा प्राप्त है और यात्रियों का यातायात भी ठीक है तो फिर जनता एक्सप्रेस को अधिक बार क्यों नहीं चलाया जाता ?

श्री शाहनवाज खां : मुख्य कठिनाई तो लाइन की है। माननीय सदस्य को विदित है कि केवल एक ही लाइन है जिस पर अनेक पैसेन्जर गाड़ियां चलती हैं। इसके अतिरिक्त इस लाइन पर बहुत सी माल गाड़ियां भी चलती हैं। यदि हम पेसेन्जर गाड़ियों को बढ़ा दें तो माल का यातायात हानि में रहेगा।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या सरकार निकट भविष्य में यह सुविधा देने पर विचार कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां : रेलवे मंत्रालय यह सुविधा देने की आवश्यकता को तो मानता है। पहले इंजिन-डिब्बों, आदि के सम्बन्ध में कठिनाई थी। अब हम ने गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिये ११ नये इंजिन रेलवे को दे दिये हैं। अभी गाड़ी अधिक बार चलाने की संभावना तो नहीं है किन्तु हम गाड़ियों की गति बढ़ा सकते हैं।

श्री ए० एम० थामस : मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस में विद्यमान सोने का डिब्बा लोगों को पसन्द नहीं है और यदि हां, तो क्या रेलवे मंत्रालय ने इस विषय की जांच की है ? क्या यह इसलिये है कि इन गाड़ियों द्वारा यात्रा में अधिक समय लगता है ?

श्री शाहनवाज खां : हो सकता है कि यह भी एक कारण हो। दूसरा कारण हमें यह बताया जाता है कि डिब्बे में जो एक दूसरे के ऊपर तीन बर्थ होती हैं उन में तीसरी बर्थ से आराम नहीं मिलता। हम उसे ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या कलकत्ते और दिल्ली के बीच में एक और जनता एक्सप्रस चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो दिल्ली और मद्रास के बीच की जनता एक्सप्रेस के लिये था। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं ।

रेडियो की अनुज्ञप्तियां

*९४४. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **संचार** मंत्री सभा-पटल पर इन बातों का विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५५ से अब तक कितने रेडियो लाइसेन्स जारी किये गये;

(ख) सरकार को उन से कितनी रकम प्राप्त हुई ;

(ग) जिन लोगों ने अपने लाइसेंस को नया नहीं कराया, उनकी संख्या कितनी है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). मांगी गई जानकारी का विवरण लोक-सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३]**

चौधरी मुहम्मद शफ़ी : कितनी अनुज्ञप्तियां रद्द की गईं ?

श्री दातार : रद्द की गई अनुज्ञप्तियों की यथार्थ संख्या बताना कठिन है किन्तु मैं नई और पुरानी दोनों तरह की अनुज्ञप्तियों की संख्या दे सकता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या संयुक्त राष्ट्रीय एजेन्सियों तथा उसकी कूटनीतिक सेवाओं द्वारा संचालित होने वाले रेडियो में अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होती ?

श्री दातार : उक्त प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

लोंडा–मार्गगोवा रेल सम्पर्क

*९४५. **श्री हेडा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोंडा मार्म गोवा रेल सम्पर्क हाल ही में बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २५–७–१९५५ से कैरूल-रोक और सनवोरडेय के बीच रेल सेवा बन्द कर दी गई है ।

(ख) प्रारम्भ में यह पुर्तगालियों द्वारा रेल-पटरी पर हस्तक्षेप करने के कारण हुआ जिससे गाड़ियों का चलना असुरक्षित हो गया तत्पश्चात् उस राज्य क्षेत्र की बिगड़ी हुई अवस्था ने सार्वजनिक उपद्रव का रूप धारण कर लिया ।

श्री हेडा : क्या गोवा के साथ अन्य सम्पर्क भी बन्द कर दिये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस विषय में कुछ ही समय पहिले प्रधान मंत्री जी एक वक्तव्य दे चुके हैं यदि मुझे ठीक याद है तो उन्होंने कहा था कि सारा रेलवे यातायात बन्द नहीं किया गया है । केवल सीधी जाने वाली एक रेल बन्द कर दी गई है, लेकिन रेलें सीमा तक जा रही हैं । अब माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या तब से कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्री अलगेशन : कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

श्री हेडा : वर्तमान व्यवस्था के अनुसार हमारी गाड़ियां इस ओर और उनकी गाड़ियां उस ओर रुक जाती हैं । क्या इस ओर से उस ओर तक यात्रियों तथा सामान को ले जाने के लिये कोई व्यवस्था है ?

श्री अलगेशन : मेरे विचार से कोई भी व्यक्ति इस ओर से उस ओर अथवा उस ओर से इस ओर नहीं आना चाहता है।

इंजन डिब्बे आदि का संधारण

*९४७. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय से उत्तर और पूर्वी रेलों के यात्री डिब्बों के संधारण का स्तर गिर रहा है और प्रायः रेल गाड़ी के डिब्बों की महत्वपूर्ण वस्तुऐं और सामान गायब रहते हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उसके कारणों की जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या प्रयत्न किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) चोरी, इत्यादि के कारण यात्री डिब्बों में यदा-कदा किसी चीज़ की कमी रह जाती है किन्तु उत्तर और पूर्वी रेलों के सामान को बनाये रखने के स्तर में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ख) जी हां।

(ग) वस्तुओं तथा सामान की जान बूझ कर चोरी करना तथा हानि पहुंचाना।

(घ) सभा-पटल पर अपेक्षित जानकारी का एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४]**

श्री ए० एन० विद्यालंकार : सभासचिव ने अभी अभी कहा है कि वस्तुएं चोरी से गायब हो जाती हैं किन्तु कभी कभी खिड़कियों को बन्द करने वाले चौखटे खराब होते हैं। क्या मंत्रालय ने इस बात का कारण जानने का प्रयत्न किया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : मैंने भी प्रायः यात्रा की है। मैंने देखा है कि कभी कभी बरसात के कारण लकड़ी फूलने से इन चौखटों को खोलना या बन्द करना कठिन हो जाता है।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : अन्य ऋतुओं में ऐसा क्यों होता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : गाड़ी के रवाना होने से पहिले सब चीजों को ठीक किया जाता है। हम इस बात का निश्चय कर लेते हैं कि वह कार्य करने की स्थिति में हैं।

श्री मुहीउद्दीन : अक्सर यह देखा गया है कि प्रथम श्रेणी के डिब्बों से बड़ी बत्तियां हटा दी गई हैं तथा इन डिब्बों की बत्तियां इतना कम प्रकाश देती हैं कि अखबार या पुस्तक भी नहीं पढ़ी जा सकती है। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शाहनवाज़ खां : उन बत्तियों को फिर से तेज़ी के साथ लगाया जा रहा है।

भारत–पाकिस्तान रेल यातायात

*९४८. **श्री बी० के० दास : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रेलवे यातायात को फिर से बहाल करने के लिये भारत तथा पाकिस्तान के रेलवे पदाधिकारियों का कोई सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कौन कौन से निश्चय किये गये ; और

(ग) उन निश्चयों का विवरण क्या है जिन्हें अब तक क्रियान्वित किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन : (क) जी हां।

(ख) और (ग). लोक-सभा-पटल पर जानकारी का एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १५]**

श्री बी० के० दास : इस लाइन में होने वाले यातायात के परिमाण के सम्बन्ध में आपका क्या अनुभव है ?

श्री अलगेशन : इन में से कई गाड़ियां इस महीने की पहिली तारीख से ही चलाई गई हैं।

श्री बी० के० दास : क्या सीमा शुल्क परीक्षण से सम्बन्ध रखने वाले नियमों में कुछ ढील दी गई है ?

श्री अलगेशन : इस सम्बन्ध में जो कुछ भी सुविधायें दी गई हैं वे सभी इस विवरण में उल्लिखित हैं।

श्री बी० के० दास : क्या पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के बीच यात्री गाड़ियां चलाने का कोई विचार है ?

श्री अलगेशन : पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के बीच पहिले से ही कुछ यात्री गाड़ियां चल रही हैं। यह केवल हाल के समझौते से ही सम्बन्ध रखता है।

श्री बी० के० दास: सम्मेलन के परिणाम-स्वरूप ?

श्री अलगेशन : यह सम्मेलन तथा उसमें हुए करार के सम्बन्ध में है। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के बीच पहिले कुछ रेलें चलती थीं। वे तब से चल रही हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : यातायात को चलाने के लिये उनको कितने डिब्बे दिये गये हैं ?

श्री अलगेशन : यह डिब्बों को किसी के हाथ में देने का प्रश्न नहीं है। यह सामान ले जाने का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का तात्पर्य यह ज्ञात होता है कि इस लाइन पर यातायात के लिये कितने डिब्बे दिये गये हैं ?

श्री अलगेशन : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी। मेरे पास दिये गये डिब्बों का विवरण नहीं है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या निकट भविष्य में पार्वतीपुर होते हुये कलकत्ता से अमीनगांव वाली पुरानी आसान मुख्य लाईन को पुनः जारी करने की भी संभावना है ?

श्री अलगेशन : इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।

बिहार में टेलीफोन एक्सचेंज

*९५०. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों में बिहार में कोई नया टेलीफोन एक्सचेंज खोला गया है;

(ख) क्या चालू वर्ष में कुछ और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना है; और

(ग) उन स्थानों के नाम जहां वे एक्सचेंज खोले जायेंगे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) कोई नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) (१) बेतिया
(२) खगरिया
(३) हाजीपुर
(४) सहरसा
(५) पूर्निया
(६) डुमरांव
(७) ढाब
(८) रक्सौल
(९) लखी सराय

श्री एल० एन० मिश्र : क्या कोसी परियोजना के अधिकारियों को टेलीफोन सुविधायें दिये जाने की कोई योजना है क्या यह सच है कि बहुत पहिले ही वे उक्त सुविधाओं के लिये आवेदन कर चुके हैं लेकिन अभी तक उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई है ?

श्री दातार : उसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों को भी पी० ओ० ओ० के द्वारा टेलीफोन सुविधाओं के दिये जाने की व्यवस्था है ?

श्री दातार : यह प्रश्न किन्हीं विशेष स्थानों की टेलीफोन व्यवस्था से सम्बन्ध रखता है । इसका गैर-सरकारी व्यक्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति । शान्ति । यदि मंत्री महोदय बुरा न मानें तो मैं उन्हें यह बात समझाऊंगा । एक्सचेंज देने में ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों को टेलीफोन देना भी सम्मिलित है ।

श्री दातार : मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का क्या मान है ? क्या उसके लिये स्थान का महत्त्व आवश्यक है अथवा अन्य बातें ?

श्री दातार : कई बातों पर विचार किया जाता है, जिसमें यह भी सम्मिलित है कि क्या एक्सचेंज खोलना लाभप्रद भी होगा ।

दक्षिण-पूर्वी रेलवे विभाग

*९५१. **श्री भागवत साहू** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोजित दक्षिण-पूर्वी रेलवे के चलने के उपरांत उड़ीसा राज्य में एक विभाग खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्यालय कहां स्थित होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री भागवत साहू : क्या माननीय उप-मंत्री को विधान सभा, उड़ीसा के सदस्यों तथा अन्य स्थानों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और यदि हां, तो वे क्या हैं, तथा इन अभ्यावेदनों पर क्या निश्चय किया गया है ?

श्री अलगेशन : वस्तुतः दक्षिण-पश्चिमी रेलवे पुराने बी० एन० आर० के क्षेत्र में चलेगी । पुरानी बी० एन० आर० ज़िला प्रणाली पर चल रही थी । वही प्रणाली जारी है । रेलवे के तत्काल विभागीकरण की कोई आशा नहीं है । यह प्रश्न तब उठेगा जब विभागीकरण की योजना ली जायेगी ।

श्री भागवत साहू : क्या यह सच है कि सरकार खड़गपुर, वालटेयर और बिलासपुर में विभागीय कार्यालयों के खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : जैसा कि मैंने कहा है, वह आजकल ज़िला प्रणाली पर चल रही है । उड़ीसा में तीन ज़िला कार्यालय हैं : कटक, टिटिला गढ़ और कुदी रोड़ । इस प्रणाली के ये तीन कार्यालय हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या पुरानी पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय ही दक्षिण-पूर्वी रेलवे के विभागीय मुख्यालय के रूप में रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कह सकता कि यह प्रश्न किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है ।

श्री अलगेशन : मैं भी माननीय सदस्य का तात्पर्य नहीं समझ सका । क्या उनका

तात्पर्य यह है कि दक्षिण-पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित होगा ?

सरदार ए० एस० सहगल : इस समय वहां पूर्वी रेलवे का प्रादेशिक मुख्यालय है । दक्षिण-पूर्वी रेलवे हो जाने के पश्चात् यह मुख्यालय विभागीय मुख्यालय के रूप में रहेगा अथवा नहीं ।

श्री अलगेशन : मैं अब भी ठीक से नहीं समझ पाया हूं । दक्षिण-पूर्वी रेलवे यथापूर्व चल रही है । यह ज़िला प्रणाली के आधार पर चल रही थी ।

सरदार ए० एस० सहगल : बिलासपुर में एक प्रादेशिक कार्यालय है ।

श्री भागवत साहू : जहां तक दक्षिण-पूर्वी रेलवे की लाइन का विभिन्न राज्यों में मीलों में, विस्तार का सम्बन्ध है, उड़ीसा का दूसरा स्थान है । मध्य प्रदेशमें इसका विस्तार १२९५ मील है; उड़ीसा में ८५७ मील और आंध्र में २६२ मील है । बंगाल और बिहार में इसका विस्तार अधिक नहीं है । इस प्रकार लाइन का मीलों में विस्तार की दृष्टि से उड़ीसा का स्थान दूसरे दर्ज़े पर है । मंत्री जी ने यह भी कहा है कि तीन ज़िला कार्यालय तथा पांच उप-विभागीय कार्यालय थे । इस बात का तथा वाणिज्यिक और जन साधारण की कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए क्या मंत्री जी विभागीय कार्यालय को खोलने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री अलगेशन : मुझे उड़ीसा की जनता की इस मांग पर, कि वहां एक विभागीय मुख्यालय होना चाहिये, सहानुभूति प्रकट करने में कोई कठिनाई नहीं । यह मुख्यत: कार्य-संचालन के कारणों पर निर्भर होगा । यदि कार्य-संचालन की दृष्टि से उड़ीसा में विभागीय कार्यालय स्थापित करना सम्भव हो, तो हम सहर्ष ऐसा करेंगे ।

उर्वरक

*९५२. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र राज्य में किसानों को जरूरत के समय पर उर्वरक विशेषतया एमोनियम सल्फेट (तिक्तातु शुल्बीय) उपलब्ध नहीं होते; और

(ख) यदि हां, तो जरूरत से पहले ही राज्य के पास इसकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). लोक-सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १६]**

श्री ईश्वर रेड्डी : विवरण से मुझे पता लगता है कि सामान भेजने के लिये स्थान की कमी के कारण कुछ विलम्ब हुआ है । क्या पहले से प्रबन्ध न करने के लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक एमोनियम सल्फेट (तिक्तातु शुल्बीय) के संभरण करने का प्रश्न है उत्तरदायित्व हमारा ही है । हमने उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने का सदैव प्रयत्न किया है । अपेक्षित आयात के समय पर न आने के कारण कुछ कठिनाई थी, परन्तु हमने सिन्दरी से संभरण करना प्रारम्भ कर दिया है और हम उनकी आवश्यकता को पूरा करने का यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री ईश्वर रेड्डी : क्या आन्ध्र सरकार ने उत्पाद के दाम कम हो जाने के कारण उर्वरकों का मूल्य घटाने की प्रार्थना की है ? केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह मांग कई राज्यों ने की है और यह एक स्वाभाविक मांग है । हम भी मांग को पूरा करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

डा० ए० एम० थामस : यद्यपि इन उर्वरकों को सर्वप्रिय बनाने में माननीय मंत्री को काफी हद तक सफलता मिली है पर जरूरत के समय उर्वरकों की अनुपलब्धता की शिकायत अन्य राज्यों से भी आ रही है । क्या कुछ समय पूर्व सिन्दरी के लिये एक पृथक पणन संगठन बनाने का कोई प्रस्ताव था, क्या उस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है और क्या कोई अन्य प्रबन्ध किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : सिन्दरी के लिये एक स्वतन्त्र व्यवस्था का प्रस्ताव समय समय पर आता है । मैं नहीं कह सकता कि क्या वर्तमान प्रबन्ध भविष्य में कभी बदला जायेगा । इस समय भारत सरकार का कृषि मंत्रालय वितरण का काम कर रहा है । मांग तो बढ़ गयी है और मैं इस मामले को सबसे अधिक प्राथमिकता और इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता हूं ।

श्री हेडा : क्या यह सच है कि आन्ध्र में सम्पूर्ण राज्य में वितरण के लिये केवल एक ही अभिकरण है और, यदि हां, तो क्या इसका भी दोषपूर्ण वितरण पर प्रभाव पड़ता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह बात राज्य पर ही निर्भर है कि उसमें कितने अभिकरण हों । हम सामान्यतया इसमें हस्तक्षेप नहीं करते । पर, मेरा मंत्रालय विवरण के सारे मामले का परीक्षण करने का विचार कर रहा है ताकि अधिक केन्द्रों में इसका संभरण उपलब्ध हो सके ।

गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन

*९५३. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **परिवहन** मंत्री ३० सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १५३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौपरिवहन के लिये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को भारतीय राज्यक्षेत्र में एक नहर बना कर मिलाने की योजना पर कोई निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). यह प्रस्ताव अभी बहुत अस्पष्ट अवस्था में है और शायद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको स्थान नहीं मिलेगा ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : यदि इस परियोजना को कार्यान्वित किया जायेगा तो क्या वह आत्मनिर्भर होगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : यह बताना समय से बहुत पूर्व है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या प्रस्ताव का शिल्पिक परीक्षण किया गया है और क्या वह पूर्ण प्रकार से व्यवहार्य है ?

श्री शाहनवाज खां : जी नहीं, उसका परीक्षण नहीं किया गया है ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या सरकार के सामने नौपरिवहन के अलावा अन्य भी कोई उद्देश्य है ?

श्री शाहनवाज खां : शायद माननीय सदस्य को पता है कि गंगा बांध परियोजना समिति नियुक्त की जा चुकी है और वह इस प्रश्न की छानबीन करने जा रही है । उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् इन मामलों पर विचार किया जायेगा । इस समय इन मामलों पर विचार करना समय से पूर्व होगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या ९५४ । श्री काजरोल्कर ।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी : मुझे इसका अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : यह अन्त में आयगा ।

केन्द्रीय भू-संरक्षण बोर्ड

*९५७. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या खाद्य और कृषि मंत्री २६ जुलाई, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भू-संरक्षण बोर्ड, बाढ़ नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग में कोई उचित समन्वय नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) केन्द्रीय भू-संरक्षण बोर्ड, बाढ़ नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग में समुचित समन्वय है । इस मंत्रालय के पदाधिकारी जो विभिन्न सम्बन्धित निकायों के सदस्य हैं, यह समन्वय पैदा करते हैं । वनों का महानिरीक्षक भू-संरक्षण बोर्ड, तथा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बाढ़ आयोग का एक सदस्य है । वनों का उपमहा-निरीक्षक उत्तरी नदी बाढ़ आयोग का एक सदस्य है । भू-संरक्षण बोर्ड में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का एक सदस्य और एक वरिष्ट पदाधिकारी है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या विभिन्न राज्यों में किये जाने वाले प्रारम्भिक सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप कोई विशेष योजना बनाई गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : योजनायें तो बहुत ह । मैं यह नहीं जानता कि क्या वे माननीय मित्र द्वारा बताये गये सर्वेक्षण का फल हैं पर भू-संरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकारें बहुत रुचि ले रही हैं और हमारे पास बहुत सी योजनायें आ रही हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या उसी प्रकार का कोई प्रयोगात्मक काम किया जा रहा है जैसा कि कोसी के निकटवर्ती क्षेत्रों से सम्बन्धित योजना का कार्य बिहार में किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां । मिट्टी के कटाव के प्रत्येक मुख्य प्रकार से सम्बन्धित गवेषणा योजनायें हैं ।

श्री सारंगधर दास : यदि निकटवर्ती क्षेत्र एक राज्य में है और बांध किसी अन्य राज्य में बनाया जाता है तो इन दोनों में क्या समन्वय है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये । मैं समझता हूं कि ऐसी समस्या नहीं पैदा हुई है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या विभिन्न राज्यों में किये जाने वाले कामों का समुचित समन्वय किया जाता है ? माननीय मंत्री ने बताया है कि कुछ बोर्डों के कुछ सदस्य दूसरे बोर्डों के भी सदस्य हैं । जहां तक योजनाओं के निर्माण का सम्बन्ध है, क्या विभिन्न राज्यों में किये गये सर्वेक्षण कार्य पर विचार करने के बाद उनका निर्माण किया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे विश्वास है कि किये गये सर्वेक्षणों और प्राप्त जानकारी के आधार पर ही योजनायें बनाई जायेंगी ।

बिहार में सूखे की स्थिति

*९५९. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के छोटा नागपुर में गंभीर सूखे की चिन्ताजनक स्थिति के सम्बन्ध में कोई संवाद मिला है;

(ख) यदि हां, तो अब तक फसलों को किस हद तक नुक़सान पहुंच चुका है; और

(ग) वहां की पीड़ित जनता के कष्टों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर चुकी है या करने जा रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग) मांगी गयी जानकारी राज्य सरकारों द्वारा इकट्ठी की जा रही है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार को बिहार के छोटा नागपुर, रोहतास और कैमूर पहाड़ी के क्षेत्रों में सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई समाचार प्राप्त हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं समझता हूं कि हमारे पास कोई संवाद नहीं आया है ।

डा० राम सुभग सिंह : तो, माननीय मंत्री ने किस आधार पर कहा कि बिहार सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है, जब कि उनको वहां से कोई सूचना नहीं मिली है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमें केवल इतना ही पता है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने क्या कहा—इकट्ठी हो गयी है या इकटठी की जा रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इकट्ठी की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : यही मैं ने भी सुना ।

श्री जी० पी० सिन्हा : गत वर्ष इन सूखे क्षेत्रों की सहायता के लिये कितनी राशि आवण्टित की गयी थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या इस क्षेत्र के सिंचाई के कामों के लिये कुछ बढ़ी हुई राशि का आवण्टन किया जाने वाला है ?

डा० पी० एस० देशमुख : माननीय सदस्य को शायद पता होगा कि ऐसे सभी क्षेत्रों के लिये जहां हमेशा वृष्टि का अभाव रहता है, हमने इस काम के लिये एक विशेष निधि आवण्टित की है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

उर्वरक

*९६०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २२ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में आयात किये गये उर्वरकों को विभिन्न राज्यों में किस प्रकार बांटा गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १७]**

श्री डी० सी० शर्मा : विवरण से मुझे पता लगता है कि भारत में केवल १२ राज्यों को उर्वरक दिये गये थे । अन्य राज्यों को उर्वरक क्यों नहीं दिये गये ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह मात्रा तो बाहर से आयात किये गये उर्वरक के सम्बन्ध में है । इसके अलावा सिन्दरी उत्पाद में लगभग ३१।२ लाख टन की प्राप्ति होती है, जिससे अन्य राज्यों को संभरण किया गया था ।

श्री डी० सी० शर्मा : हम बाहर से आयात करना कब तक बन्द कर देंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में निश्चित किये गये इन कारखानों को स्थापित करने में काफी समय

लगता है अतः हमें दो, तीन या चार वर्ष तक आयात जारी रखना होगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या हमारे देश में बनने वाले उर्वरक और विदेश से आयात किये गये उर्वरक कुल मिला कर भारत के किसानों की आवश्यकता के लिये काफी हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : किसानों की मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि न तो देश में बनने वाले और न आयात किये जाने वाले उर्वरकों से उनकी आश्यकता पूरी होती है; पर हम विदेशों से उर्वरक मंगाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह राज्य जिन्हें उर्वरक की आवश्यकता होती है, प्रति वर्ष मांग पत्र भेजते हैं या प्रति महीने मांग पत्र भेजते रहते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम चाहते हैं कि वह हमें आगामी वर्ष का अनुमान बतायें । हम उनको एक सम्मेलन में बुलाते हैं और उनकी आवश्यकताओं के प्राक्कलन पहले से ले लेते हैं ।

कुछ माननीय सदस्य उठे--

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति

*९६१. **श्री जेठालाल जोशी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ९ अप्रैल, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या २१०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों की कार्यान्वित के सम्बन्ध में राज्यों को केन्द्र द्वारा कोई निदेश भेजा गया है; और

(ख) क्या रक्षित बैंक के कृषि-ऋण पार्श्व ने विविध राज्यों द्वारा उन सिफारिशों को कार्यान्वित कराने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां । राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा मंत्रियों के एक सम्मेलन द्वारा ग्रामीण ऋण-सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया था । राज्य सरकारों को ये अनुदेश जारी किये गये थे कि वे उक्त सम्मेलन में किये गये निश्चयों के अनुसरण में अपने सहकारिता-विकास के कार्यक्रम बनायें ।

(ख) रक्षित बैंक ने उन सिफारिशों को, जिन से वे सम्बद्ध थे, कार्यान्वित करने की कार्यवाही भी की है ।

श्री जेठालाल जोशी : कृषकों के ऋण के लेन देन में सरकार तथा सहकारी संस्थाओं का कितना कितना भाग है; और साहूकारों द्वारा कितने प्रतिशत निधि दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे मान्य मित्र ने इस प्रश्न में जिस प्रतिवेदन की ओर निर्देश किया है, उसी में यह सब दिया गया है ।

श्री जेठालाल जोशी : क्या रक्षित बैंक ने प्रयोगात्मक उपाय के रूप में कुछ राज्यों में कोई अग्र योजनायें चलाई हैं, और यदि हां तो इन योजनाओं की सफल कार्यान्विति के लिये रक्षित बैंक द्वारा कितना ऋण पेशगी के रूप में दिया गया या दिया जाने वाला है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे मान्य विद्वान मित्र का प्रश्न ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में है । मुझे इस बात का सन्देह है कि अभी इसकी पूरी कार्यान्विति होना बाकी है । रक्षित बैंक ने कई मामलों में यह काम अभी आरम्भ ही किया है ।

श्री मुहीउद्दीन : समिति ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश गोदामों की व्यवस्था के बारे में की है । गोदाम बनाने के लिये केन्द्र ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि आवंटित

की थी और उसमें से अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं यह नहीं समझ सकता कि सर्वेक्षण समिति के अब के प्रतिवेदन और प्रथम पंचवर्षीय योजना के गठन में क्या सम्बन्ध है । मुझे आशंका है, अतः मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों की कार्यान्विति से ज़मीन के मालिकों को ऋण देने की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन होगा ताकि वे अन्य कृषक भी, जिनके पास भूमि नहीं है, कुछ ऋण ले सकें ?

डा० पी० एस० देशमुख : समिति की यह भी एक महत्त्वपूर्ण सिफारिश है और सरकार को इस सुझाव के प्रति सहानुभूति है ।

यात्री सुविधायें

*९६२. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भविष्य में संपथ (डिब्बे में एक ओर रास्ता वाले) यात्री डिब्बे ही गाड़ियों में लगाये जायेंगे; और

(ख) क्या चलती गाड़ियों में यात्रियों को पीने का जल मुहैया करने की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) इस समय एक प्रयोग के आधार पर एक ओर से रास्ते वाले डिब्बों की गाड़ी को दिल्ली और कलकत्ता के बीच चलाया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं; सभी चलती गाड़ियों में यह व्यवस्था नहीं होगी ।

श्री डाभी : सब ट्रेनों पर न सही तो किन ट्रेनों पर पीने के जल की व्यवस्था की जाने वाली है ?

श्री शाहनवाज़ खां : मेरे पास ऐसी ट्रेनों की एक लम्बी सूची है जिन के साथ साथ पानी पिलाने वाले चलते हैं । यदि माननीय सदस्य प्रश्न काल के बाद उसे देखना चाहें तो मैं उनको दिखा सकता हूं ।

श्री डाभी : गरमी की ऋतु में यात्रियों के लिये पीने के ठंडे जल की व्यवस्था करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : ११५ ऐसे स्टेशन हैं जहां बिजली द्वारा ठण्डा किया गया पानी यात्रियों को निशुल्क दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, गरमी की ऋतु के लिये हम ने नये घड़ों का प्रबन्ध किया है और हम स्वादिष्ट ठण्डा जल दे रहे हैं ।

श्रीमती जयश्री : क्या इन गलियारे वाले डिब्बों में सामान रखने के कमरों की व्यवस्था की जायेगी, क्योंकि अभी जो गलियारे वाले डिब्बे हैं उन में इसका कोई प्रबन्ध नहीं है और रास्ते में सामान के रखे होने के कारण यात्रियों को निकलना बैठना कठिन हो जाता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : ऐसी गलियारे वाली ट्रेनें २ अक्तूबर, १९५५ से चलाई जा रही हैं । माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है, और मुझे विश्वास है कि रेलवे मंत्रालय इस पर ध्यान देगा ।

रेडियो अनुज्ञप्तियां

*९६८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **संचार** मंत्री २० मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक तथा तार विभाग रेडियो अनुज्ञप्तियों के जारी करने के सम्बन्ध में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की जो सेवा करता है उस की दर को बढ़ाने के सम्बन्ध में तब से क्या कोई विनिश्चय किया गया ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : यह विषय अभी तक विचाराधीन है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : लगभग सत्रह मास पूर्व यह कहा गया था कि पुनरीक्षण का प्रश्न विचाराधीन था । सरकार को अपने परिणामों को अन्तिम रूप देने में ऐसी सत्रह मास की कितनी अवधियों की आवश्यकता होगी ?

श्री दातार : सरकार बहुत जल्दी इस विषय को अन्तिम रूप देगी । यह दो मंत्रालयों के बीच की बात है, और अब इसमें बहुत समय नहीं लगेगा ।

भूमि संरक्षण केन्द्र

*९७०. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मैसूर राज्य में स्थित बेलारी में एक भूमि संरक्षण गवेषणा, निरूपण तथा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब खोला जायेगा ; और

(ग) इस केन्द्र में जिस प्रशिक्षण के दिये जाने का विचार किया जाता है वह किस प्रकार का होगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) यह केन्द्र २० अक्तूबर, १९५४ को खोला गया था ।

(ग) काली मिट्टी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भूमि संरक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जायेगा । बेलारी में पहला प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम १६ फरवरी, १९५६ को आरम्भ होगा ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या यह गवेषणा केन्द्र केवल मैसूर राज्य के लिये है या आन्ध्र, मद्रास तथा हैदराबाद जैसे पड़ोसी राज्यों के लिये भी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस बात में राज्यों की अपेक्षा भूमि किस प्रकार की है इस पर अधिक ध्यान दिया जाता है । जहां कहीं भी समान प्रकार की भूमि है, उन राज्यों के लिये यह उपयोगी होगा ।

श्री तिम्मय्या : क्या यह गवेषणा-केन्द्र केन्द्र द्वारा वित्त पोषित है या केन्द्र और मैसूर राज्य दोनों के द्वारा इस का संयुक्त रूप से वित्तपोषण किया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : सामान्यत: हम ऐसी योजनाओं को बराबर बराबर विनियोजन के आधार पर चलाते हैं ।

सीमेन्ट, लोहा तथा इस्पात आवंटन

*९७१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये चालू वर्ष में पंजाब को लोहा, इस्पात तथा सीमेन्ट की कितनी मात्राओं का आवंटन किया गया;

(ख) राज्य की मांग वस्तुत: कितनी थी; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को वितरण हो जाने के बाद राज्य सरकार से कोई प्रतिवेदन प्राप्त होता है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). सीमेन्ट, लोहा तथा इस्पात की फ़सली सन् १९५४–५५ (जुलाई १९५४ से जून, १९५५) की मांग तथा देशी उत्पादन से किया गया आवंटन इस प्रकार था :—

	सीमेन्ट	लोहा तथा इस्पात
	(टनों में)	(टनों में)
मांग . .	११,५१९	५,८००
नियतन .	५,४७९	४,६७०

इसके अतिरिक्त फ़सली सन् १९५४–५५ के अन्त तक, भारत-अमरीकी प्रविधिक सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत आयात किया गया १५,९१८ टन लोहा तथा इस्पात कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये राज्य को आवंटित किया गया है ।

(ग) जी हां ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इन वस्तुओं के वितरण के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई नियम अथवा विनियम बनाये हैं, या राज्य सरकारों को स्वयं अपने नियम तथा विनियम बनाने की स्वतंत्रता दे दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस प्रश्न के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : विवरण से पता चलता है कि संभरण की अपेक्षा मांग बहुत अधिक है सरकार मांग और संभरण के इस अन्तर को कैसे पूरा करेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : सीमेन्ट का जहां तक सम्बन्ध है, कुछ कमी है, परन्तु हो सकता है कि कुछ समय बाद यह कमी पूरी हो जाये । हम जानते हैं कि कृषकों को इन वस्तुओं की कितनी आवश्यकता है, और हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भरसक प्रयत्न करेंगे ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि कभी कभी इन वस्तुओं के नियतन में ग्रामों में निवास करने वाली जनता की आवश्यकताओं का उचित ध्यान नहीं रखा जाता है ? क्या इस प्रकार की किसी शिकायत की ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : नहीं । ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है ।

बेतार दस्युता-विरोधी कार्य

*१७४. **श्री टी० बी० विटठल राव** : क्या **संचार** मंत्री २७ सितम्बर, १९५४ को पूछ गये तारांकित प्रश्न संख्या १३९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग द्वारा बेतार दस्युता-विरोधी कार्य का प्रभार ले लिये जाने के सम्बन्ध में क्या तब से कोई विनिश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह विनिश्चय किस प्रकार का है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) हां ।

(ख) विनिश्चय यह किया गया है कि दस्युता-विरोधी कार्य प्रसारण आदान अनुज्ञापन का एक भाग है, जिस के लिये शक्तियां सरकार द्वारा महानिदेशक, डाक तथा तार विभाग को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : चूंकि इस विभाग का प्रभार स्थायी रूप से ले लिये जाने का विनिश्चय किया जा चुका है, क्या उन कर्मचारियों की, जो अभी अस्थायी हैं या सम्बन्धित पदों पर काम कर रहे हैं, पुष्टि की जायेगी ?

श्री दातार : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि यह कार्य बराबर महानिदेशक डाक तथा तार द्वारा ही किया जा रहा था यद्यपि धारणा यह थी कि यह कार्य अखिल भारतीय रेडियो की ओर से किया जा रहा था । यह भ्रम उत्पन्न हो गया है । अब वे इस कार्य को स्वयं अपनी शक्तियों द्वारा कर रहे हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है । इस विषय में कोई विनिश्चय न होने के कारण,

इस कार्य को जो कर्मचारी कर रहे थे उन्हें स्थायी नहीं बनाया गया है । यह लोग सामान्यतः डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी हैं, परन्तु उनकी पुष्टि नहीं की गई है । चूंकि अब विनिश्चय हो गया है, क्या इनकी पुष्टि की जायेगी ?

श्री दातार : यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है । यह कार्य बराबर महानिदेशक, डाक तथा तार के कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता था । समझा यह जाता था कि यह कार्य अखिल भारतीय रेडियो की ओर से किया जा रहा था परन्तु अब इस धारणा को सुधार दिया गया है और अब यह कार्य इस विभाग द्वारा स्वयं उसकी शक्तियों के प्रयोग से ही किया जा रहा है । इसलिये कर्मचारियों की छंटनी का या इस प्रकार की किसी अन्य बात का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

*९७५. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों से केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन को देय राशियां प्राप्त हो चुकी हैं;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इसको वसूल करने के लिये कौन सी कार्यवाही करने का विचार करती है; और

(ग) प्रत्येक राज्य से प्राप्त होने वाली राशि कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) देय राशियां अंशतः वसूल हो चुकी हैं ।

(ख) भोपाल को छोड़ कर, नये एककों के कार्य के सम्बन्ध में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन को पूरा श्रेय दिया जाता है । यह राशियां राज्य सरकारों को दिये गये ऋण समझी जाती हैं जिसका उन्हें पांच से ले कर सात वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है । इनकी वसूली की देखरेख और इनकी वसूली तत्सम्बन्धी महालेखापालों के ज़रिये से महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व द्वारा की जाती है । आशा की जाती है कि भोपाल के लिये भी यही प्रक्रिया काम में लाई जायेगी । पुराने एककों द्वारा किये गये कार्य की देयताओं के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया को लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १८]**

श्री गाडिलिंगन गौड : सभा पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि "पुराने एककों" शीर्ष के अन्तर्गत लगभग ६८ लाख रुपये की राशि में से ६० लाख रुपये की वसूली हुई है । यह केवल लेखा जोखा मात्र था, या यह राशि वास्तव में वसूल हुई थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य तथा केन्द्रीय सरकार का खाता कैसी स्थिति में है । बहुत से मामलों में यह लेखा जोखा हो सकता है और अन्य मामलों में वास्तविक भुगतान भी हो सकता है । मैं यह बताने में असमर्थ हूं ।

श्री गाडिलिंगन गौड : विवरण से पता चलता है कि "नये एककों" शीर्ष के अन्तर्गत आठ करोड़ रुपये की राशि में से लगभग ६ करोड़ रुपये की राशि दिये गये ऋणों में से वसूल की गई है । क्या यह ऋण राज्यों को केवल देय राशियों के भुगतान के लिये ही दिये गये थे या किसी अन्य प्रयोजन के लिये दिये गये थे ?

डा० पी० एस० देशमुख : केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन जो काम करता है उसके लिये हमा ऋण देते हैं ।

श्री गाडिलिंगन गौड : क्या यह सच है कि कुछ राज्य इस देयता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं ऐसा नहीं समझता हूं । मैं यह नहीं मानता हूं कि किसी पुरानी देयता से इनकार किया जा रहा है । कुछ राज्य पुरानी दरों पर काम को जारी रखने में संकोच कर रहे हैं ।

श्री कामत : क्या यह सच है कि कृष्यकरण प्रभार के अत्याधिक होने तथा कृषकों की भुगतान क्षमता के बाहर होने के कारण वसूली का कार्य बहुत सुस्ती के साथ तथा अटक अटक कर होता रहा है ? प्राक्कलन समिति ने अपने सातवें प्रतिवेदन (१९५३-५४) में कहा है कि कृष्यकरण की यह ५२ रुपये की दर चार वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी और इसका कारण केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की कुव्यवस्था थी । प्राक्कलन समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि इसकी जांच की जाय कि हानियों के लिये कौन उत्तरदायी था, और जांच हो जाने के बाद तथा इसकी ज़िम्मेदारी निर्धारित हो जाने के बाद सरकार को उचित कार्यवाही करना चाहिये । क्या इस सिफ़ारिश विशेष पर कोई कार्यवाही की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : उस दिन मैं ने स्वयं माननीय सदस्य को उत्तर देते हुए दरों में की गई कटौती को बताया था । वास्तव में राज्यों से देय राशि को वसूल करने और दरों सम्बन्धी प्रश्न में कोई सम्बन्ध नहीं है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने इन रक़मों का भुगतान करने से इनकार कर दिया है और अब भी इनकार कर रही हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : ऐसी कोई बात मेरे ध्यान में नहीं लाई गई है ।

चावल का आयात

*९३१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री वर्ष १९५४ में ब्रह्मा तथा अन्य देशों से आयात किये गये चावल के लिये दिये गये मूल्य को बताने की कृपा करेंगे ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : कोई ४२ करोड़ रुपये ।

श्री डी० सी० शर्मा : जिन विभिन्न देशों से चावल का आयात किया गया था, उनके सम्बन्ध में क्या मैं पृथक् पृथक् आंकड़े ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम ने १९५४ में जो भी चावल आयात किया था वह ब्रह्मा से किया था । अतः यह आंकड़े केवल ब्रह्मा से किये गये आयात से ही सम्बन्ध रखते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि यह चावल की परिमात्रा किस प्रकार बेची गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : १९५४ में हम ने ६·२५ लाख टन चावल आयात किया था, जिसमें से हम ने कोई २,३०,००० टन का उपभोग किया है ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस अतिरेक स्टॉक को रखने के लिये सरकार के पास गोदाम सम्बन्धी क्या व्यवस्थायें हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : अधिकांश मामलों में तो हमारे अपने गोदाम हैं, और जहां हमारे अपने गोदाम नहीं हैं वहां हम पत्तन प्रन्यास तथा अन्य निगमों से किराये पर लेते हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या यह ४२ करोड़ रुपये की रक़म उस ऋण के खाते में डाल दी जायेगी जो हमें ब्रह्मा से लेना है या अंशतः नक़द भुगतान किया गया है और अंशतः उस ऋण के खाते में डाल दिया गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : धन का समायोजन करना वित्त मंत्रालय का काम है मैं तो यह जानता हूं कि हम ने ४२ करोड़ रुपया दिया है ।

सरदार हुक्म सिंह : हम ने नौ लाख टन आयात करने का संविदा किया था परन्तु १९५४ में हम ने वास्तव में ६ लाख टन आयात किया । इस परिवर्तन को उनके द्वारा किस रूप में स्वीकार किया गया ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : प्रश्न में पूछा गया था कि १९५४ में ब्रह्मा से कितना चावल आयात किया गया था । उत्तर यह है कि ६·२५ लाख टन चावल आयात किया गया है ।

नौवहन समवाय

*९३८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य मंडल संघ की ओर से नौवहन समवायों को आसान शर्तों पर ऋण देने के लिये प्रार्थना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या अब तक नौवहन समवायों को उदार शर्तों पर कोई ऋण दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). सरकार को मालूम है कि भारतीय वाणिज्य मंडल संघ उद्योग ने अपने अट्ठाईसवें वार्षिक अधिवेशन में अन्य पारित प्रस्तावों के साथ एक प्रस्ताव में यह भी सिफ़ारिश की है कि भारतीय सरकार को चाहिये कि "नौवहन उद्योग को आसान शर्तों पर ऋण देना जारी रखे" सरकार ऐसा हो कर रही है और अब तक लगभग १८·२३ करोड़ रुपये की पूंजी वास्तव में भारतीय नौवहन समवायों को जहाजों की खरीद के लिये स्वीकृत कर दी गई है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : किन किन कम्पनियों को कर्ज़ दिये गये हैं ?

श्री अलगेशन : तट पर तथा समुद्रपार कार्य करने वाली प्रायः सभी कम्पनियों को ऋण दिये गये हैं ।

वाष्पपोत "सर टी० वाहनी"

*९३६. **श्री जोकीम आल्वा (श्री गिडवानी की ओर से)** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने वाष्पपोत "सर टी० वाहनी" को मनिहारी घाट–संकरोगली घाट खेवा सेवा में सेवायुक्त भूतपूर्व ईस्ट इंडियन रेलवे खेवा कर्मचारियों के कर्मचारी निवास-स्थानों में बदल देने का निर्णय किया था;

(ख) क्या यह पता लगा था कि उक्त पोत ज़मीन में धंस गया था और असामान्य रूप से रेत में दब जाने के कारण नष्टप्रायः हो गया था और उसे पुनः तैराने की कार्यवाही करने से उसके पेटे पर लगी चादरों को हानि पहुंचने की सभावना थी;

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए, उसको परिवर्तित करने की इस प्रस्थापना को त्याग दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उक्त पोत का उस समय से क्या हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, उसके पुनः तैराने से उसके पेटे पर लगी चादरों को गंभीर रूप से क्षति पहुंचने की संभावना थी ।

(ग) जी हां ।

(घ) उस पोत को निष्प्रयोज्य घोषित करके नीलाम के द्वारा बेच दिया गया था ।

श्री जोकीम आल्वा : अध्यक्ष जी, क्या कोई दूसरा स्टीमर भी स्टॉफ़ क्वार्टर्ज़ बनायेगा या नहीं ?

श्री शाहनवाज़ खां : अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है ।

कोचीन में धूमन स्थान

*९४९. **श्री इब्राहीम (श्री एम० इस्लामुद्दीन की ओर से)** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कोचीन में एक संयंत्र निरोध केन्द्र तथा धूमना स्थान स्थापित करना चाहती है ताकि उक्त पत्तन के द्वारा अमरीकन कपास को आयात किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो कार्य कब प्रारम्भ होगा; और

(ग) वह कब समाप्त होगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १९]**

श्री अच्युतन : क्या त्रावनकोर-कोचीन के नवयुवकों से ऐसी कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है कि नौकरी दफ्तर, विलिंगडन द्वीप के द्वारा भर्ती किये जाने के स्थान पर भर्ती मद्रास से की जा रही है क्योंकि अधिकारी वर्ग मद्रास के हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

दिल्ली जल तथा नाली बोर्ड

*९५४. **श्री एन० आर० मुनिस्वामी (श्री काजरोल्कर की ओर से)** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिल्ली संयुक्त जल बोर्ड अधिनियम, १९२६ की धारा १२ की उप-धारा (१) के परन्तुक के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली जल तथा नाली बोर्ड को १९५०, १९५१ और १९५२ में कितनी रक़म दी गई है; और

(ख) १९५५ तक बोर्ड को कितनी बक़ाया, यदि कोई हो तो, दी जानी है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली संयुक्त जल तथा नाली बोर्ड को दी गई धन राशि इस प्रकार है :—

	रुपये	आने	पाई
१९४९–५० .	३,२१,०७८	५	०
१९५०–५१ .	२,२६,८०४	४	११
१९५१–५२ .	२,४५,४५०	०	०
१९५२–५३ .	२,२६,६४९	०	०
योग .	१०,१९,९८१	९	११

(ख) कुछ नहीं ।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि उन्हें किन कारणों से बकाया रखा गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह बकाया नहीं है । मुझे खेद है कि मैं ने भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया । भाग 'ख' का उत्तर नहीं है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन्होंने पर्याप्त ऋण की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार की उस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे ठीक ठीक पता नहीं है कि क्या कोई ऋण मंजर कर लिया गया है । मेरे विचार में यह अभी विचाराधीन है ।

ट्रैक्टर

*९६५. **पंडित डी० एन० तिवारी (श्री विभूति मिश्र की ओर से)** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवश्यक भागों और फालतू पुर्जों की कमी के कारण बहुत से ट्रैक्टर बेकार पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी मरम्मत के लिये और आवश्यक भाग सुगमता से उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) ट्रैक्टर मालिकों की कठिनाइयां दूर करने के लिये आयात नियंत्रण अधिनियमों के अनुसार यह नियम किया गया है कि आयात किये हुए ट्रैक्टरों की संख्या के अनुपात में, नियत कम अथवा बेशी स्तर पर, आयात करने वाले विदेश से ट्रैक्टरों के फ़ालतू पुर्जे आयात किये जायें । बिक्री के बाद मरम्मत आदि उपचार (सर्विस) के लिये पर्याप्त तथा सन्तोषप्रद सुविधाओं की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी आयात करने वालों पर रखी गई है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या इतने टेक्नीशन्ज़ मौजूद हैं कि जहां जहां ट्रैक्टर ख़राब हों, वहां उनकी मरम्मत कर सकें ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं समझा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या टेक्नीशन्ज़ की संख्या इतनी पर्याप्त है कि जहां जहां ट्रैक्टर हों वहां जाकर वे उनकी मरम्मत कर सकें ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक ज़िले में अथवा एक स्थान पर कुछेक ट्रैक्टरों की देखभाल उसी ढंग से नहीं हो सकती जैसा कि हम चाहते हैं। किन्तु उस सारे मामले पर किय गये अनुसंधान के परिणामस्वरूप हमने अब नये नियम बनाये हैं और हम कमी को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को मालूम है कि जब ठीक खेती के दिन आते हैं तभी ट्रैक्टर खराब हो जाते हैं और फिर उस वक्त उनकी मरम्मत नहीं हो सकती ?

डा० पी० एस० देशमुख : अगर स्वयं काश्तकारों को ऐसा अनुभव है, तो मुझे क़बूल है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी स्वदेशी व्यापारिक संस्थायें ट्रैक्टरों के आनुषंगिक भागों को बना रही हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री तिम्मय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार की ऐसी कोई प्रस्थापना है कि देश में खाली पड़ी समस्त सरकारी भूमि पर इन ट्रैक्टरों द्वारा हल चला कर उसे गरीबों को बांट दिया जाये ?

डा० पी० एस० देशमुख : ऐसी योजनायें कई बार राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ की जाती हैं, हम भी ऐसी पर्याप्त भूमि को खेती योग्य बना चुके हैं ।

दरभंगा मैडिकल कालेज

*९७२. **पंडित डी० एन० तिवारी (श्री विभूति मिश्र की ओर से)** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २४ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मैडिकल परिषद् ने उन विद्यार्थियों की डिग्रियों को जिन्होंने १९५२ में मैडिकल कालेज, दरभंगा से परीक्षा पास की थी मान्यता प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). भारतीय मैडिकल परिषद् किन्हीं भी मैडिकल डिग्रियों को मान्यता प्रदान नहीं करती है किन्तु मान्यता भारत सरकार द्वारा मैडिकल परिषद् की सिफारिशों पर प्रदान की जाती हैं। उन विद्यार्थियों के मामले पर, जिन्होंने १९५२ में मैडिकल कालेज दरभंगा से परीक्षा पास की थी भारत सरकार भारतीय मैडिकल परिषद् की सलाह से अभी विचार कर रही है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि उन विद्यार्थियों का क्या होगा जिन्होंने १९५२ में परीक्षा पास की थी और अब तक नौकरियों के लिये इधर उधर मारे फिर रहे हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हमें भी उन विद्यार्थियों से सहानुभूति है जिनकी डिग्रियों को अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की गई है। इसी कारण हमने इस मामले पर भारतीय मैडिकल परिषद् से बातचीत की थी—इस मामले पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही हमें उनकी राय ज्ञात हो जायेगी।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

बिहार में बाढ़

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६. श्री ए० पी० सिन्हा : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बिहार में इस वर्ष बाढ़ द्वारा अनाज की फसलों, रहने के मकानों तथा भूमि को कितनी हानि पहुंची है; और

(ख) क्या भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता उसी आधार पर दी जायेगी जिस पर कि पिछले वर्ष दी गई थी अथवा उसम कोई परिवर्तन किया जाना है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). बिहार सरकार द्वारा अभी तक भेजी गई सूचनाओं के अनुसार, उत्तर बिहार में कुल ३,९०० वर्ग मील भूमि का क्षेत्र इस वर्ष बाढ़ द्वारा ग्रस्त हुआ है। बिहार की प्रायः सभी नदियों में जल की अधिकता हो जाने के कारण बाढ़ आई है। इन में से मुख्यतः यह बताई जाती हैं :

सारन में सरजुग; चम्पारन में सिकरहना गंडक तथा बाघमती; मुजफ्फरपुर में बाघमती तथा अधवाड़ा श्रेणी की नदियां; दरभंगा में कमला, बालान तथा कोसी; मुंघेर में कोसी तथा कमला; पुर्निया में कनकई, पन्नर तथा परमान तथा सहरसा ज़िलों में कोसी नदी।

अभी तक किसी जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उत्तर बिहार में लगभग १३ लाख एकड़ फसलें तथा ३०,००० रहने के मकानों को बाढ़ द्वारा हानि पहुंची है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता

राज्य सरकार ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को सुविधाजनक क्षेत्रों में विभक्त कर दिया है और प्रत्येक क्षेत्र को एक घोषित अधिकारी के जिसे क्षेत्र सहायता पदाधिकारी कहते हैं अधीन रखा गया है। अपने क्षेत्र में सहायता सामग्री के वितरण के लिये वह ज़िम्मेदार है। निरीक्षण का कार्य वरिष्ठ ज़िला प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

राज्य सरकार ने पर्याप्त खाद्यान्न उपयुक्त स्थानों पर एकत्रित कर रखा है जहां से उसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मुफ्त बांटने के लिये ले जाया जाता है। पर्याप्त मात्रा में नावें बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता तथा रक्षा का काम करने के लिये भेज दी गई हैं। इन नावों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं के ले जाने के लिये भी काम म लाया जाता है। लोक-स्वास्थ्य सहायता सम्बन्धी उपाय भी चाल कर दिय गय हैं। चलन फिरने वाले तथा स्थिर औषधालय आरम्भ कर दिये गये हैं। इसी प्रकार के चलते फिरते औषधालय

पशु चिकित्सा तथा सहायता के लिए भी कार्य कर रहे हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में नलकूप खोदे गये हैं ताकि अच्छा पीने का पानी मिल सके। औषधियों तथा कीटाणु-नाशक औषधियों की पर्याप्त मात्रायें वहां भेज दी गई हैं। राज्य सरकार खाद्यान्नों को कम मूल्य पर बेच रही है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में उसने पर्याप्त भांडार भेज दिये हैं।

उपरोक्त सहायता प्रबन्धों के अतिरिक्त, ज़िला अधिकारियों के अधिकार में धन रख दिया गया है ताकि वे हल्के श्रम की योजनायें, जैसे कि खादी कातना, रस्सी बनाना, आदि; और अधिक कठोर श्रम की योजनायें जैसे कि मकानों की मरम्मत करना, सड़कों का निर्माण करना आदि आरम्भ कर सकें तथा मकान बनाने के लिये निशुल्क अनुदान तथा अन्य ऋण के रूप में इस धन को वितरित कर सकें।

राज्य सरकार को लगभग १०,००० टन चावल सहायता कार्य के लिये भांडार में रखने के हेतु आवंटित किया गया था। बिहार सरकार की प्रार्थना पर भारत सरकार ने २१,००० टन चावल, २५,००० टन चना, १०,००० टन गेहूं का अग्रेतर आवंटन किया है। ९५,००० मन गेहूं का एक और आवंटन व्यापार प्रणाली के द्वारा मंजूर किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने ज्वार की पर्याप्त मात्रा देने का प्रस्ताव भी किया है यदि बिहार सरकार को उसकी आवश्यकता हुई तो।

प्राकृतिक आपत्तियों के लिये केन्द्रीय सहायता के क्षेत्र के विस्तार को इस वर्ष उदार कर दिया गया है। मुख्यतया राज्य सरकार को दो करोड़ तक की गई सहायता के लिये आधी रक़म अनुदान के रूप में लेने का अधिकार होगा और यदि व्यय इससे अधिक होगा तो तीन-चौथाई मिलेगा। गत वर्षों में नीति यह रही है कि जहां राज्य सरकार की साधन स्थिति इस बात की मांग करे वहां सहायता की रक़म का आधा ही दिया जाये जिसमें कि रियायती मूल्य पर दिये गये खाद्यान्नों के सम्बन्ध में हुआ घाटा तथा ऋण आदि सभी सम्मिलित है। १९५४–५५ में भारत सरकार ने बिहार सरकार को २९३ लाख रुपये का अनुदान सहायता साधनों पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में दिया था।

मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि कई क्षेत्रों में पानी उतर रहा है; समस्तीपुर क्षेत्र में निरन्तर वर्षा होने से कठिनाई अत्यधिक है।

श्री ए० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि मुफ्त सहायता में कौन कौन सी मदें आती हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह एक लम्बी सूची है; खाद्य वस्तुओं का पका हुआ अथवा अन्यथा, रियायती संभरण, निर्धन व्यक्तियों को आवश्यक वस्तुयें खरीदने के लिये साप्ताहिक नकद भुगतान, इसमें खाद्य वस्तुयें भी सम्मिलित हैं, जहां पर खाद्य वस्तुयें रियायती मूल्य पर नहीं दी जाती हैं; निर्धनों को नकद रक़म का भुगतान, बीजों का मुफ्त तथा रियायती संभरण; चारे का मुफ्त तथा रियायती संभरण; औषधियों का मुफ्त तथा रियायती संभरण; पशु रोग की रोकथाम के उपाय करना; जहां भी आवश्यक हो वहां पीने के पानी का उपबन्ध करना; परिवहन सुविधाओं का उपबन्ध करना; बाढ़ द्वारा हानि ग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिये ऋण देना इत्यादि।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या मैं जान सकता हूं कि बिहार सरकार ने ऋण अथवा सहायता के रूप में केन्द्रीय सरकार से कुल कितनी रक़म मांगी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं समझता कि उन्होंने किसी विशिष्ट रक़म की

मांग की है; किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने सुना होगा, इस सम्बन्ध में नियम तथा अनुदेश इतने स्पष्ट हैं कि राज्य सरकार को किसी विशिष्ट आवंटन के लिये प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं है। वह व्यय कर सकते हैं और अपने प्रख्यापित नियमों के अनुसार हम उन्हें सहायता दे देंगे।

पंडित डी० एन० तिवारी : सरकार वहां क्या सहायता करेगी जहां सार्वजनिक संस्थाओं की इमारतें टूट फूट गई हैं और उनका पुनः निर्माण अथवा विस्तृत मरम्मत अपेक्षित है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि राज्य सरकार सिफारिश करे—यह मद मकानों की मरम्मत के अन्तर्गत आयेगी—तो मैं नहीं जानता कि हम क्या नीति अपनायेंगे; किन्तु यदि इस सम्बन्ध में कोई निर्देश किया गया, तो हम उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस तथ्य का ज्ञान है कि बिहार सरकार ने हाल ही में खुले बाजार में चावल की बहुत अधिक मात्रा खरीदना आरम्भ कर दिया है ; और क्या संघ सरकार अपने चावल भांडार के कुछ भाग को बिहार सरकार को बेचने की स्थिति में नहीं है जिससे कि खुले बाजार में की जा रही खरीद को रोका जाय और मूल्य कम हो जाये।

डा० पी० एस० देशमुख : संभवतया बिहार सरकार, जिस मूल्य पर हम चावल दे सकते हैं, उससे कम मूल्य पर चावल खरीद रही है।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि कुल कितना खाद्यान्न पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त दिया गया है और कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास यहां आंकड़े नहीं हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पशु पालन

*९३२. **श्री एस० ए न० दास :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के पशुपालन विभाग की बैठक में, जो मई, १९५५ में रांची में हुई थी, की गई विभिन्न सिफ़ारिशों के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : भारतीय कृषि और पशु पालन बोर्ड के पशु पालन विभाग की सिफ़ारिशें कुछ राज्य सरकारों द्वारा और कुछ केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली हैं। राज्य सरकारों से सम्बन्धित सिफ़ारिशें आवश्यक कार्यवाही के लिये उनको भेजी जा रही हैं। जो केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखती हैं वे दूसरी पंचवर्षीय योजना के, जिसकी चर्चा योजना आयोग के साथ अब चल रही है, प्रारूप प्रस्तावों में पहले ही शामिल कर दी गई है।

अलगेशन समिति

*९३७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अलगेशन समिति की सिफ़ारिशों को सभी रेलवेज़ पर लागू कर दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : अधिकतर सिफ़ारिशों को क्रियान्वित किया जा चुका है; अन्य सिफ़ारिशों की अभिपूर्ति की जा रही है।

गन्ने की खेती

*९३९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन फेडरल गणतन्त्र का एक प्रतिनिधि मंडल मई १९५५ में काश्मीर आया था; और

(ख) यदि हां, तो गन्ने की खेती के बारे में उसने क्या सुझाव दिये ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). जर्मन फेडरल गणतन्त्र के भारत में आये हुए व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के कुछ सदस्य गत मई में काश्मीर गये । उन्होंने गन्ने की खेती के बारे में कोई भी सुझाव नहीं दिये किन्तु चीनी वाले चुकुन्दरों की कुछ किस्मों के बीज राज्य में खेतों में आजमाइश करने के लिये दिये थे ।

गैर-सरकारी रेलवे

*९४२. **श्री एस० एल० सक्सेना :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार उन रेलवे लाइनों को, जो कि इस समय मैसर्ज मार्टन एण्ड कम्पनी कलकत्ता द्वारा चलाई जा रही हैं, ले लेने तथा उनका राष्ट्रीयकरण करने की प्रस्थापना करती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : नहीं श्रीमान् ।

"मूल्य संरक्षण" नीति

*९४६. **श्री पी० रामस्वामी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २६ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा "मूल्य संरक्षण" नीति के अधीन खरीदे गये खाद्यान्न को बेचने के लिये क्या योजना बनायी गयी है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : "मूल्य संरक्षण" नीति के अधीन खरीदे गये चने की सारी मात्रा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में वितरित किये जाने के लिये अथवा वैभागिक-उपयोग के लिये राज्य सरकारों को दे दी गयी है । ज्वार तथा गेहूं के कुछ भण्डार भी बाढ़ ग्रस्त तथा अभाव पीड़ित क्षेत्रों के लिये राज्य सरकारों को दे दिये गये हैं । ज्वार के शेष भण्डार को मूल्य-कथन पत्र आमंत्रित करके बेचा जा रहा है । परन्तु गेहूं को केन्द्रीय भण्डार में बाद में कृषि वर्ष में तंगी के समय दिये जाने के लिये रख लिया गया है ।

सहकारी संस्थायें

*९५५. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में अभी तक कितनी सहकारी संस्थायें पंजीबद्ध हो चुकी हैं;

(ख) कितनी संस्थायें अभी पंजीबद्ध की जाने को हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि आदिमजातियों के व्यक्तियों द्वारा बनायी गयी किसी भी सहकारी संस्था को अभी तक पंजीबद्ध नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) एक सौ ।

(ख) बत्तीस ।

(ग) नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बम्बई-दिल्ली वायु-चर्या

*९५८. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय नवीन वायू पथ से अर्थात् बम्बई चिकलथाना-इंदोर-आगरा और दिल्ली के मार्ग से आने और जाने

वाले यात्रियों की औसत संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या इस वायू-चर्या को सप्ताह में दो दिनों के स्थान पर दैनिक रुप से चलाने की कोई प्रस्थापना है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) में अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक सभापटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २०]**

(ख) इस पथ पर यातायात की वृद्धि का भारतीय वायु-परिवहन निगम द्वारा ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जा रहा है और यातायात में हुई किसी भी वृद्धि का सामना करने के लिये वह बारम्बारिता में वृद्धि कर देने का विचार करता है।

नौघाट सेवा

*९६३. **श्री गिडवानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को श्रीलंका से मिलाने वाली धनुषकोटि और तलाई मनार के मध्य दक्षिणी रेलवे के द्वारा चलाई जाने वाली नौघाट सेवा कई वर्षों से हानि पर चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सेवा को १९५४-५५ में कितनी शुद्ध हानि हुई है ; और

(ग) इस सेवा पर हानि होने की सम्भावना को दूर करने के लिये क्या कार्य-वाहियां करने की प्रस्थापना की गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान।

(ख लगभग ५ लाख रुपये ।

(ग) भारत और श्रीलंका के मध्य सीधे ही बुक करने के प्रबन्ध अब की अपेक्षा और अधिक स्टेशनों के लिये बढ़ा देने और इस पथ की ओर अधिक माल यातायात को भेजने की प्रस्थापना है।

ग्रेंड ट्रंक एक्सप्रेस

*९६४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि १ जनवरी १९५५ से ३० जून, १९५५ तक की कालावधि में ग्रेंड ट्रंक एक्सप्रेस अपने निश्चित समय पर नहीं चलती रही है ; और

(ख) यदि हां, तो देरी से चलने के मुख्य क्या कारण थे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २१]**

रेलवे दुर्घटना

*९६६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ मई, १९५५ को रेवाड़ी-भटिंडा छोटी लाइन के सिरसा और बड़ा गुढ़ा स्टेशनों के बीच एक सवारी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई थी जिसके फल-स्वरूप अनेकों व्यक्ति घायल हुए ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). ४-५-१९५५ को (८-५-१९५५ को नहीं जैसा कि सवाल में कहा गया है) शाम के लगभग ६ बज कर २५ मिनट पर जब सवारी गाड़ी नं० २ बी० आर० बी० उत्तर रेलवे के सिरसा-भटिंडा मीटरगेज सैक्शन पर सिरसा और बड़ा गुढ़ा स्टेशनों के बीच जा रही थी, तो १४४/८ वें मील के लेवल क्रॉसिंग नं० १४९ पर मोटर ट्रक नं० पी० एन० जे० २८२९ गाड़ी के इंजन से टकरा गया। टक्कर इंजन के

बायीं ओर लगी । उस समय गाड़ी लेवल क्रासिंग पार कर रही थी । गाड़ी १४४/१४ वें मील पर जाकर रुक गयी ।

मोटर ट्रक में ड्राइवर और क्लीनर के अलावा दो आदमी और बैठे थे ।

गाड़ी या मोटर ट्रक में बैठा हुआ कोई आदमी न मरा और न घायल हुआ ।

समवायों द्वारा प्रबन्धित रेलवे

*९६७. **श्री एस० एल० सक्सेना** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मैसर्स मार्टिन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता द्वारा प्रबन्धित रेलवे लाइनों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें राज्य रेलवे के लिये निर्धारित किये गये स्तर की अपेक्षा बहुत नीची हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर भी सेवा की उन्हीं शर्तों के, जो कि राज्य रेलवे के कर्मचारियों पर लागू होती हैं, प्रवर्तन के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इसके सम्बन्ध में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

*९६९. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९५५ को जिनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३८ वें अधिवेशन में मुख्य रूप से किन किन मदों पर चर्चा की गयी थी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : सम्मेलन में जिन मुख्य मदों पर चर्चा की गयी थी, वे यह थे :—अंगहीन व्यक्तियों की व्यावसायिक पुनर्स्थापना, अविकसित देशों में प्रव्रजक श्रमिकों का संरक्षण, कृषि कार्य का व्यावसायिक प्रशिक्षण श्रमिकों के लिये कल्याणकारी सुविधायें और नौकरी के संविदा के भंग करने पर दण्ड दिये जाने की प्रणाली का उत्साहन । सम्मेलन के कार्य से सम्बन्धित एक विस्तृत प्रतिवेदन शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

सहकारी चीनी कारखाने

*९७३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ७ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सहकारिता के आधार पर चीनी के कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २२]**

गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन

४७३. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि शीघ्र ही गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में एक प्रयोगात्मक अग्रिम सेवा प्रारम्भ की जायेगी ;

(ख) क्या नौकायें केवल सामान ही ढोयेंगी अथवा सवारिया भी;

(ग) यह सेवा किस तिथि से प्रारम्भ होगी;

(घ) क्या यह परिवहन सभी ऋतुओं में चलता रहेगा; और

(ङ) यह सेवा माल परिवहन तथा सवारी परिवहन दोनों दृष्टि से रेलों में होने वाली भीड़भाड़ को कम करने में कहां तक सहायता करेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां । उपरि गंगा में पटना और इलाहाबाद के मध्य ।

(ख) केवल सामान ही ढोया जायेगा।

(ग) नौकाओं के निर्माण तथा संभरण के लिये टैण्डर प्राप्त हो चुके हैं । १९५६ में सेवाकार्य के प्रारम्भ कर दिये जाने की आशा है ।

(घ) जी, हां । केवल सूखी ऋतु के एक या दो मासों के अतिरिक्त ।

(ङ) यह तो उथले पानी में जहाज़ चलाने की प्रविधिक संभावना की जांच करने के लिये एक प्रयोगात्मक परियोजना है । यातायात क्षमता का अनुमान तो बाद में किया जायगा ।

पोस्ट मास्टर

४७४. श्री एन० बी० चौधरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल में ऐसे कितने डाक घर हैं जहां पर इस समय अध्यापक पोस्ट मास्टरों के रुप में काम कर रहे हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : पश्चिमी बंगाल में ४४८ अतिरिक्त विभागीय डाक घर अध्यापकों के प्रभार में हैं ।

यात्रियों को सुविधायें

४७५. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के सरकारी और जयनगर स्टेशनों के बीच किन-किन स्टेशनों पर तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये मुसाफिर-खाने और उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिये प्रतीक्षालय नहीं हैं;

(ख) उनमें से किन-किन स्टेशनों पर न तो मुसाफिरखाना ही है और न प्रतीक्षालय ही हैं; और

(ग) रेलवे प्रशासन उन स्टेशनों पर इन सुविधाओं की व्यवस्था कब तक करेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). सकरी, मधुबनी और जयनगर स्टेशनों पर तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये मुसाफिरखाने हैं सकरी और जयनगर के बीच पन्डौल, राजनगर और खजौली तीन स्टेशनों पर स्टेशन की इमारत का एक हिस्सा मुसाफिरखाने के काम में लाया जाता है ।

पन्डौल और खजौली को छोड़ कर सभी स्टेशनों पर ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिये प्रतीक्षालय हैं ।

(ग) १९५५–५६ में मधुबनी में ऊंचे दर्जे का एक अलग ज़नाना प्रतीक्षालय बनाने का विचार है । इस सम्बन्ध में इस समय कोई और काम करने का विचार नहीं है ।

होशियारपुर ज़िला डाकघर

४७६. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के होशियारपुर जिले में कुल कितने डाक-घर काम कर रहे हैं;

(ख) वहां १९५४–५५ में प्रयोगात्मक आधार पर कितने डाक-घर खोले गये थे; और

(ग) इन में से कौन कौन से डाक घर स्थायी बना दिये जायेंगे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ३५२ ।

(ख) सात ।

(ग) किसी भी प्रयोगात्मक डाकखाने को केवल उसी समय स्थायी बनाया जाता है जब कि उसकी वार्षिक हानि २४० रुपये या इससे कम होती है । प्रारम्भ में ही यह नहीं कहा जा सकता कि अन्त में कौन कौन से डाक-घर स्थायी बना दिये जायेंगे ।

कांगड़ा डाक घर

४७७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के कांगड़ा ज़िले में कुल कितने डाक घर काम कर रहे हैं ;

(ख) वहां १९५४–५५ में प्रयोगात्मक आधार पर कितने डाक घर खोले गये थे; और

(ग) इन में से कौन कौन से डाक घर को स्थायी बना दिया जायेगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ३१४ ।

(ख) २३ ।

(ग) किसी भी प्रयोगात्मक डाक घर को केवल उसी स्थिति में स्थायी बनाया जाता है जब कि उसकी वार्षिक हानि २४० रुपये अथवा इससे कम होती है । प्रारम्भ में ही यह नहीं कहा जा सकता कि अन्त में कौन कौन से डाक घर स्थायी बना दिये जायेंगे ।

फसल बीमा योजना

४७८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में फ़सल बीमा योजना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : फ़सल बीमा की अग्रिम परियोजना को सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा मुख्य रूप से वित्तीय आधार पर ही इस दर आने वाले खर्च को बांट लेने में अनिच्छा प्रकट किये जाने के कारण ही कार्यान्वित नहीं किया जा सका है । तथापि अविकसित देशों में भी इस योजना के अपनाये जाने की संभावना का परीक्षण करने के हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संघ द्वारा सन् १९५४ में विभिन्न देशों में फ़सल बीमा के लिये अपनाये गये उपायों का अध्ययन किया गया था और उक्त संघ द्वारा इस सम्बन्ध में एक विशेष लेख भी तैयार किया था और इस विषय के विभिन्न देशों के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श भी किया है । खाद्य और कृषि संघ से अन्तिम प्रस्थापनायें प्राप्त होने पर, इस मामले पर भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा पुनः विचार किया जायगा ।

आंध्र में ग्राम्य जल-संभरण योजना

४७९. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या आन्ध्र सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये नगरीय और ग्राम क्षेत्रों में जल संभरण तथा जल निकास सम्बन्धी कोई परियोजनायें भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो व परियोजनायें किस प्रकार की हैं; और

(ग) उन पर लगभग कितना खर्च आयेगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) ग्राम्य क्षेत्र :—

इकाइयों में रखे गये ग्रामों के समूहों में कुओं तथा गृह-टटियों का निर्माण।

नगरीय क्षेत्र :—

(१) प्रथम योजना में प्रारम्भ की गयी जल संभरण तथा जल निकास की कुछ एक योजनाओं को जारी रखना ।

(२) दो नयी योजनायें प्रारम्भ करना—एक जल संभरण के लिये और दूसरी जल के निकास के लिये ।

(ग) नगरीय योजनायें . ३२८·० लाख रुपया
ग्राम्य योजनायें . २२१·० लाख रुपया

डाक सेवायें

४८०. **श्री इब्राहीम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने नगरों में डाक तथा तार घर :

(१) रात्रि के नौ बजे तक;

(२) तमाम काम के दिनों तथा रविवार और अन्य छुट्टी वाले दिनों में दिन और रात, खुले रहते हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (१) १५ नगरों में २३ डाक घर तमाम काम के दिनों में, जिन में रविवार भी सम्मिलित हैं, किन्तु डाक विभाग की छुट्टियां सम्मिलित नहीं हैं, जो वर्ष भर में लगभग १६ होती हैं, रात्रि के ८॥ बजे तक खुले रहते हैं । १६९७ तार घर (अर्थात् विभागीय तरघर, संयुक्त तारघर तथा अनुज्ञप्त तार घर) तमाम काम के दिनों, रविवारों और छुट्टी वाले दिनों में रात्रि के ९ बजे तक खुले रहते हैं ।

(२) कोई भी डाक घर दिन और रात काम नहीं करता है । १०६७ तार घर काम के दिनों में दिन और रात खुले रहते हैं और १०३८ तार घर रविवारों और तार विभाग की छुट्टियों में दिन और रात खुले रहते हैं ।

रेलवे दुर्घटनायें

४८१. **श्री इब्राहीम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में पूर्वोत्तर रेलवे में कितनी रेल दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ख) कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और कितने घायल हुए हैं; और

(ग) क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलवे गाड़ियों की ५०० दुर्घटनायें हुई हैं; वर्गानुक्रम से ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

	यात्री	माल	अन्य	कुल
गाड़ियों का पटरियों से उतर जाना	गा० ५०	गा० १५३	गा० ४९	गा० २५२
टक्करें	९	५	—	१४
अन्य, अर्थात्;				
टक्करें जो बच गईं, पहले से भरी हुई लाइनों या गलत लाइनों पर गाड़ियों का ले लिया जाना, गाड़ियों का अलग हो जाना, फाटकों पर गाड़ियों का सड़क यातायात पर चढ़ जाना, गाड़ियों द्वारा खतरे के सिगनल को पार कर जाना, गाड़ियों में आग लग जाना, लाइन साफ़ न मिलने, या लाइन साफ़ का संकेत मिले बिना गाड़ियों का चल देना	७६	१२५	३३	२३४
योग	१३५	२८३	८२	५००

(ख)

मृत	२५
घायल बुरी तरह घायल	२८
छोटी चोटों वाले	२२८
योग	२५६

(ग) ४,३३९ रुपये १३ आने ।

टूटे फूटे यात्री डिब्बे

४८२. **श्री गिडवानी**-: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सेंट्रल स्टेशन पर फ़रवरी १९४९ और मार्च १९५० के बीच कुछ यात्री डिब्बों पर "टूटा फूटा" निशान लगाया गया था;

(ख) ये टूटे फूटे यात्री डिब्बे कहां खड़े किये गये थे;

(ग) क्या उन यात्री डिब्बों की बैटरियां और बिजली का सामान चुरा लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो वह कितने मूल्य का था; और

(ङ) इस लापरवाही के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) बदरा मार्शलिंग यार्ड में ।

(ग) जी, हां ।

(घ) ११,१५१ रुपये

(ङ) वाच एंड वार्ड इन्सपेक्टर की निन्दा की गई थी तथा सहायक इलेक्ट्रीकल फ़ोरमैन और उसके कर्मचारियों को भविष्य में अधिक सचेत रहने की चेतावनी दी गई है ।

नल-कूप

४८३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार तथा अन्य राज्यों के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में अब तक कितने नल-कूप लगाये गये हैं;

(ख) भविष्य में कितने नल-कूपों के लगाये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो वह क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस कार्य के लिये कितनी सहायता दी गई है अथवा दिये जाने का विचार है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ङ). केवल बाढ़ वाले क्षेत्रों के नलकूपों की अलग जानकारी इसी समय प्राप्त नहीं है और बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से मंगाई गई है । आमतौर से बारबार बाढ़ आने वाले क्षेत्रों में नल-कूप नहीं लगाये जाते है ।

जनता गाड़ियां

४८४. **डा० रामसुभग सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष किन रेलों पर दो और गलियारे वाली जनता गाड़ियां चालू की जायेंगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : उत्तरी और पूर्वी रेलवे पर दिल्ली और कलकत्ता के बीच प्रयोगात्मक आधार पर गलियारे वाले डिब्बों से बनी केवल एक गाड़ी चालू की जा रही है ।

डाक तथा तार विभाग की इमारतें

४८५. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से स्थानों पर डाक तथा तार विभाग की भूमि को डाक विभाग की इमारतें बनाने के लिये काम में नहीं लाया गया है और वहां विभाग का काम किराये पर ली हुई इमारतों में चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने भूमि खंड काम में नहीं लाये गये हैं; और

लोक-सभा

वाद-विवाद

शनिवार,
२० अगस्त, १९५५

18/X/23
Chamber Furnished

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही...)

खंड ६, १९५५

(१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)

सत्यमेव जयते

दसम सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड ६, अंक १६—३०, १६ अगस्त से ३ सितम्बर १९५५)

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५

स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति सरकार की नीति . . १३४३–१३५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन . . १३५०–१३५१

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम १३५१

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . १३५१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त . . . १३५१–१४०८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १४०९

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १४१०

गोआ स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . १४१०–१४

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १४१४–८९, १४८९–९२

सभा का कार्य १४८९

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन १४९३–९७

राज्य-सभा से सन्देश १४९७–९८, १५७७–७८

सभा-पटल पर रखा गया पत्र—

बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य १४९८–१५०३

गोआ के सम्बन्ध में वक्तव्य १५०३–१५०४

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के बारे में वक्तव्य . १५०४–१५०७

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १५०७–७६

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १५७९
भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम—
याचिका का उपस्थापन १५७९
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि १५७९–८०
समितियों के लिये निर्वाचन—
रबड़ बोर्ड १५८०
काफी बोर्ड १५८१
समवाय विधेयक—जारी
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का
प्रस्ताव—स्वीकृत १५८१–१६१६
श्री सी० डी० देशमुख १५८१–१६१६
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६१६–१६४२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६४२–४३
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक—
वापिस लिया गया १६४३–६८
विचार करने का प्रस्ताव १६४३–६८
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १६६८–८६

अंक २०—शनिवार, २० अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १६८७
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया . . १६८७
सभा-पटल पर रखा गया पत्र—
इंजीनियर स्टील फाइल उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रति-
वेदन १६८७–८८
कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६८८–८९
प्रेस आयोग के प्रतिदवेन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६८९–१७५८

अंक २१—सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . १७५९
रक्षित तथा सहायक वायुसेना अधिनियम के नियमों में संशोधन . १७५९–६०
बैंक पंचाट आयोग का प्रतिवेदन १७६०

बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य . . १७६१–६५
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—
संशोधित रूप में स्वीकृत १७६५–१८४४
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १८४४

अंक २२—मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
विकास-परिषदों के प्रतिवेदन—
(१) भारी रसायन (अम्ल और उर्वरक) . . . १८४५
(२) अन्तर्दहन एंजिन और बिजली से चलने वाले पम्प . . १८४५–४६
(३) साइकिलें १८४६
(४) चीनी १८४६
काफी नियम, १९५५ . . . . . १८४६
रबड़ नियम, १९५५ . . . . . १८४६
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १८४६–१९१८
खण्ड २, ३ और १ . . . . १९१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंडों पर विचार—
असमाप्त १९१९–५२
खण्ड २ से १० . . . . . १९२०–५२

अंक २३—बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . १९५३
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . १९५३–२०४४
खंडों पर विचार—असमाप्त . . .
खण्ड २ से १० . . . . १९५३–२०२२
खण्ड ११ से ६७ . . . . . २०२२–२०४४

अंक २४—गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २०४५–२१३८
खंड ११ से ६७ . २०४५–२०७९
खंड ६८ से ८० . . . २०७९–२१०२
खंड ८१ से १४४ . . . २१०२–२१३८

अंक २५—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण २१३९-४०
राज्य-सभा से सन्देश . . . २१४०-४१
एक सदस्य की मुअत्तली . . . . . २१४१—४४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २१४१,४४—९४
खंड ८१ से १४४ . . . . . २१४१,४४—९४
सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतीसवां प्रतिवेदन—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . २१९४—९७
वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—असमाप्त . २१९७—२२३२

अंक २६—मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . २२३३—३५
सदस्य की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत २२३५—३९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य का प्रतिवेदन १९५४-५५ . २२३९
केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निकाला गया बुलेटिन संख्या २२ . . २२३९
मैसूर की सोने की खानों सम्बन्धी विनियमों में संशोधन १९५३ . २२४०
खान नियम १९५५ . . . . . २२४०
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . २२४०-४१
राज्य-सभा से सन्देश . . . २२४१
कशाघात उत्सादन विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . २२४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
मुर्शिदाबाद के निकट रेलवे दुर्घटना . . . . २२४१—४४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २२४४—२३३०
खंड १४५ से १९६ . २२४४—९३
खंड १९७ से २०७ . . २२९३—२३३०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना २३३१
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्राक्कलन २३३१
राज्य सभा से सन्देश . . . २३३२

लोक लेखा समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . २३३२
सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . २३३२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन . . . २३३२—३९
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में— २३३९—२४३२
खंडों पर विचार—असमाप्त
खंड १९७ से २०७ . . . . . २३३९—२४१०
खंड २०८ से २५० . . . . . २४११—३२
रेलों का पुनर्वर्गीकरण . . . . . २४३२—४४

अंक २८—गुरुवार, १ सितम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
मशीनी पेच उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का
प्रतिवेदन आदि . . . . २४४५—४६
राज्य-सभा से सन्देश २४४६
सभा का कार्य २४५२
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २४४६—५२,२४५२—२५२२
खंड २०८ से २५० . . . २४४६—५२, २४५२—८८
खंड २५१ से २८३ . . . २४८८—२५२२

अंक २९—शुक्रवार, २ सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय श्रम सम्मेलन के चौदहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश २५२३
राज्य सभा से सन्देश . . . . २५२३—२४
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि २५२४
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त . . . . २५२४—८५
खंड २५१ से २८३ . . . . २५२४—८५
खाद्य पदार्थ मिश्रण दण्ड विधेयक—
वापिस लिया गया २५८५-८६
मोटर परिवहन श्रम विधेयक—पुरःस्थापित . . . २५८६
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
वापिस लिया गया— २५८६—२६०४
विचार करने का प्रस्ताव . २५८६—२६०४

अति आयु विवाह रोक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . . २६०४—२६२४
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २६२४—२६२९

अंक ३०—शनिवार, ३ सितम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश २६२९-३०
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में पटल पर रखा गया . २६३०-३१
एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . २६३१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २६३१—२७१६
खण्ड २८४ से ३२२ . . . . . २६३१—२७०९
खण्ड ३२३ से ३६७ . . . . . २७०९—१६
समेकित विषय-सूची (१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)
अनुक्रमणिका . . . . . .

लोक-सभा

शनिवार, २० अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये—भाग १)

१२.०६ म० प०

राज्य-सभा से सन्देश

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सन्देश प्राप्त हुआ है :—

"राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ९७ के उपबधों के अनुसार मैं, राज्य सभा द्वारा, अपनी १८ अगस्त १९५५ की बैठक में पारित परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक की एक प्रतिलिपि संलग्न करता हूं ।"

परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक

सचिव : श्रीमान्, मैं परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक को, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

इंजीनियर स्टील फाइल उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमान्, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी

की ओर से, मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन, निम्नलिखित प्रत्येक पत्र की एक एक प्रतिलिपि पटल पर रखता हूं :—

(१) इंजीनियर स्टील फाइल्स उद्योग पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५)

(२) १३ अगस्त १९५५ का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या १७ (३)—टी० बी०/५४

(३) १३ अगस्त १९५५ की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या १७(३)—टी० बी०/५४

(४) (१) से (३) तक के प्रलेखों को निर्धारित समय में पटल पर न रखे जाने के कारणों को प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६(२) के परन्तुक के अधीन, स्पष्ट करने वाला विवरण । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एस-२६०/५५]**

कार्य-मंत्रणा समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, कार्य मंत्रणा समिति के तेईसवें प्रतिवेदन से, जो १९ अगस्त १९५५ को सभा के समक्ष रखा गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार(तिरुप्पुर): मैं समय के आवंटन के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि किसी खण्ड के लिये आधा घंटा निर्धारित है तथा किसी के लिये एक घंटा ।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर पहले विचार किया जा चुका है तथा संभवतः कुल समय ६८ घंटे है ।

प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के तेईसवें प्रतिवेदन से, जो १९ अगस्त १९५५ को सभा के समक्ष रखा गया था, सहमत है । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब प्रेस आयोग के प्रतिवेदन पर अग्रेतर चर्चा होगी जैसा निश्चित हो चुका है सभा आज छः बजे सायं तक बैठेगी । हमें प्रत्येक सदस्य की समयावधि निश्चित कर लेनी चाहिये ।

कुछ माननीय सदस्य : १५ मिनट ।

अध्यक्ष महोदय : जब माननीय सदस्यों की यह इच्छा है तब ठीक है । श्री जोकीम आल्वा का समय आधा घंटा ही रहेगा मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वे १९ मिनट तक बोल चुके हैं ।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) कल मैं हूण, वन्दल, सीथियन लोगों के सम्बन्ध में बता रहा था कि उन्हों ने हमारे भारत देश में पत्र-कारिता पर आक्रमण नहीं किये थे उसी प्रकार मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि इन प्रैस के धनिकों ने भारत के समाचार पत्रों को हथिया रखा है ।२० धनिकों के, लगभग ८५ प्रतिशत समाचार पत्र नियंत्र करते हैं । इन में से कुछ धनिकों का नियंत्रण पी० टी० आई० तथा यू० पी० आई पर भी है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

कल मैंने बताया था कि स्टेट्समैन के सम्पादक श्री गान्सन ने यह कहा था यदि आयोग के इस प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू किया गया तो भारतीय समाचार-पत्र उद्योग को हानि होगी । टाइम्स आफ इंडिया के सामान्य प्रबन्धक श्री जैन ने भी इसी प्रकार विचार प्रस्तुत किये हैं । बम्बई राज्य के मंत्री तथा 'जन्मभूमि' के न्यासी का भी यही मत है कि सरकार को प्रेस आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों में से 'प्राइस पेज सैड्यूल' सम्बन्धी सिफारिशों को स्वीकार कर लेन चाहिये में लन्दन के 'डेली हेराल्ड' का उदाहरण देता हूं । यह श्रम दल का पत्र है परन्तु फिर भी श्रमदलीय नीति का प्रचार नहीं करता । क्यों? इस का कारण यह है कि इस के ५१ प्रतिशत अंश पूंजीपतियों के हैं तथा शेष ४९ प्रतिशत श्रम दल के हैं । इसीलिये मेरा मत है कि प्रेस के सेठों से नियंत्रित इन समाचार-पत्रों का भी यही हाल होगा । आप संसद् में बैठने वाले पी० टी० आई० के संवाददाताओं को ले लीजिये । इन को घर आदि की कोई सुविधा नहीं है यहां तक कि यह अपने मालिक के व्यय पर एक प्याला काफी भी नहीं पी सकते जबकि निदेशक बड़ी बड़ी धनराशि पा रहे हैं । इसलिये राज्याध्यक्ष आयोग की सिफारिश कि पी० टी० आई को जन-निगम बना दिया जाये, शीघ्र स्वीकार कर लेनी चाहिये । मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस आयोग की सिफारिशों को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकार करलें अन्यथा कभी ऐसा न हो कि मिश्र के समान यहां के प्रेस स्वामियों को भी किसी अन्य देश में जा कर आश्रय लेना पड़े ।

पृष्ठानुसार मूल्य प्रणाली के चालू होने पर छोटे छोटे प्रेस बन्द हो जायेंगे तथा बड़े

प्रेसों को भी डर रहेगा। लन्दन के 'डेली मेल' को महायुद्ध से पूर्व १,३०८ विज्ञापन एक दिन में मिलते थे परन्तु १९४७ में लन्दन के सभी विज्ञापन लन्दन से बाहर के प्रदेशों में जाने लगे।

दुर्भाग्यवश प्रेस आयोग का ध्यान विज्ञापनों की ओर नहीं गया मैं चाहता हूं कि विज्ञापन विदेशी संस्थाओं के हाथ में न रह कर भारतीय संस्थाओं के हाथ में रहें। १९५४ में विज्ञापनों पर भारत ने २,३१,४७,३५२ रुपये व्यय किये। परन्तु अमरीका हमसे कहीं अधिक धन विज्ञापनों पर व्यय करता है। तथा इसी कारण हमारी गोआ की नीति असफल है क्योंकि अमरीकी व्यापार की ओर अधिक ध्यान देते हैं। विश्व के सामरिक केन्द्रों को हथियाना अमरीका की नीति का मूल आधार है अमरीकी विदेशी नीति का आधार है।

इसके पश्चात् मैं फिर संवाददाताओं की ओर आता हूं। इन को आधी रात्रि के पश्चात् खाने, पीने, सोने आदि की सुविधायें प्रत्येक एयरोड्रोम, रेलवे स्टेशन तथा भारत के सभी बन्दरगाहों पर मिलनी चाहिये। ३०० स्नातकों को, आयोग के अनुसार प्रशिक्षित किया जायेगा तथा इनको नियुक्त भी अवश्य किया जायेगा। एक संवाददाता को निकालने से पूर्व मालिकों को सात बार उस के मामले पर विचार करना होगा। (१) चेतावनी देकर, (२) निन्दा करके, (३) वेतन वृद्धि रोक कर, (४) पदोन्नति रोक कर, (५) जबरदस्ती छुट्टी देकर, (६) मुअत्तल करके, (७) सेवा समाप्त करना; मेरे विचार से संवाददाताओं की यह बड़ी भारी जीत है। इसके अतिरिक्त वृद्ध संवाददाताओं को सुविधायें अवश्य देनी चाहियें क्योंकि वह नवयुवकों के समान कार्य नहीं कर सकते।

भारत राष्ट्र मंडल का सदस्य है परन्तु फिर भी ब्रिटेन के समाचार-पत्रों में केवल ०.५ प्रतिशत ही भारतीय समाचार होते हैं जबकि नीदरलैंड के समाचार-पत्रों ने भारत के समाचार-पत्रों को १.३ प्रतिशत स्थान दिया है।

प्रेस परिषद् की अत्याधिक आवश्यकता है इसके सभापति का नाम निर्देशन भारत के मुख्य न्यायाधीश को करना चाहिये तथा इस में संवाददाताओं आदि का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये। भारत के समाचार-पत्रों के प्रबन्ध बोर्डों में संवाददाताओं को स्थान मिलना चाहिये अथवा इन का सहकाय प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

समाचार-पत्रों के कागज तथा अन्य कागज के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि यह व्यापार सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिये जिस से चोर बाजारी समाप्त हो जाय। अन्यथा यह भय बना रहेगा कि कागज के कारखानों के मालिक कागज उन्हीं समाचार-पत्रों को देंगे जो उन के पक्ष में होंगे। राज्य व्यापारी निगमों के द्वारा इस का वितरण समाचार-पत्रों को होना चाहिये।

अन्त में मेरी माननीय मंत्री से यह प्रार्थना है कि उन्हें इनको शीघ्र लागू करना चाहिये तथा काम करने वाले समाचार-पत्रों को नगर में १ रुपया १ आना गज के हिसाब से भूमि भी देनी चाहिये।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): प्रेस आयोग ने सरकार को प्रतिवेदन एक वर्ष पूर्व प्रस्तुत कर दिया था परन्तु खेद की बात है कि इस पर चर्चा केवल अभी हो पाई है। लोक-सभा सचिवालय द्वारा दिये गये एक संक्षिप्त लेख के द्वारा हमें ज्ञात हुआ है कि माननीय मंत्री ने ८ सितम्बर १९५४ से अब तक आठ आश्वासन दिये हैं। पिछले वर्ष १३ नवम्बर को प्रधान मंत्री ने भी

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

बताया था कि १२० सिफारिशों में से अधिकांश सिफारिशें लागू की जायेंगी। इस वर्ष भी ३१ मई को प्रधान मंत्री ने इसी प्रकार का आश्वासन दिया था।

प्रारम्भ में ही मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं इस पक्ष में तो अवश्य हूं कि प्रेस आयोग की सिफारिशों को शीघ्रातिशीघ्र लागू कर दिया जाये परन्तु फिर भी मैं इस प्रतिवेदन को बिल्कुल ठीक नहीं समझता हूं। परन्तु फिर भी इस के द्वारा, यह साफ पता चलता है कि प्रेस में इस से जनतन्त्र की प्रस्थापना हो जायेगी।

कल श्री कृपालानी ने बताया था कि भारत की पत्रकारिता उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की उस को होना चाहिये। परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे पत्रकारों में कुछ इतने विद्वान हैं सामाजिक सुधार करना जानते हैं। तथा पत्रकारों का उद्देश्य यही होना चाहिये। परन्तु प्रेस के अधिकार समाप्त हो चुके हैं तथा अब भी सभी पत्रकार धनी होना चाहते हैं तथा सरकार और राजनीतिज्ञों पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। इसी कारण सरकार को शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये जिस से जैसा आचार्य कृपालानी ने कहा है पत्रकारिता का अधपतन रुक जाये। अमरीका में भी १५ मालिक ३०.१ प्रतिशत समाचारपत्र की बिक्री पर नियंत्रण रखते हैं। परन्तु भारत में ३१·२ प्रतिशत बिक्री १५ मालिकों के हाथ में है। अंग्रेजी के कुल ३६ समाचार-पत्र हैं परन्तु केवल ६ समाचार-पत्रों की ६५ प्रतिशत बिक्री है। बंगाली के छः समाचार-पत्र हैं। परन्तु दो समाचार-पत्रों की दो तिहाई बिक्री है। गजराती में १० समाचार-पत्र हैं परन्तु कुल बिक्री की आधी बिक्री ४ समाचार-पत्रों की है। मराठी में २१ समाचार-पत्र हैं परन्तु ३ की बिक्री कुल बिक्रीकी आधी से अधिक है। तामिल में दस समाचार-पत्र हैं और उन में से ३ का विक्रय कुल विक्रय का ८१ प्रतिशत है और पूंजीपति कौन हैं कोई नहीं जानता। वह तामिल नाममात्र को भी नहीं जानता, परन्तु अधिकतर समाचार-पत्र उसी के चलते हैं। भारत में ये पांच या पन्द्रह पूंजीपति समाचार-पत्रों के स्वामी होने के अतिरिक्त उद्योग के लगभग प्रत्येक भाग को केवल चलाते और प्रबन्धित ही नहीं करते ह, अपितु अखबारी कागज, विज्ञापन, वित्तीय साधन बक सुविधायें और प्रतिनिधि के स्थिति में सरकार के साथ सम्पर्कों के मामले में एकाधिकारी हैं। ऐसा अधिकार खतरनाक है और कोई आश्चर्य नहीं कि हमारा प्रेस अपने आवरण से गिर गया है। प्रेस आयोग ने रूढ़िवादिता के प्रति अपने समूचे पक्षपात सहित औद्योगिक विप्लव, मलिनता, अशिष्टता और यहां तक कि यदा कदा धोका का साधारण चित्र दिया है ताकि हमारा प्रेस उद्योग की अपेक्षा कूटयोजना अधिक प्रतीत होता है। यह कटनीति अवश्य समाप्त होनी चाहिये।

मैं देखता हूं कि संबद्ध लोग अपना प्रचार करते हुए फिर महान शब्द 'स्वतन्त्रता का छिपा छिपा प्रयोग कर रहे हैं। वर्तमान सरकार इसे ठीक रूप दे रही है। वर्तमान सरकार से मुझे कोई विशेष प्रेम नहीं है परन्तु मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं जो मर्यादा का बाहना बनाने वाली सरकार को अपनाने पड़ते हैं, और जहां तक प्रेस आयोग की सिफारिशों का संबंध है, उन का संबंध कुछ ऐसी बातों से है जिन्हें रोकने के लिये सरकार तुरन्त वैधानिक, कार्यपालिका और अन्य कोई कार्यवाही करती है। आयोग की सिफारिश में जिस भी वैधानिक या अन्य प्रकार की कार्यवाही का सुझाव है उन में से कोई भी जनता के हित की दृष्टि से अनुचित नहीं है। उदाहरणार्थ, पी० टी० आई

और यू० पी० आई० जैसी संस्थाओं के, लोक निगम, प्रेस परिषद् आदि आदि के लिये काम करने की न्यनतम स्थितियों को विधिवत बनाना किसी भी प्रकार हस्तक्षेप नहीं है। जनता की उन शिकायतों को दूर करने के लिये जो वह आज करना चाहती है सरकार को कम से कम इतना अवश्य करना चाहिये। ये सारी बातें एक दूसरे से संबद्ध हैं। और इसी कारण मैंने अपना यह सुझाव रखा है कि सारी सिफारिशों को लागू करना है क्योंकि आप यह नहीं कर सकते कि एक बात करदें और दूसरी न करें। उदाहरण के लिए आप प्रस्तावित प्रेस परिषद् पर विचार करें। जब तक कि श्रमजीवी पत्रकारों की काम करने की परिस्थितियों में सुधार नहीं होता तब तक इस का कोई लाभ नहीं है। प्रेस परिषद् में हम केवल प्रबन्ध सम्पादकों और समाचार-पत्रों के मालिकों को ही नहीं चाहते अपितु इन श्रमजीवी पत्रकारों का प्रतिनिधान भी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि प्रेस परिषद् ऐसी संस्था हो जो वास्तव में कार्य करने के समर्थ हो। कोई कारण नहीं है कि उस पूंजीवाद को और न रोका जाय जिस से भ्रष्टाचार फैलता है तथा अनेक प्रकार से झूठ फैलाया जाता है। प्रेस आयोग ने चार प्रतिशत लाभ की सिफारिश की है। यदि हमारी रेलें चल सकती हैं, यदि हमारे विद्युत् उपक्रम कामों पर कुछ सीमा रख सकते हैं, तो हम इस आयोग के लाभों पर सीमा क्यों नहीं लगा सकते। मैं जानता हूं कि यह सच है कि जहां तक छोटे छोटे समाचार-पत्रों का सम्बन्ध है, उन की वित्तीय स्थिति बुरी है। परन्तु वह अनुचित और असमान स्पर्धा के कारण है। छोटे छोटे समाचार-पत्रों को केवल पृष्ठानुसार जैसी आर्थिक विधि अपना कर बनाया जा सकता है।

जहां तक अन्य समाचार-पत्रों का सम्बन्ध है, आय, व्यय और लाभ के आंकड़े वे मालिक बताते हैं जिन्हें कभी इंग्लैंड में किसी ने प्रेस के 'शरीर हाथी' कहा था। स्वयं आयोग ने भी पैरा १४३ और १४४ में लाभों को छिपाने का उल्लेख किया है। छिपाने का यह उदाहरण डालमिया की समाचारपत्रमाला के संबंध में ज्ञात हुआ। यदि प्रेस आयोग के पास अधिक समय होता तो और भी अपवादक बातें विदित होतीं।

बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और इलाहाबाद में चलने वाले अनेकों पत्रों के पृथकीकरण की सिफ़ारिश की गई है जो प्रत्येक इकाई के हित और दृढ़ता में होने के साथ साथ सरकार के भी हित में है जिसे न्यायोचित कर मिलता है इसका अभिप्राय उस साहसिक जैसे कार्य की ओर चपल मोड़ को रोकना है जो एक समाचार-पत्र ने किया था और जिस के परिणामस्वरूप १९५३ में कलकत्ता में 'दी टाइम्स आफ इंडिया' तथा उस के सहायक पत्र एकदम बन्द हो गये। इस सम्बन्ध में मैं देखता हूं कि एक पत्र ने ऐसा व्यवहार किया कि जुलाई में इस में कार्य करने वाले १२४ पत्रकारों ने मंत्री महोदय को प्रार्थना पत्र भेजा जिन्हों ने उस मामले पर विचार करने का वचन दिया है। मैं आशा करता हूं कि वह ऐसी कार्यवाही करेंगे जो इन निकृष्ट लोगों को उचित शिक्षा देगा।

पृष्ठानुसार मूल्य के बारे में, मेरा ख्याल है कि स्वदेशीय भाषा के समाचार-पत्र संस्था पूर्णतया इस के पक्ष में है, क्योंकि उन का कहना है कि अन्यथा छोटे छोटे समाचार-पत्र बाजार से निकाल दिये जायेंगे और वे वेतनों तथा कार्य करने की परिस्थितियों सम्बन्धी सिफारिशें कार्यान्वित न कर सकेंगे। अपनी बात की पुष्टि के लिये मैं कुछ उदाहरण देता हूं। उदाहरणार्थ दिल्ली को लीजिये। यहां एक समाचार-पत्र डेढ़ आने में और दूसरा २।। आने में क्यों बिकता है? इसी प्रकार अन्य स्थानों क भी उदाहरण हैं।

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

इस का कारण यह है कि वे बाजार में छा जान चाहते हैं । इस के लिये वे 'क्रासवर्ड' (वर्ग पहेलियों) आदि के साधन अपनाते हैं । इस प्रकार वे सारे राष्ट्र के मत पर नियंत्रण करना चाहते हैं और उस के द्वारा राष्ट्र के विधान पर नियंत्रण करना चाहते हैं । यही कारण है कि वे लोग, जो धनोपार्जन में और भी उच्चता प्राप्त करना चाहते हैं इस चाल में सम्मिलित हो रहे हैं । अतः पृष्ठानुसार मूल्य के मामले पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : आयोग ने सारिणी को स्वीकार नहीं किया है उसने केवल इस के सिद्धान्त को माना है । सारिणी केवल दृष्टान्त रूप से दी गई है ।

श्री एच० एन० मकर्जी : जहां तक प्रबन्ध सम्पादक पदों का प्रश्न है, मैं हृदय से उस पर दुःख प्रकट करता हूं । सर्व प्रकार के प्रबन्ध अभिकरण की भान्ति ये प्रबन्ध सम्पादक पद भी अवश्य समाप्त होने चाहियें क्योंकि ये प्रबन्ध सम्पादक न तो पत्रकारिता को संभाल सकते हैं और न ही अपना जीवन निर्वाह के लिये कुछ लिख सकते हैं। परिणाम यह है कि वास्तविक सम्पादक पूर्णतया उन की दया पर निर्भर होते हैं ।

प्रबन्ध सम्पादक लोगों ने जो रवैया अपनाया है उस से कई वर्षों की सेवाकाल वाले लोगों को नौकरी से तुरन्त निकाल दिया जाता है और कई योग्य व्यक्ति उन की आशंकामात्र का शिकार हो जाते हैं ।

ज्योतिष सम्बन्धी भविष्यवाणी और अन्य बातों के बारे में, प्रेस आयोग ने अपना बड़ा कठोर मत दिया है और मैं चाहता हूं कि इस बारे में कुछ किया जाये । यही कारण है कि यह सिफारिश भी .....

डा० केसकर : आप ज्योतिष सम्बन्धी भविष्यवाणियां कैसे समाप्त करना चाहते हैं ?

श्री एच० एन० मकर्जी : इस के लिये प्रेस परिषद् है ।

अब, मैं पी० टी० आई० और यू० पी० आई० समाचार अभिकरणों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । समाजवादी ढंग के समाज संबंधी सरकारी घोषणा की दृष्टि से मैं महसूस करता हूं कि इन दोनों अभिकरणों का हमें पुनःसंगठन अवश्य करना चाहिये । जहां तक यू० पी० आई० का सम्बन्ध है, यह देशभक्ति के समर्थन से आरम्भ हुई और बाद में इस में एक 'शरीर हाथी', जिस का उल्लेख मैं पहिले भी कर चुका हूं, घुस गया जो उस उप-समिति का सभापति है जो इस यू० पी० आई० को नियन्त्रित करती है । उसे उप-समिति के अन्य दो सदस्यों पर निषेधाधिकार प्राप्त है । इस सम्बन्ध में मुझे वह बातें याद आ जाती हैं जो टेलीप्रिन्टर के बारे में हो रही हैं । प्रेस आयोग ने इस बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्हें टेलीप्रिन्टरों के दुरुपयोग के उदाहरण मिले हैं । मैं यह जानने का प्रयत्न करता रहा हूं कि सरकार ने क्या कड़ी कार्यवाही की है । और मुझे विदित हुआ कि इस सत्र में श्री एम० एल० द्विवेदी ने १२ अगस्त १९५५ को एक प्रश्न संख्या ६९२ में पूछा था । उस अवसर पर संचार मंत्री ने कहा था कुछ टेलीप्रिन्टर सर्किट्स, जहां उनका दुरुपयोग होता पाया गया था, संबद्ध समाचार अभिकरणों से हटा लिये गये हैं । फिर, अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था : "पी० टी० आई० और यू० पी० आई० समाचार एजेन्सियों के पास टेलीप्रिन्टर थे । यू० पी० आई० के पास नई दिल्ली से भटिंडा, नई दिल्ली से मुजफ्फर नगर और नई दिल्ली से लुधियाना सर्किट्स थे जिन को इस समाचार एजेंसी से हटा लिया गया है । पी० टी० आई० के पास बम्बई-इन्दौर की टेलीप्रिन्टर लाइन

थी, उस को भी 'डिस्कनैक्ट' कर दिया है। यह ऐक्शन इन सर्किटों पर दुरुपयोग बंद करने के खातिर किया गया।"

तत्पश्चात् एक और प्रश्न पूछा गया कि इन अभिकरणों के विरुद्ध और कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है तब मंत्री महोदय ने कहा था :–

"माननीय सदस्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि दोनों समाचार एजेंसियों की महत्वपूर्ण एजेंन्सियां हैं जो देश के विभिन्न समाचार पत्रों को समाचार देती हैं और हमारी यह इच्छा है कि उन को हम अधिक से अधिक सुविधा दे सकें और इस कारण टेलीप्रिन्टर सर्किट्स की उन की मांग पर विचार करते समय हमें उन सारी चीजों को अपनी दृष्टि के सामने रखना पड़ता है।"

मैं इसका बुरा नहीं मानता कि हमारे मंत्री महोदय ने इन एजेंसियों को बड़ी "महत्व-पूर्ण एजेंसियां" कहा है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि उन के बारे में क्या किया जायेगा, और यदि उन पर हमें विचार करना है तो, निश्चय ही इस बारे में कुछ करना पड़ेगा।

पत्रकारों की काम करने की परिस्थितियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस में सन्देह नहीं कि प्रेस आयोग ने इस प्रश्न पर विचार करने में बड़ा परिश्रम किया है। उनका जो निष्कर्ष है वह श्रमजीवी पत्रकारों की फीड्रेशन की मांग की अपेक्षा बहुत कम है। हमें विदित हुआ है कि छिपे छिपे यह प्रयत्न किया जा रहा है कि प्रेस आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित न की जायें। कुछ लोग यह भी सुझाव देने लगे हैं कि प्रादेशिक बोर्ड हों और दक्षिण के लोगों को उत्तर के लोगों की अपेक्षा पर्याप्त कम वेतन दिया जाये साधारणतया स्वीकृत सिद्धान्तों के आधार पर प्रेस आयोग ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं कि :– पत्रकार को कम से कम १५० रु० से २२५ रु० तक, स्थानानुसार, मिलने चाहिये, और यदि वह दिल्ली जैसे मंहगे नगर में काम करता हो तो कुछ और सुविधायें उसे दी जानी चाहियें।

कभी कभी यह कहा जाता है कि मालिकों के पास धन ही नहीं है। मालिकों ने विज्ञापनों के जो आंकड़े दिये हैं उन्हीं से हम देखते हैं कि सन् १९५२ से सन् १९५४ तक विज्ञापनों से होने वाली आय में वृद्धि होती रही है। अतः मालिकों को यह कहने का कोई कारण नहीं है कि उन में भुगतान करने की क्षमता नहीं है। यदि उन में क्षमता नहीं है तो उन्हें यह कार्य छोड़ देना चाहिये।

मंत्री महोदय से मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि अब तक, वह यह आश्वासन देते रहे हैं कि कार्यान्विति बहुत जल्दी होगी। प्रधान मंत्री ने भी 'अधिक समय व्यतीत होने के पूर्व' शब्दों का प्रयोग किया था। हम अब यह जानना चाहते हैं कि प्रेस आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें कब और कैसे कार्यान्वित की जायेगा।

अन्त में मुझे यह कहना है कि हमारे देश के पत्रकारों को इस के साथ ही कि उन्हें सरकारी आश्वासनों पर विश्वास करना है, उन्हें स्वयं ही चौकस रहना चाहिये, क्योंकि उन के चौकस रहे बिना उन के मामले में सामुदायिक लाभ से कोई लाभ न होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री नटेशन (तिरुवल्लूर) : सर्वप्रथम मैं आशा करता हूं कि 'ठग', पिंडारे' 'सांप' आदि शब्दों को सदस्य इस सभा में प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भी स्थिति का वर्णन करते हुए इतने कठोर शब्दों के प्रयोग से कोई लाभ नहीं है।

जहां तक प्रेस आयोग की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इसका बहुत अधिक संख्या में लोगों न, यहां तक कि

[श्री नटेशन]

समाचार पत्रों से सम्बन्धित व्यक्तियों ने भी, स्वागत किया है। सर्वप्रथम पी० टी० आई० को बदल कर एक निगम बनाने के बारे में मेरा निवेदन है कि प्रेस आयोग के सब से विख्यात व्यक्ति भी इस के औचित्य को सिद्ध नहीं कर सके। पी० टी० आई० की स्थापना केवल १९५१ में की गई थी। जरूरी है कि इस में कुछ कुप्रबन्ध तथा कदाचार की बातें आ गई हों। यह बात स्वयं निदेशकों को भी ज्ञात है सबसे पहले तो उन्हें यूरोपियन प्रबन्धक की सेवा से वन्चित होना पड़ा था, बाद में भारतीय प्रबन्धक को भी निकालना पड़ा जिस के बाद मुख्य लेखापाल (चीफ एकाऊंटेंट) की बारी आई। इन बातों में कुछ न कुछ समय लगता है। प्रेस आयोग ने इस बारे में पी० टी० आई० के प्रति न्याय नहीं किया। फिर जिन व्यक्तियों को 'समाचारपत्रों के सेठ' कहा गया है उनके बारे में भी सामान्य बैठक में बोर्ड से निकाला जा सकता है। मैं यह नहीं समझ सका कि जब इन लोगों के प्रति अविश्वास का कोई प्रस्ताव पास नहीं होता, तब प्रेस आयोग को इस बारे में निगम की स्थापना की सिफारिश करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी।

एक और कारण जिस से पी० टी० आई० से विभेदपूर्ण बर्ताव नहीं होना चाहिये, यह है कि संसार की सभी बड़ी बड़ी समाचार एजेंसियों का प्रबन्ध स्वयं समाचारों पत्रों के हाथों में है। आप निगम बना भी लें तो क्या होगा ? वही 'सेठ' फिर इस में आयेंगे। यदि आप का विचार है कि इन लोगों का सरकार तक रसूख है तो यह रसूख तो निगम बनने के बाद भी बना रहेगा। फिर इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं कि यह निगम संतोषजनक ढंग से काम करेगा।

श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि निश्चय ही वे अपने पेशे के प्रति वफादार रहे हैं। आज प्रेस का जो सम्मान है, वह इन्हीं लोगों के परिश्रम के कारण है। मेरी समझ से कोई कारण नहीं कि श्रमजीवी पत्रकार सौदेबाजी में पड़ें। उनका पेशा बिल्कुल और प्रकार का है। यह एक बहुत सम्मानपूर्ण पेशा है तथा इन पत्रकारों को मजदूर या कर्मचारी नहीं समझा जा सकता। यदि कोई व्यक्ति अपना काम ठीक प्रकार से करता है तो कोई कारण नहीं कि मालिक उसे नौकरी से निकाल दे। श्रमजीवी पत्रकार का स्थान बहुत ऊंचा है। वह भारत के राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री से समता के आधार पर बात कर सकता है।

मैं स्वयं एक मालिक हूं तथा जानता हूं कि कर्मचारी को उसकी उचित मजदूरी मिलनी चाहिये। फिर भी मैं नहीं चाहता कि पत्रकार मजदूर बन जाय तथा संसद् सदस्यों से अपनी दशा सुधारने की याचना करता फिरे। मैं नहीं चाहता कि पत्रकार इतना अधम बन जाय।

पूछा गया है कि उस के प्रति न्याय कैसे हो। मेरा विचार यह है कि जिस पत्रकार ने अपने पत्र की ख्याति को बढ़ाया हो, मालिक उसे उचित वेतन देने में विवश हो जाता है। फिर प्रेस परिषद् की स्थापना का सुझाव भी दिया गया है। परिषद् मालिकों तथा श्रमजीवी पत्रकारों के झगड़ों को निबटा सकती है। मैं इस परिषद् सम्बन्धी सुझाव का समर्थन करता हूं। परन्तु इस परिषद् को भारत की दूसरी न्यायपालिका नहीं बना देना चाहिये। इसे इतनी अधिक शक्तियों का देना एक गलत बात होगी। वर्तमान स्थिति में हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि लोग बिना सोचे समझे आरोप न लगा सकें और न ही जल्दबाजी में आन्दोलन प्रारम्भ कर सकें।

श्री जोकीम आल्वा : इंग्लैंड की प्रेस परिषद् के सम्बन्ध में आप का क्या विचार है ?

श्री नटेशन : मुझे इंग्लैंड की प्रेस परिषद् से कोई दिलचस्पी नहीं है । मैं चाहता हूं कि यहां की प्रेस परिषद् वर्तमान प्रक्रम में अधिकरण की बजाय मंत्रणा समिति के रूप में काम करे ।

अब पृष्ठों के हिसाब से समाचार पत्रों के मूल्य की बात लीजिये । छोटे अखबार चाहते हैं कि अखबारों का मूल्य पृष्ठों के हिसाब से हो । इस के पक्ष में यह दलील दी जाती है कि छोटे अखबार बड़े अखबारों का मुकाबला नहीं कर सकते । मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि दिल्ली में एक अखबार डेढ़ आने में बिकता है जब कि बाकी सब का मूल्य दो दो आने है । मैं ने तो यह देखा है कि जो लोग २ आने वाला अखबार खरीदना चाहते हैं वे उसी को खरीदते हैं और जो डेढ़ आने वाला खरीदना चाहते हैं वे उसी को खरीदते हैं । छोटे अखबारों का ख्याल है कि यदि पृष्ठों के हिसाब से मूल्य हो और बड़े अखबार ८ से अधिक पृष्ठों के न हों तो कुछ विज्ञापन उन्हें और मिल जायेंगे । मेरा विचार है कि यह धारणा गलत है ।

आखिर आठ, बारह या सोलह पृष्ठों वाले अखबारों का कुछ तो प्रयोजन रहता है । उदाहरण के लिये वे श्री नेहरू के रूस के दौरे के फोटो छापते हैं और उन का प्रचार करते हैं । यदि उन के पृष्ठों की संख्या ६ कर दी जाये तो तस्वीरें नहीं छपेंगी । उदाहरण के लिये श्री जोकीम आल्वा के भाषण के साथ उन का चित्र भी छपे तो वह समाचार फौरन दिमाग में बैठ जाता है । इसलिये चित्रों का छपना नितान्त आवश्यक है । पृष्ठ कम कर दिये जायें तो संसद् के अधिकतर सदस्यों के भाषण छपने से रह जायेंगे ।

डा० एस० एन० सिंह : आप बड़े बड़े समाचारपत्रों के मालिकों का समर्थन कर रहे हैं जिस से कि वे आप का चित्र छाप दें ।

श्री नटेशन : मैं यही चाहता हूं । मैं व्यापारी हूं और चाहता हूं कि मेरा प्रचार हो । मैं माननीय सदस्यों को यह समझाने की चेष्टा कर रहा हूं कि व्यापार नाम की भी कोई चीज़ है, स्पर्धा भी है और जनता की राय भी कुछ है ।

मेरा कहना यह है कि प्रचार के इस युग में समाचारपत्रों का मूल्य पृष्ठों के हिसाब से निर्धारित करना बहुत हानिकारक है । क्या आप ऐसे समाचार-विन्यास को समाप्त करना चाहते हैं जो पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है । आप विन्यास को कम करेंगे तो शीर्षक भी कम हो जायेंगे और उन लोगों को कठिनाई होगी जो केवल शीर्षक पढ़ कर ही पत्र छोड़ देते हैं । ऐसा करने से छोटे समाचार-पत्रों को कोई लाभ नहीं होगा । मैं माननीय सदस्यों को इसी बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं ।

यदि आप पृष्ठों की संख्या के हिसाब से मूल्य निर्धारित करें और एक पैसा प्रति पृष्ठ मूल्य रखें तो आठ पृष्ठ के समाचार पत्र का मूल्य दो आने होगा फिर विज्ञापनों का क्या बनेगा । वे भी तो जनता के लिये होते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : पृष्ठों की संख्या कम कर के हीं इन लोगों को विज्ञापन ऐजटों के चंगुल में फसने से बचाया जा सकता है ।

श्री नटेशन : नहीं, ऐसी बात नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप १२ पृष्ठ के अखबार को कम कर के ८ पृष्ठ कर देंगे तो इस का अर्थ यह होगा कि इन चार पृष्ठों को तैयार करने वाले लोग—कम्पोजीटर, लिथोग्राफर आदि बेकार हो जायेंगे । कहा

[श्री नटेशन]

जाता है कि ये बड़े समाचारपत्र बहुत मुनाफे कमा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि अखबारी कागज का भाव इतना अधिक होने पर इतना मुनाफा कमाया जा सकता है? आज कल अखबारी कागज ६० पौंड प्रति टन के हिसाब से बिकता है। क्या आप समझते हैं कि छोटे समाचारपत्र इतना मंहगा कागज खरीद सकते हैं? और फिर धन जैसी कोई वस्तु नहीं। आप के पास धन हो तो आप कम धन वालों की सहायता कर सकते हैं। छोटे अखबारों को कुछ नियम आदि ढीले कर के सहायता दी जा सकती है। क्या आप समझते हैं कि हिन्दू, मेल, टाइम्ज आफ इंडिया या स्टेट्समैन का मुकाबला किया जा सकता है? छोटे समाचार पत्र उनके स्तर तक नहीं पहुंच सकते।

और फिर यह इंग्लैंड नहीं है जहां प्रत्येक छोटे नगर में समाचारपत्र हैं। भारत के प्रत्येक छोटे नगर में इस प्रकार अखबार नहीं चलाए जा सकते। बड़े अखबार चाहे बुरे हो परन्तु उन की आवश्यकता तो है। उन्हें विनियमों के आधीन लाइये जैसे कि समवाय विधेयक में प्रबन्ध अभिकर्ताओं पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। इन्हें समाप्त कर के छोटे अखबारों को सहायता नहीं दी जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : सारे प्रतिवेदन में छोटे समाचारपत्रों की सहायता करने का और कोई तरीका नहीं बताया गया?

श्री नटेशन : और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। ये आवश्यक पूंजी के बिना अपना काम चला रहे हैं। तो इन्हें कठिनाइयां होंगी ही। बड़े समाचारपत्रों के मालिकों ने अपने प्रयत्नों से पैसा कमाया है परन्तु हमारी समस्या तो यह है कि छोटे समाचार पत्रों की सहायता कैसे की जाये। सरकार को, मंत्रालय को और हम सब को मिल कर सोचना चाहिये कि हम देशीय भाषाओं के समाचारपत्रों का स्तर कैसे ऊंचा कर सकते हैं। परन्तु बड़े पत्रों की निन्दा न कीजिये। हमें प्रचार की जरूरत है जिसे ये बड़े पत्र पूरा करते हैं।

यह दुःख की बात है कि ऐसी प्रवृत्ति चल पड़ी है कि जो भी अच्छी बात है उसे बन्द किया जाये नहीं तो यही समझा जाता है कि सदस्यों ने अच्छा काम नहीं किया। अच्छा यह है कि हम अमीर आदमियों को बना रहने दें। वही आप के समर्थक हैं। आप उन्हें समाप्त करेंगे तो स्वयं भी समाप्त हो जायेंगे। परन्तु साथ ही छोटे आदमियों की भी सहायता कीजिये।

श्री भागवत झा आजाद : गरीबों के प्रति मेहरबानी मत दिखाइये।

श्री नटेशन : हां, मेहरबानी है। वे भी मानव हैं, हम भी मानव हैं हम भी मेहरबानी करना चाहते हैं।

और फिर आप चाहते हैं कि समाचार पत्रों पर उन के मालिकों के नाम भी हों। ऐसा करना ठीक है परन्तु इस का कोई और मतलब न लगाइये। यह सोचना बुरी आदत है कि क्योंकि कुछ व्यापारी ऐसा कर रहे हैं इस लिए दाल में काला अवश्य होगा।

कुछ और सुझाव दिये गये हैं। मैं चाहता हूं कि हम उन पर विचार करें और जहां तक सम्भव हो उन्हें स्वीकार करें। मेरी समझ में नहीं आता कि प्रेस आयोग पी० टी० आई० के प्रश्न को क्यों उचित रूप से नहीं निबटा पाया है। रायटर से पी० टी० आई० बनने का उल्लेख न करना गलत है। इस में तीन वर्ष लगे और कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य रही होगी। मुझे हैरानी है कि प्रेस आयोग ने जिस में इतने प्रमुख व्यक्ति थे, ऐसा गम्भीर निर्णय किया है।

श्री टी० एन० सिंह (जिला बनारस-पूर्व) : में माननीय वक्ता को यह बताना . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को भी बोलने का अवसर मिलेगा, औरों को बोलने दीजिये ।

श्री नटेशन : धन्यवाद, मुझे विश्वास है कि मैं ने जो कुछ कहा है श्री टी० एन० सिंह उस का खण्डन कर सकते हैं । मेरा विचार है कि प्रेस आयोग के लिये यह सुझाव देना गलत था कि एक निगम बनना चाहिये । पी० टी० आई० में कोई अन्याय नहीं हुआ । प्रत्येक पत्र से एक निदेशक प्रति वर्ष उस में लिया जाता है । पी० टी० आई० में छोटे छोटे समाचारपत्रों से भी निदेशक लिये जाते हैं । एक मराठा पत्रिका के डा० परुलेकर पी ० टी० आई० के निदेशक थे । उन का कहना है कि उन्हें कोई अवसर नहीं दिया गया ।" यह हैरानी की बात है कि आयोग ने सरसरी तौर पर इस मामले को निबटा दिया और यह सुझाव रखा ।

श्री सी० सी० शाह (गोहिलवाड़-सोरठ) : मैं प्रेस आयोग का दो एक महत्वपूर्ण सिफारिशों पर ही अपने विचार प्रकट करूंगा । उस से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आयोग का प्रतिवेदन इतना विस्तृत निष्पक्ष और वास्तविक है कि इस से अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती कि सरकार आयोग की सभी मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर ले । और उन्हें यथाशीघ्र लागू करे । आशा है कि माननीय मंत्री ऐसा ही करेंगे ।

पृष्ठों की संख्या के अनुसार समाचार पत्रों का मूल्य निर्धारित करने का विषय बहुत विवाद ग्रस्त है । इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों के मालिकों का रवैया उन के पृष्ठों की संख्या या बिक्री और परिस्थितियों के आधार पर बदलता रहा है । कुछ अंग्रेजी दैनिकों न इस बात का समर्थन किया है कि समाचारपत्रों का मूल्य पृष्ठों के अनुसार हो । और कुछ न विरोध । अधिकतर छोटे अखबार इस के पक्ष में हैं । आप देखेंगे कि कुछ लोग पहले इस के पक्ष में थे परन्तु अब इस का विरोध कर रहे हैं । मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस प्रश्न पर क्यों बोल रहा हूं । मैं सौराष्ट्र न्यास का सदस्य हूं जो सात समाचार पत्र चलाता है और जिस में गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस के प्रधान भी श्री के० एन० देसाई, श्री बलन्वत सिंह मेहता और श्री खीमजी भी हैं जो कि इस सभा के सदस्य हैं । इस के प्रबन्धक श्री शान्ति लाल शाह हैं जो बम्बई के श्रम मंत्री हैं । मैं यह बातें सिद्ध करने के लिये बता रहा हूं कि ये पत्र लाभ कमाने के लिये नहीं वरन् जन सेवा की दृष्टि से चलाये जा रहे हैं । मेरा अनुभव है कि यदि पृष्ठों की संख्या के हिसाब से मूल्य निर्धारित करने की पद्धति सरकार ने न चलाई तो देशीय भाषाओं के अखबारों की हालत बिगड़ जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : हिन्दी और प्रान्तीय भाषाओं का प्रचलन बढ़ने से क्या ऐसा नहीं होगा कि अंग्रेजो के समाचारपत्र न बिकें ?

श्री सी० सी० शाह: मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार को इस प्रश्न पर विचार करते समय देशीय भाषाओं के समाचारपत्रों की आवाज पर अधिक ध्यान देना चाहिये । मैं आप को मराठी और गुजराती के पत्रों का अनुभव बताता हूं । अहमदाबाद में दो पुराने गुजराती दैनिक थे जिन का मूल्य दो दो आने था । एक नया अखबार वहां निकला जिस की आय वर्ग पहेलियों से थी और जिस का मूल्य एक आना था । अब पुराने अखबारों के पास भी सिवाय मूल्य घटाने के और कोई रास्ता नहीं था । उन्हों ने पहले अपना मूल्य घटा कर डेढ़ आना किया और अब एक आना कर दिया है । यह स्पर्धा चल रही है । आप सोच सकते हैं कि इस का परिणाम क्या होगा ।

उसी व्यक्ति ने वड़ौदा में भी एक दैनिक प्रारम्भ कर दिया और उस का मूल्य घटा

[श्री सी० सी० शाह]

दिया । इस का फल यह हुआ कि वहां के ६० वर्ष पुराने एक समाचार पत्र को बन्द होना पड़ा ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो क्या किसी व्यक्ति को समाचारपत्र के लिये अनुज्ञप्ति देते समय सरकार यह देखे कि उसे सम्पादन, अग्रलेख लेखन आदि आता है जिस से कि केवल श्रम जीवी पत्रकार ही अखबार शुरू कर सकें ?

श्री जोकीम आल्वा : उन का कहना तो यह है कि वर्ग पहेलियों वाले समाचारपत्रों ने पुराने समाचारपत्रों को समाप्त कर दिया है जो राष्ट्रवाद की सेवा में रत रहे हैं ।

श्री सी० सी० शाह : वर्ग पहेली वाले समाचारपत्र ही नहीं, एक ही मालिक के कई कई समाचारपत्र हैं जो बहुत समय तक अपना मूल्य घटाए रख कर हानि सहन कर सकते हैं । वे या तो स्वयं समाप्त हो जाते हैं या अपने प्रति-स्पर्धियों का गला घोंट देते है । तो इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा का यह फल होता है ।

इसी प्रकार सूरत में एक धनी व्यापारी ने एक समाचारपत्र प्रारम्भ किया है जो एक आने में आठ दस या बारह पृष्ठ देता है । आज कल कोई भी समाचारपत्र हानि उठाये बिना ऐसा नहीं कर सकता । बम्बई में भी ऐसा ही हुआ । वहां गुजराती के तीन दैनिक हैं जिन में से एक ने अपना मूल्य ढाई आने से घटा कर एक आना कर दिया । दूसरे पत्रों को भी मूल्य घटाना पड़ा परन्तु वह पत्र देर तक ऐसा नहीं कर सका । बम्बई के अंग्रेजी दैनिकों में भी परस्पर ऐसी स्पर्धा चल रही है । पता नहीं वे कब तक ऐसे चल सकेंगे ।

हम (सौराष्ट्र न्यास) एक मराठी पत्र भी चला रहे हैं । १९४९ में एक नया पत्र निकला जो बिकता एक आने में था परन्तु जिस की आय वर्ग पहेलियों से बहुत थी । फल यह हुआ कि हमें अपने पत्र का मूल्य दो आने से घटा कर एक आना करना पड़ा और हमें घाटा पड़ रहा है । श्री आल्वा ने प्रमुख मराठी दैनिक "नवकाल" और "प्रभात" का उल्लेख किया है जिन्हें बन्द होना पड़ा ।

मेरा निवेदन यह है कि इन सब बातों का परिणाम यह होता है कि पुराने पत्रों—मेरा संकेत देशीय भाषाओं के पत्रों की ओर है—की अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है । कुछ लोग कम दामों का पत्र चला लेते हैं और या तो उन का पत्र नहीं रहता और या बाकी समाप्त हो जाते हैं । इस के अतिरिक्त अन्य बुराईयां भी हैं जिन का उल्लेख आयोग ने किया है ।

श्री नटेशन ने कहा है कि पृष्ठों की संख्या के अनुसार मूल्य नहीं होना चाहिये । इस व्यवस्था का यह अर्थ नहीं है कि पत्रों के पृष्ठ कम हो जायेंगे । यदि आप सचित्र समाचार छापने के लिये १२ पृष्ठ का अखबार चाहते हैं तो उस का मूल्य डेढ़ आने की बजाये तीन आने रखिये । यदि आप का पत्र बहुत अच्छा है और लोग उसे तीन आने में खरीदने को तैयार हैं तो ठीक है । स्पर्धा हो तो अच्छाई के दृष्टिकोण से हो । पृष्ठों की संख्या के हिसाब से मूल्य रखने का उद्देश्य यह है कि सभी को जनता की सेवा करने का बराबर मौका मिले ।

श्री नटेशन ने कहा है कि अधिक पृष्ठ नहीं होंगे तो अधिक विज्ञापन भी नहीं होंगे । नहीं, इस से उन्हीं को हानि पहुंचेगी जिन का जीवन विज्ञापनों पर निर्भर है । जनता के लिये कोई कठिनाई नहीं होगी बल्कि अन्य समाचारपत्रों को बराबर विज्ञापन मिल सकेंगे ।

उन्हों ने यह भी कहा कि पृष्ठ घट जाने से कुछ लोग बेकार हो जायेंगे । शायद उन

का तात्पर्य कम्पोजीटरों से था। मुझ छः सात समाचारपत्रों को कई वर्ष तक चलाने का अनुभव है और मैं जानता हूं कि पृष्ठों की संख्या कम करने से अधिक से अधिक एक प्रतिशत लोग बेकार होंगे। इसलिये इन में से कोई भी युक्ति ठीक नहीं है।

इन परिस्थितियों में हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि हमारे समाचारपत्रों की अर्थ व्यवस्था स्थिर रहे। हमारे समाचारपत्र ऐसे नहीं होने चाहियें जिन की अर्थव्यवस्था इतनी अस्थिर हो कि हमें यह भी विश्वास न हो कि एक समाचारपत्र जो कई वर्षों से निकल रहा है कल तक कायम रहेगा भी या नहीं।

समाचारपत्रों में राय प्रकट करने की भी पूरी आजादी होनी चाहिये। हमें यह भी देखना चाहिये कि लोग इसे अपनी इच्छाओं के अनुसार नचा न सकें और न ही यह मुख्यतया विज्ञापनों पर निर्भर हो।

तीसरा सिद्धान्त यह है कि इस के द्वारा जानकारी के आदान-प्रदान की पूरी सुविधा हो। यह एक लोक तन्त्रात्मक राज्य के लिये बहुत आवश्यक है। हमारे देश में इस समय ३३० दैनिक हैं जिन की बिक्री २६ लाख है। इन में से अधिकतर बड़े बड़े नगरों में प्रकाशित होते हैं। और पढ़ने वाले भी लगभग ४५० प्रतिशत नगरों में रहते हैं। लोकतन्त्र के लिये यह आवश्यक है कि जिलों में अधिक से अधिक समाचारपत्र होने चाहियें और इन्हें जारी रखने के लिये हमें कुछ पूंजी देनी चाहिये। मैं मानता हूं कि जिलों में छपने वाले समाचारपत्रों के लिये पढ़ने वालों को कुछ अधिक दाम देने पड़ेंगे किन्तु यह इस बात से अच्छा है कि इन समाचारपत्रों को बड़े बड़े समाचारपत्रों के मालिकों या विज्ञापनदाताओं के नियंत्रण के अधीन आने दिया जाये। वास्तविक आवश्यकता यह है कि समाचारपत्र उच्च कोटि के हों, यह नहीं कि उन में पृष्ठ अधिक हों, ताकि उन्हें फिर रद्दी में बेचा जा सके, जैसा कि अब हो रहा है। मैं ने एक पुस्तक में पढ़ा है कि जापान में समाचारपत्र छोटे और कम पृष्ठों वाले होते हैं किन्तु उन में से एक की बिक्री ४० लाख है। यदि हम एक बार समाचारपत्रों के पृष्ठानुसार मूल्य की प्रणाली शुरू कर दें, तो समाचारों का सम्पादन अधिक अच्छा होगा और इस बात पर अधिक ध्यान दिया जायेगा कि पाठकों के लिये क्या चीज उचित है और क्या अनुचित। आज कल हम देखते हैं, कि पृष्ठ भरने के लिये सब प्रकार के लेख छाप दिये जाते हैं। और सनसनी पैदा करने वाले समाचार विस्तारपूर्वक दिये जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि एक स्वतन्त्र समाचारपत्र के लिये पृष्ठानुसार मूल्य होना अनिवार्य है। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे उस प्रचार की ओर ध्यान न दें जो कुछ अंग्रेजी समाचारपत्र इस के विरुद्ध कर रहे हैं। मैं चेतावनी देता हूं कि यदि ऐसा न किया गया, तो देशीय भाषाओं के समाचारपत्र नष्ट हो जायेंगे।

इस के साथ हम श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा की शर्तों को भी सुधारना चाहते हैं। चाहे आप उन के वेतन आदि बढ़ा दें, फिर भी ऐसा पृष्ठानुसार मूल्यों के बिना नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरीके से ही देशीय भाषाओं के समाचारपत्रों को कुछ आय हो सकती है।

मैं एक और सिफारिश के बारे में भी जो कि राज्य द्वारा समाचारपत्रों के कागज के व्यापार के बारे में है, कुछ कहना चाहता हूं। हमारा अनुभव है कि दर्मियाने और छोटे छोटे समाचारपत्र इस कागज के मूल्यों में कमी अथवा वृद्धि होते रहने के कारण अपनी अर्थ व्यवस्था सन्तुलित नहीं कर पाते। जब तक कि सरकार कोई ऐसे पग न उठाये जिन से कि उन्हें उचित मूल्यों पर कागज मिल

[श्री सी० सी० शाह]

सके, वे अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकते। मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रस्थापना की ओर ध्यान दे ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : भारतीय पत्रकारिता को सब से बड़ा खतरा यह है कि जानकारी के साधन कुछ थोड़े से पूंजीपतियों के हाथों में संकेन्द्रित हैं । इससे समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता कभी स्थापित नहीं हो सकती । मैं अनुभव करता हूं कि पूंजीवादी समाचारपत्र कुछ प्रवृत्तियों के कारण भ्रष्ट हो गये हैं । एक प्रवृत्ति एकाधिपत्य की है, दूसरी यह है कि समाचार और विज्ञापन ऐजेंसियों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण है । इसलिये आज हम यह नहीं कह सकते कि हमारे समाचार पत्र स्वतन्त्र हैं ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

सब से आवश्यक चीज जिस के लिये सरकार को कोशिश करनी चाहिये यह है कि समाचार साधन थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में संकेन्द्रित न रहें । कुछ प्रगतिशील पश्चिमी देशों में एक विधि लागू है जिस के अनुसार एक व्यक्ति एक निश्चित संख्या से अधिक समाचारपत्र नहीं चला सकता। भारत में ऐसी कोई विधि नहीं है । भारत में समाचारपत्रों को कुछ बड़े बड़े धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों की दया और मनमानी पर छोड़ दिया गया है? जिस का परिणाम यह हुआ है कि वे लोग, जिन के पास रुपया नहीं है—केवल उत्साह है, समाचारपत्र नहीं चला सकते । जब तक कि हम किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाये जाने वाले समाचारपत्रों की संख्या सीमित न करेंगे, इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकेगा ।

प्रेस आयोग न कुछ और तरीके तो सुझाये हैं किन्तु उस ने सरकार पर समाचारपत्रों की संख्या निश्चित करने का उत्तरदायित्व नहीं डाला है । यह बताना सरकार का काम है कि एक व्यक्ति या वर्ग या निगम या समवाय कितने समाचारपत्र चला सकता है ।

पृष्ठानुसार मूल्य प्रणाली के विरुद्ध बहुत प्रचार किया गया है । कहा गया है कि ऐसी प्रणाली शुरू करने से बहुत से समाचारपत्र बन्द हो जायेंगे और कर्मचारियों में छंटनी आदि करनी पड़ेगी । मेरे विचार में ऐसा कहना बिल्कुल गलत है । इस से उद्योग को कोई हानि नहीं पहुंचेगी और न ही छंटनी का कोई खतरा पैदा होगा। इस के विपरीत कई नये समाचारपत्र शुरू होंगे । और भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में व्यवस्था और स्थिरता स्थापित होगी । कुछ लोग कहते हैं कि पृष्ठ कम करने से पाठकों की संख्या भी कम हो जायगी । मैं एक पत्रकार हूं और कह सकता हूं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि समाचार पत्र की बिक्री उस के पृष्ठों की संख्या पर नहीं, बल्कि उस में प्रकाशित होने वाली सामग्री के अच्छे या बुरे होने पर निर्भर है । इस के अतिरिक्त वाणिज्य और उद्योग के विकास और शिक्षा के प्रसार के कारण पाठकों को संख्या भी बढ़ती जा रही है । इसलिये यह कहना निराधार है कि पृष्ठानुसार मूल्य प्रणाली शुरू करने से समाचारपत्रों की बिक्री कम हो जायेगी । यह प्रणाली समाचारपत्र उद्योग के लिये अत्याधिक लाभप्रद सिद्ध होगी । इस का एक लाभ यह भी होगा कि फालतू विज्ञापन, जो कि बड़े बड़े समाचारपत्रों के पृष्ठों की संख्या सीमित हो जाने के कारण बच जायेंगे, वे छोटे और प्रादेशिक समाचारपत्रों को दिये जायेंगे । इस से इन समाचारपत्रों को बहुत सहायता मिलेगी । में इस प्रणाली का पूरा समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसे जारी करने के लिये एक वक्तव्य दें ।

मैं एक दो और महत्वपूर्ण विषयों की भी चर्चा करना चाहता हूं। पहला यह है कि इस समय सारी विज्ञापन सामग्री लगभग ५ विज्ञापन ऐजेंसियों के हाथ में है। केवल उन समाचारपत्रों को विज्ञापन मिलते हैं, जिन पर इनकी दया दृष्टि हो। इसके फलस्वरूप कुछ अंग्रेजी समाचारपत्रों को ही विज्ञापनों का एकाधिपत्य प्राप्त है। यदि आप चाहते हैं कि विज्ञापनों का वितरण सब समाचारपत्रों में उचित रूप से हो तो, इस के लिये पृष्ठानुसार मूल्य प्रणाली आवश्यक है। यह प्रबन्ध करना भी आवश्यक है कि विज्ञापन ऐजेंसियां सब समाचारपत्रों में विज्ञापन बांटे। ऐसा करते हुए, उस के स्तर, बिक्री और क्षेत्र को, जिस में वह पढ़ा जाता है, ध्यान में रखना चाहिये। इस सम्बन्ध में सरकार का अपराध सब से बड़ा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय विज्ञापनों के वितरण के लिये कोई सिद्धान्त निश्चित नहीं कर सका। केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष ४७ लाख रुपये के विज्ञापन देती है और ये अधिकांश रूप से कुछ विशिष्ट समाचारपत्रों को मिलते हैं।

डा० केसकर : मेरे विचार में यह आंकड़े सही नहीं हैं

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हो सकता है कि ये आंकड़े ठीक न हों। फिर भी मेरे विचार में विज्ञापन देने के लिये केवल समाचारपत्र की बिक्री को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिये।

डा० केसकर : छ या ९ मास पहले मैं ने सभा पटल पर एक विवरण रखा था जिस में यह बताया गया था कि विज्ञापन देने के लिये केवल समाचारपत्र के स्तर को नहीं, बल्कि बहुत सी और चीजों को ध्यान में रखा जाता है।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी : मेरा निवेदन यह है कि इस मामले में केवल बिक्री को ही आधार नहीं मानना चाहिये, क्योंकि बिक्री तो अनुचित तरीकों से भी बढ़ाई जा सकती है।

डा० केसकर : मैं जानता हूं कि बिक्री के प्रश्न को अत्याधिक महत्व नहीं देना चाहिये, किन्तु यह कैसे कहा जा सकता है कि इस पर ध्यान ही न दिया जाये। एक समाचारपत्र की बिक्री पांच सौ है किन्तु उसी स्तर के एक और पत्र की इस से कई गुना अधिक है तो इन दोनों को बराबर नहीं समझा जा सकता।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी : बिक्री को ध्यान में रखना चाहिये परन्तु तभी जब कि सब समाचारपत्रों के लिये विकास के साधन बराबर हों। वर्तमान परिस्थितियों में यदि बिक्री को ही आधार समझा जाये, तो बहुत से समाचारपत्र बंद हो जायेंगे। क्योंकि विज्ञापन आय का सब से बढ़ा साधन है।

विज्ञापनों के बारे में मुझे यह बात दुहराने की आवश्यकता नहीं है कि अधिकतर भारतीय समाचारपत्रों में अश्लील और अशिष्ट विज्ञापन छपते हैं। हमारे लिये एक विज्ञापन संहिता बनाना आवश्यक है। कुछ विदेशों में विज्ञापनों के सम्बन्ध में नियम बनाये गये हैं। हमें भी एक विधि बनानी चाहिये जिस के अन्तर्गत अश्लील विज्ञापनों को रोकने के लिये नियम बनाये जा सकें। हो सकता है कि विज्ञापनों के लिये कोई सामान्य विधि हमारे देश में हो, परन्तु झूठे और गलत विज्ञापनों के लिये दण्ड देने का कोई विशिष्ट उपबन्ध हमने नहीं किया है औषधियों सम्बन्धी बड़े झूठे विज्ञापन आज कल प्रकाशित होते हैं जिनके लिये विधि का बनाना बड़ा आवश्यक है।

अब मुझे श्रमजीवी पत्रकारों के विषय में यह कहना है कि आज उनकी दशा बड़ी शोचनीय है क्योंकि न सेवा की सुरक्षा ही

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

है और न काम के घंटे ही तय हैं यहां तक कि कई बार उन्हें १२-१३ घंटों तक काम करना पड़ता है। हो सकता है कि कुछ समाचार एजेंसियों के पत्रकारों को काफी वेतन मिलता हो किन्तु साधारणतः उन्हें ४०–५० रुपये महीने पर दस-बारह घंटे तक काम करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि पत्रकार की दशा एक भिखारी से कुछ ही अच्छी होगी। पत्रकारों और उनके संगठनों में भी बड़ी मत विभिन्नता चल रही है इस कारण उन की दशा और भी नहीं सुधारती। यदि सरकार चाहे तो विधि के द्वारा इन सब चीजों की व्यवस्था कर सकती है, अन्यथा स्थिति में सुधार होना सम्भव नहीं। जैसा कि आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है, उनका निम्नतम वेतन निश्चित किया जाना चाहिये। सेवा काल की सुरक्षा उपदान और बोनस आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिये जिससे वे भी सभ्य लोगों की भांति समाज में रह सकें। पत्रकारों की असमर्थता से बड़े बड़े समाचार पत्रों के मालकों ने बड़ा लाभ उठाया है। अतः इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि पत्रकारों की दशा सुधारने से ही पत्रकारिता का स्तर ऊंचा हो सकता है और जब तक पत्रकारिता को स्वतंत्रता नहीं मिलती तब तक समाचार पत्र भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह पत्रकारों की स्थिति सुधारने के लिये उपाय करे।

श्री भागवत झा आजाद : मैं न तो श्री गुरुपादस्वामी की भांति पत्रकार ही हूं और न कुछ अन्य सदस्यों की भांति न्यासी ही किन्तु आयोग प्रतिवेदन को पढ़ते ही मुझे स्पष्ट हो गया और देश के करोड़ों लोगों को भी ज्ञात हो जायेगा कि इस समाचार-पत्र उद्योग में क्या हो रहा है।

यहां एक महानुभाव ने पांच सिद्धान्त पंचसूत्र बताये जिससे कि हमें प्रेस आयोग के प्रतिवेदन को समझने में सहायता मिल सके अभाग्यवश इस समय वह सभा में नहीं हैं। उनके वे पांच सिद्धान्त इस प्रकार हैं अधिक समाचार-पत्र न पढिये, केवल शीर्षक पढ़िये, अमीरों की रक्षा कीजिये तभी आप गरीबों की रक्षा कर सकेंगे, कोई भी निगम नहीं होना चाहिये और व्यक्तियों तथा सामन्तों को जितना भी वे चाहें शोषण करने दीजिये और पी० टी० आई० और यू० पी० आई में अन्याय नहीं होता है---- ये पांच सिद्धान्त उन्होंने बताये थे। ऐसे लोग एक दो शताब्दी बाद ही अवतार लेते हैं। इन सिद्धान्तों को लागू करने से फिर समाज का समाजवादी ढांचा कहां टिक सकता है जिसकी आवाज अवाड़ी की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा उठाई गई थी और जो सर्वसम्मति से इस सभा द्वारा पिछले दिसम्बर में स्वीकृत किया गया था।

कहा यह जाता है कि पी० टी० आई० की बुराइयों को दूर कर दिया गया है। मैं पूछता हूं कि यह कथित सुधार इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने से पहले किया गया अथवा उसके बाद? क्या आयोग ने कुछ निदेशकों के विरुद्ध गोल माल तथा गबन आदि के आरोप नहीं लगाये हैं, यद्यपि अभी भी उन्हें अस्वीकार किया जा रहा है? क्या इन राशियों का अपलेखन नहीं कर दिया गया है और क्या जिन लोगों पर ये आरोप लगाये गये हैं उन की पदोन्नति निदेशक के पद पर नहीं की गई है?

देश की अधिकांश जनता की राय यह है कि प्रशासकीय प्रभुत्व, व्यवस्थात्मक कुप्रबन्ध और मालकों के लाभकारी दृष्टिकोण से हमें यह पता ही नहीं लग पाता कि अन्दर हो क्या रहा है। इस प्रतिवेदन ने वास्तविक तथ्य हमारे सम्मुख रखे हैं। इस प्रकार अब इस देश के लोग इस बात से सहमत हो गये हैं कि यदि हम लोकतन्त्र की स्थापना करना चाहते हैं और समाजवादी ढांचे को अपनाना चाहते हैं तो हमें देश के समाचारपत्रों को स्वतन्त्रता देनी होगी और स्थिति में सुधार करना होगा।

आयोग के प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि बड़े, बड़े शहरों को छोड़कर छोटी जगहों से न तो एक भी समाचारपत्र निकलता है और न ही रेलवे लाइन ही है। इस देश में, जैसा कि आयोग ने बताया कि लगभग २० व्यक्ति ८० प्रतिशत लोगों के विचारों का नियंत्रण करते हैं। आयोग ने बताया कि बड़े-बड़े समाचारपत्रों के मालिक या तो छोटे पत्रों को चलाने नहीं देते या उन की स्थिति आर्थिक रूप से असंतुलित कर देते हैं। सेवा की असुरक्षा निम्न वेतन और अवकाश सुविधायें तथा निवृति लाभ के प्रभाव से कर्मचारियों की दशा ऐसी हो गई है कि वे जनता को सही बात तक नहीं बता सकते। अतः उन्हें कम से कम वे सुविधायें अवश्य मिलनी चाहियें जिसमे वे अपना कार्य तो कर सके।

मैं इस सभा के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे निहित स्वार्थों की चालों का सामना करने के हेतु जनता में सरकार के हाथ मजबूत बनाने की भावना उत्पन्न करें 'निहित स्वार्थों' द्वारा प्रेस आयोग प्रतिवेदन के विरुद्ध चली गई चालें हम सब को स्पष्ट रूप से विदित हैं। इसी कारण सभा ने सर्वसम्मति से इन सिफारिशों को पूरण रूप से कार्यान्वित करने में सरकार का हाथ मजबूत करने का निश्चय किया है। ऐसा करना अस्वाभाविक नहीं है। इस सम्बन्ध में कठिनाइयां समाचारपत्रों के पृष्ठानुसार मूल्य और न्यूनतम वेतन सम्बन्धी हैं।

मैं श्री सी० सी० शाह से अधिक सुन्दर वर्णन इस सम्बन्ध में नहीं कर सकता जिन्हों ने यह बताया कि ये बड़े-बड़े समाचारपत्रों के मालिक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं कि जिस से अन्य भारतीय भाषाओं के समाचार स्वयं ही समाप्त हो जायें। मैं तो यह बताना चाहूंगा कि प्रेस आयोग के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात सारे देश में क्या हो रहा है।

श्रमजीवी पत्रकारों ने हमारे पास अपने विषय में कुछ साहित्य भेजा है जिस में उन्होंने बताया है कि उनकी छंटनी अभी जारी है। समाचारपत्रों को बन्द कर देने की धमकी दी जा रही है, किसी न किसी बहाने उन्हें अनिवार्य अवकाश पर भेजा जा रहा है। अहमदाबाद के 'गुजरात समाचार' और 'संदेश' नामक पत्रों का यह हाल हुआ कि बड़े पत्र से प्रतिस्पर्द्धा न कर सकने के कारण उन्हें बन्द होना पड़ा। ये पत्र पिछले चालीस पचास वर्षों से उस क्षेत्र में निकल रहे थे। अन्य जो पत्र निकलते हैं वे भी यदि प्रेस आयोग की सिपारिशों को न लागू किया गया तो बन्द हो जायेंगे। इसी प्रकार सूरत में भी हो चुका है। अतः न केवल प्रेस आयोग के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व ही अपितु उसके बाद भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं।

अनेक उदाहरण इस प्रकार वे दिये जा सकते हैं कि बड़े-बड़े पत्र छोटे अन्य देशीय भाषाओं के पत्रों को, जो राष्ट्र हित की इच्छा से चलाये जा रहे हैं, टिकने नहीं देते। अतः जब तक पृष्ठानुसार मूल्य सम्बन्धी सिपारिश सरकार द्वारा लागू नहीं की जाती

[श्री भागवत झा आज़ाद]

तब तक प्रेस आयोग की सिफारिशें चाहे कुछ हों उनको रखने से कोई लाभ नहीं होगा। अतः आज जब कि २० मालिक ८१ प्रतिशत समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखते हैं, तो इस सिफारिश को स्वीकार करना आवश्यक होगा अन्यथा वर्ग पहेलियों वाले पत्र राष्ट्रीय हित के पत्रों का निकलना बन्द कर देंगे।

दूसरी सब से महत्वपूर्ण बात मुझे पत्रकारों के वेतन के सम्बन्ध में कहनी है। कहा यह जाता है कि दक्षिण भारत के त्रावणकोर कोचीन के कार्य करने वाले पत्रकारों को जहां शिक्षितों की संख्या अधिक है, साक्षरता की अधिक कीमत देनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग अधिक शिक्षित हैं जो इस उद्योग की अधिक अच्छी सेवा कर रहे हैं, उन्हें कम वेतन पर काम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने समिति द्वारा जांच करवा कर न्यूनतम वेतन क्या होना चाहिये, यह बताया है। उन्होंने १२५ रुपये मंहगाई भत्ता समेत वेतन वहां के लिये निश्चित किया है, यह भत्ता स्थान के हिसाब से कम अधिक हो सकता है। अतः मेरा निवेदन यह है कि उन्हें आप पूंजिपति न बनाइये ओर न वे कभी इसकी मांग ही करेंगे किन्तु कम से कम वे सुविधायें तो दीजिये जिससे वे भी मनुष्यों की भाँति रह कर अपने कार्य और उत्तरदायित्व को निभा सकें। हमारे देश में सम्पादकीय कर्मचारी वर्ग की कुल संख्या जापान या अमरीका के केवल एक पत्र के सम्पादकीय कर्मचारी वर्ग के बराबर होगी। हमारे देश के श्रमजीवी पत्रकार अन्य देशों की तुलना में बहुत कम वेतन और सुविधाओं पर उन से कहीं अधिक उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। निहित स्वार्थ वाले लोग न्यूनतम वेतन भी तो उन को नहीं दे रहे हैं। एक समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना के अनुसार १९३९ से १९५२ तक पत्रों में कार्य करने वाले ८ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकारों को छोड़ कर अन्य ९२ प्रतिशत कर्मचारियों की वार्षिक आय में वृद्धि हुई है।

यद्यपि मुझे पी० टी० आई० और यू० पी० आई० के विषय में कुछ कहना नहीं चाहिये क्योंकि अब वे कथित राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, तथापि मुझे वहीं के काम करने वालों ने बताया है कि पी० टी० आई में दरिद्रता, अन्याय और जुल्म का बोलबाला है और यू० पी० आई का तात्पर्य है बेकार दयनीय और अपमानजनक। इसके लिये एक निगम की सिफारिश की गई हैं। सरकार को चाहिये कि वह पी० टी० आई० को निगम बनाने के लिये बाध्य करे। कहा यह गया है कि यू० पी० आई० के कार्यों की देखभाल के लिये एक समिति बनाई जाये। यह बम्बई के कपास के बड़े भारी व्यापारी के हाथ में है। कहा तो यह जाता है कि इस में तीन निदेशक होंगे किन्तु वास्तव में देखा जाये तो सारा नियंत्रण उसी एक व्यक्ति के हाथों में रहेगा और वही यू० पी० आई० द्वारा भेजे गये समाचारों का नियंत्रण करेगा। इस प्रकार तो देश में कभी भी लोगों की अच्छी राय इस सम्बन्ध में नहीं बन सकती। अतः मैं जोर देकर कहता हूं कि पृष्ठानुसार मूल्य न्यूनतम वेतन को अवश्य लागू किया जाना चाहिये। अन्य सिफारिशों के लिये मैं सरकार का कृतज्ञ हूं और आशा करता हूं उन को अक्षरशः लागू किया जायेगा। हम पृष्ठानुसार मूल्य और न्यूनतम वेतन की सिफारिशों को लागू किये जाने में मंत्री महोदय का समर्थन करते हैं जिस से देश में लोकतंत्रीय ढंग से कार्य हो सके।

डा० एस० एन० सिंह : वास्तव में समाचारपत्र यदि अनुत्तरदायी लोगों के हाथ में आ जायें तो वे न केवल राजनीतिक क्षेत्र

में ही वरन् बौद्धिक क्षेत्र में भी बहुत कुछ बना बिगाड़ सकते हैं। वे लोगों का सामान्य स्तर बनाते हैं।

मैं इन समाचार पत्रों के मालिकों के कृत्य-कुकृत्यों को बताना चाहूंगा वास्तव में मैं श्रमजीवी पत्रकारों का बड़ा कृतज्ञ हूं जिन्होंने अपनी नौकरी सुरक्षा तथा अन्य कठिनाइयों की परवाह न करके प्रेस आयोग के सम्मुख यह चीजें रखीं।

समाचार पत्रों के मालिक पत्र का उपयोग वैयक्तिक लाभ के लिये करते हैं। उनका पहला ध्येय धन कमाना रहता है। एक बड़े भारी औद्योगिक ने अपने समाचार पत्र के वाणिज्य स्तम्भ में कुछ समाचार छाप कर जनता को इतने बढ़िया ढंग से ठगा कि लोग समझें कि सार्थ की दशा इतनी अच्छी है कि अंशों का मूल्य बढ़ गया किन्तु वास्तव में उस दिन ऐसी बात नहीं थी।

इसी प्रकार का एक दृष्टान्त राजनीति में भी देखने में आया था। पिछले आम चुनाव में बम्बई के एक समाचार पत्र के मालिक ने अपने एक संवाद दाता को यह समाचार भेजने का आदेश दे कर भेजा था कि वह इलहाबाद जा कर यह समाचार भेजे कि प्रधान मंत्री पंडित नेहरू के प्रतिद्वन्दी के जीतने की वहां आशा है। आज इस प्रकार के लोग अपना प्रभुत्व जमाये हुए हैं। इस प्रकार की चीज़ ग़लत है और नहीं होनी चाहिये।

इतना ही नहीं वे अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। एक समाचार पत्र ने तो अपनी अधिक बिक्री के लिये १९५०–५१ में पूर्वी बंगाल की नीति को अपनाया। कुछ समाचार पत्र अपनी बिक्री बढ़ाने के लिये विदेशों से मैत्री की और कुछ ने गोआ के प्रशासकों से। यह पहले की बात नहीं आज भी ऐसा ही हो रहा है। कोई दो दिन की बात है, गोआ में गोली चलाये जाने के बाद दिल्ली के एक समाचार पत्र में आपने देखा होगा कि तीन चौथाई से अधिक समाचार विदेशी सूत्रों से लिये गये थे। उदाहरण के लिये, मैं एक शीर्षक पढ़ कर हैरान रह गया। लिखा गया था कि गोआ के गोली कांड के विषय में पश्चिमी यूरोप का रुख भारत के प्रति असाहनुभूतिपूर्ण था। विदेशी दूतावासों से पूछताछ करने पर मुझे मालूम पड़ा कि यह विचार ठीक नहीं था। उन्हों ने मुझे बताया कि उन के पास तो विपरीत समाचार आये हैं। उन्हों ने यह भी कहा कि उक्त समाचार वहां के निम्न कोटि के समाचार-पत्रों में छपा था जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

मेरा तात्पर्य यह है कि कुछ समाचारपत्र यहां ऐसे हैं जो यह देखे बिना कि समाचार कैसा है, उसे छाप देते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिये। यद्यपि ये समाचार-पत्र अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, तथापि जब उन्हें कोई आर्थिक लाभ होता दिखाई दे रहा हो, तो वे बिना किसी हिचक के कोई भी समाचार प्रकाशित कर देते हैं। उन्हें तो बस रुपय से वास्ता है, यदि उन्हें रुपया मिलता हो तो वे खराब से खराब काम भी कर सकते हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सारे ढांचे में आमूलपरिवर्तन की आवश्यकता है।

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन में पहली बार ठीक ठीक स्थिति बताई गई है। उस में कुछ सिफारिशें की गई हैं जो क्रियान्वित होने पर स्थिति में और अधिक सुधार कर सकेंगी। सिफारिशें तो बहुत हैं, परन्तु मैं यहां कुछ की ही चर्चा करूंगा।

सर्व प्रथम मैं समाचार ऐजेंसियों, जैसे पी० टी० आई०, के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। जहां तक पी० टी० आई० में काम करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों का सम्बन्ध है मैं उन के कार्य की सराहना करता हूं और

[डा० एस० एन० सिंह]

उस का आदर करता हूं । परन्तु उस के प्रबन्धकों अथवा निदेशकों के विषय में मुझे कुछ निवेदन करना है । निस्सन्देह उन्हें यह आलोचना अच्छी नहीं लगेगी । प्राय: देखा गया है कि यदि इस सभा में या इस के बाहर पी० टी० आई० के विरुद्ध कुछ कहा जाता है तो वह प्रकाशित नहीं किया जाता । प्रश्न यह है कि क्या उन्हें ऐसा करने का अधिकार है ।

यदि साधारण सा हिसाब फैलाया जाये तो ज्ञात होगा कि जब कि बड़े बड़े समाचार-पत्र वाले, समाचारपत्रों की बिक्री के अनुसार, इस समाचार ऐजेंसी को कोई १–२ प्रतिशत राशि देते हैं, छोटे छोटे स्थानों से निकलने वाले पत्रों को २० प्रतिशत या इस से भी अधिक देनी पड़ती है । पी० टी० आई० के निदेशकों ने यह नीति बना रखी है क्योंकि स्पष्टतया वे, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि बडे बड़े नगरों से निकलने वाले पत्रों में रुचि रखते हैं । अन्य स्थानों से निकलने वाले पत्रों से उन का कोई वास्ता नहीं होता ।

एक और चीज जो पी० टी० आई० करती है वह यह है कि उस ने स्थानों का वर्गीकरण कर रखा है । उदाहरणार्थ, एक ही 'बी' क्लास समाचार के लिये दिल्ली के समाचार-पत्र को लगभग १,००० रुपये और जयपुर के समाचारपत्र को २,५०० रुपये देने पड़ेंगे । अत: प्रेस आयोग ने यह सिफारिश की है कि समाचार-पत्र समाचार ऐजेंसी को बिक्री के अनुसार 'रायल्टी' दें । यह अत्यधिक बुद्धिमत्तापूर्ण सिफारिशें हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार इसे स्वीकार कर ले ।

अन्य सिफारिश यह है कि वर्तमान निदेशकों के हाथ में से नियंत्रण ले लिया जाये और एक लोक निगम की स्थापना की जाये । यह भी बहुत अच्छी सिफारिश है ।

आजकल निम्न कोटि के तथा सनसनी-खेज समाचार छापने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि समाचार-पत्रों को केवल उच्च कोटि के समाचार ही छापने चाहियें । किसी समाचार-पत्र का उच्च कोटी का होना अथवा न होना श्रमजीवी पत्रकारों पर निर्भर करता है । भारत में केवल ७ प्रतिशत श्रम जीवी पत्रकार लगे हुए हैं जब कि जापान तथा अमरीका जैसे अन्य देशों में यह प्रतिशतता २० से २२ प्रतिशत तक है । समाचारपत्र वाले श्रमजीवी पत्रकारों को कुछ अधिक पारिश्रमिक देने में हिचकिचाते हैं, यद्यपि अन्य चीजों पर उनका खर्चा काफी बढ़ गया है ।

भारत में कोई सात प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो समाचार-पत्र को देख पाते हैं, शेष ९३ प्रतिशत जनता इन से पूर्णत: अनभिज्ञ है । आज इन सात प्रतिशत लोगों में से भी बहुत कम ऐसे हैं जो वास्तव में अखबार पढ़ते हैं । अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या तो और भी कम है । फिर भी अंग्रेजी पत्रों पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है । जो लोग देशीय भाषाओं के समाचारपत्रों में काम करते हैं वे तो वास्तव में बहुत बुरी दशा में हैं । इस प्रकार देश में पत्रकारिता के विकास में बहुत बड़ी बाधा पड़ रही है । यदि इस स्थिति को नहीं सुधारा गया तो हम देश में पत्रकारिता के सम्यक विकास की आशा नहीं कर सकते ।

यह बताना चाहता हूं कि समालोचना हमारे लिये बहुत उपयोगी वस्तु है । उस से लोग अपने को सुधार लेते हैं । उदाहरण के रूप में रूस में 'प्रवदा' और 'इजवेस्तिया' नामक दो पत्र हैं जिनका अर्थ क्रमश: सत्य और समाचार है । लोग कहते थे 'सत्य' में तो समाचार नहीं हैं और 'समाचार' में कोई सत्य नहीं है । इस आलोचना का रूस सरकार पर इतना प्रभाव पड़ा कि इन पत्रों ने अपनी दशा को बहुत कुछ सुधार लिया इसी प्रकार

यदि हमारे पी० टी० आई० में भी कोई गड़बड़ है तो वह दूर हो जायेगी ।

सभापति महोदय : आप का समय पूरा हो चुका है ।

डा० एस० एन० सिंह : ठीक है अपना आसन ग्रहण करने से पूर्व मैं पुनः निवेदन करता हूं कि प्रेस आयोग की सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित किया जाये ।

श्री एम० पी० मिश्र (मुंगेर उत्तर-पश्चिम) : आप को मालूम है कि इस सभा में जब जब प्रेस की बात आई, जब जब सरकार ने प्रेस के बारे में – अखबारों के बारे में; कुछ करने का तय किया, तब तब इस सभा में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ कि सरकार प्रेस पर हाथ नहीं उठा सकती । चारों तरफ से आवाज उठी कि सरकार को अखबारों की आजादी पर, समाचार-पत्रों की आजादी पर, हाथ उठाने का कोई आधिकार नहीं है । बहुत जोर जोर से इस प्रकार की बातें कही गईं । इस सभा के माननीय सदस्यों को मालूम है कि यह सभा कतई नहीं चाहती कि देश को जो आजादी प्राप्त है, जो नागरिक स्वाधीनता प्राप्त है, समाचार-पत्रों की विचारों की, राय रखने की जो स्वाधीनता है, उस पर वह हाथ उठाये । सरकार इस स्वाधीनता में हस्तक्षेप न करे, यह इस सभा की पुरानी और पक्की राय है । लेकिन आज वही सभा बहुत जोर से चारों तरफ से बोल रही है कि सरकार अखबारों के मामले में दस्त-अन्दाजी करे, अखबारों के बारे में सरकार यह करे, वह करे– और उस का आधार प्रेस कमीशन की रिपोर्ट है । यह एक अजीब और उल्टी सी बात दिखाई देती है । लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि जिस विचार से, जिस उद्देश्य से, पुराने समय में यह सभा कहती थी कि सरकार को विचारों की स्वाधीनता में, लोगों की इस आजादी में कि वे अखबारों के जरिये सभाओं के जरिये जिस तरह से चाहे अपने विचार रख सकें, सरकार दस्त-अन्दाजी न करे, दखल न दे, ठीक उसी उद्देश्य से, उसी विचार को अपने सामने रख कर आज यह सभा कह रही है कि सरकार कुछ ऐसा काम करे कि इस देश में यह स्वाधीनता कायम रह सके, विचारों की आजादी की रक्षा हो सके ।

प्रेस कमीशन ने जो इतनी बड़ी रिपोर्ट और इतनी शानदार रिपोर्ट दी है, उस में उसने एक बात सामने ला कर रख दी है और वह यह है कि न सिर्फ सरकार देश में विचारों की आजादी को रोकती है । उसी से खतरा है आजादी को, नागरिक स्वाधीनता को बल्कि समाचार-पत्रों की दुनिया में भी कुछ ऐसी ताकतें पैदा हो गई हैं, जिन को अगर बढ़ने दिया जायेगा तो फिर इस देश में विचारों की स्वाधीनता या नागरिक स्वाधीनता नाम की कोई चीज नहीं रह जायेगी । हमारे दोस्तों ने अभी बताया है कि किस तरह से सिर्फ पांच अखबारों के मालिक अट्ठाइस अखबारों को अपन हाथो में रखते हैं और उन के जरिये से वे पचास प्रतिशत से अधिक सर्कुलेशन को अपने मातहत रखते हैं । मैं आप से कहना चाहता हूं कि यदि सरकार ने प्रेस कमीशन की सिफारिशों को बहुत जल्दी और मजबूती से काम में नहीं लाया, तो इस देश में वह समय बहुत जल्द आने वाला है जब कि बहुत थोड़े, मुट्ठी भर अखबार यहां रह जायेंगे और वे भी मुट्ठी भर मालिकों के हो जायेंगे और तब इस देश में विचारों की स्वाधीनता नाम की कोई चीज नहीं रहेगी । वे तमाम अखबार, जिन्हें छोटे छोटे अखबार कहते हैं, जिन्हें स्वाधीन पत्र कहा जा सकता है, वे सभी मर जायेंगे, बल्कि उनमें से बहुत से तो मर चुके हैं, बहुत से मरने की खाट पर पड़े हुए हैं अगर जल्द कोई कार्यवाही न की गई, तो वे खत्म हो जायेंगे । फिर इस देश में विचारों की स्वतन्त्रता खत्म हो जायगी, देश को वही राय बनानी होगी, जो ये पांच बड़े बड़ मालिक बनायेंगे, देश को उन्हीं की राय पर चलना

[श्री एम० पी० मिश्र]

होगा और फिर क्या होगा, यह भगवान ही जाने ।

आज सब लोग यह मांग कर रहे हैं कि देश में जो नई स्वाधीनता हासिल हुई है, जो नया लोक-राज्य बन रहा है, जो नई डेमोक्रेसी बन रही है, उस को मजबूत करना चाहिये और इस लिये यह सभा आवाज लगा रही है कि प्रेस कमीशन की सिफारिशों को, बिना उन में कोई रद्दो-बदल किये, सरकार बहुत जल्द काम में लाये ।

एक बहुत तकलीफ की बात है । मैं समझता था कि जमाने की जो आवाज है, उस को इस देश के धनी लोग महसूस करेंगे, जो बात असामान पर लिखी जा चुकी है, उस को वे लोग पढ़ेंगे । अच्छा होता कि जो अखबारों के बड़े बड़े मालिक हैं, वे इस बात को समझते कि जमाना किधर जा रहा है, और आज की आवाज क्या है । अच्छा होता कि वे सरकार के पास आते और कहते कि प्रेस कमीशन की सिफारिशें बहुत उचित हैं, जरूरी हैं, और हम उन का समर्थन करते ह और हम सरकार का साथ देना चाहते हैं ।

प्रेस कमीशन की सिफारिशों का सिर्फ एक मानी है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं "लिव एन्ड लेट लिव" यानी हम जियें और तुम को भी जीनें दें । मैं कहता हूं कि बड़े अखबार भी रहें । बड़े अखबारों को प्रेस कमीशन की सिफारिश खत्म नहीं करतीं । वह रहेंगे । अगर प्रेस कमीशन की सारी सिफारिशें भी काम में आ जायें तो वे बड़े अखबार जिन को बड़ेबड़े मालिक चला रहे हैं, जीते रहेंगे । ऐसा होगा कि बड़े अखबारों के साथ साथ देश के छोटे छोटे अखबार, जिन के रहने से देश में विचारों की स्वाधीनता कायम है, जिन के रहने से देश के लोग भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से परिचित होते हैं, भी रहेंगे । लेकिन मुझ को बहुत ताज्जुब होता है कि इस १९५५ के साल में भी इस देश के पूंजीपति बड़े अखबारों के मालिक, इस चीज को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं कि यह छोटे छोटे स्वाधीन अखबार कायम रहें । ये लोग ऐसे अखबारों को भी बरदाश्त करने को तैयार नहीं हैं जो कि पचास बरस से इस देश की सेवा करते आ रहे हैं । और यही कारण है कि आज हम १५ दिनों से दिल्लीं में और उन एजेन्टों की तरफ से बहुत बड़े अखबारों के मालिकों की तरफ से दौड़ धूप होती देख रहे हैं । सरकार के पास तरह तरह से असर पहुंचाये जा रहे हैं । यहां तक धमकी दी जाती है कि अगर तुम न प्रेस कमीशन की सिफारिशों को मान लिया तो अगले चुनाव में हम कांग्रेस को मदद नहीं करेंगे । हम कहते हैं कि अगर इस देश में कांग्रेस या सरकार बड़े अखबार वालों की मदद से ही चुनाव में जीत सकती है तो हम उस मदद को लेने को तैयार नहीं हैं । कांग्रेस को अगर जीतना है तो अपनी ताकत से और जनता के प्यार से जीतेगी, न कि बड़े अखबारों के मालिकों की मदद से । और अगर कांग्रेस उन्हीं की मदद से जीतती है तो वह जीत ज्यादा दिन नहीं टिक सकती । हम कहते हैं कि यह बड़े दुख की बात है कि इस १९५५ के साल में भी, जब कि आप जानते हैं कि इस लोक सभा ने फैसला कर लिया है कि हमें इस देश के समाज को सोशलिस्ट ढांचे पर बनाना है, हमारे देश के पूंजीपति इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं । इस सोशलिस्ट ढांचे के मानी यही हैं कि छोटे अखबार भी जियें और ये छोटे अखबार इस लिये जियें कि इस देश में लोक-राज्य प्रगति कर सके और प्रजा-तन्त्र जी सके ।

अभी अभी हमारे दोस्तों ने कहा कि जापान में एक अखबार है जिस का सरकुलेशन ४० लाख है । इंग्लैंड में ऐसे अखबार हैं जिन का सरकुलेशन २० लाख से ज्यादा है । अगर दस बरस पहले इस सभा में यह बातचीत होती तो

हर हिन्दुस्तानी के मन में हौसला उठता कि हमारे देश में भी ऐसे अखबार होते जिन का सरकुलेशन ४० या ५० लाख होता क्योंकि हम तो ४० करोड़ आदमी इस देश में रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे देश को अब सब्र करना चाहिये और ऐसा हौसला नहीं करना चाहिये कि हमारे देश में भी ऐसे अखबार हों जिन का सरकुलेशन ५० या ६० लाख हो। यह बुरी चीज है। और अगर इस देश में गरीबी की वजह से यह बुरी चीज है, यह अखबारों का अभिशाप, नहीं आया है तो यह अच्छी चीज है। मैं चाहता हूं कि वह दिन न आवे कि इस देश में किसी एक अखबार का सरकुलेशन ५० लाख हो। उस के बजाय हम चाहेंगे कि इस देश में जो न्यूज एजेंसियां हैं उन के टैलीप्रिन्टरों की लाइनें एक एक जिले तक जायें एक एक जिले में अखबारों के दफ्तर हों। वहां वह खबरें पहुंचायी जायें और हर छोटे से छोटे शहर और कस्बे से अखबार निकल सके, स्वाधीन अखबार निकल सके और उन का सरकुलेशन २० या २५ हजार ही हो। अगर ऐसा हो तो ज्यादा अच्छा है। हम चाहेंगे कि इस तरह से हजारों अखबार निकले और केवल दो चार अखबार, जिन का सरकुलेशन ५० लाख या १ करोड़ हो, उन की मुट्ठी में देश न रहे। मुझे इस बात से बड़ी तकलीफ होती है कि आज सन् १९५५ के साल में भी हमारे पूंजीपत अपने दिमाग को नहीं बदल सके। वे १५ दिन से इस कोशिश में हैं कि सरकार उन को तो जीने दे लेकिन जो सिफारिशें प्रेस कमीशन ने छोटे अखबारों के लिये की हैं उन को वे नहीं चाहते कि लागू कीं जाय। वह दूसरों को नहीं जीने देना चाहते। उन्हीं का यह कहना है कि यह जो सिफारिश है कि पत्रकारों की कम से कम तनख्वाह आदि मुकर्रर कर दी जाये, इस के लागू करने से छोटे अखबार बन्द हो जायेंगे। मैं भी एक छोटे अखबार से सम्बन्ध रखता हूं। मैं कहता हूं कि अगर सरकार इस सिफारिश के बजाय ऐसा करे कि छोटे अखबारों को पत्रकारों की तनख्वाह आदि पर जो खर्चा होता है उसको दे दे और प्राइस-पेज शेड्यूल की सिफारिश को लागू न करे तो भी छोटे अखबार जीते नहीं रह सकेंगे। तब भी वे मर जायेंगे। अभी यहां बतलाया गया है कि किसी अखबार में १० प्रतिशत सम्पादकीय विभाग पर खर्च होता है। अगर यह दस प्रतिशत खर्च भी सरकार दे दे और छोटे अखबारों को बचाने का कोई और उपाय न करे तो भी ये छोटे अखबार जीते नहीं रह सकते। उन को जिन्दा रखने की केवल एक ही सूरत है और वह यह कि अखबारों की कीमत पेजों के हिसाब से निश्चित कर दी जाय जिस को प्राइस पेज शेड्यूल कहते हैं। इस के बारे में भी बड़ा वावैला मचाया जाता है कि यह हिसाब बन ही नहीं सकता। १९५२ तक, यानी लड़ाई के बाद तक, इसी हिसाब से देश के अखबार निकलते रहे और इसी वजह से देश के बड़े और छोटे अखबार जीवित रह सके। इस बीच में अखबारों पर यह नियंत्रण था। तो क्या वजह है कि अब इस नियंत्रण में अखबार नहीं चल सकेंगे। रिपोर्ट में बतलाया गया है कि एक पैसे में एक पेज दिया जाये और न्यूज प्रिंट का .....

डा० केसकर : रिपोट में तो ऐसा नहीं कहा गया है।

श्री एम० पी० मिश्र : इंडिकेशन है उस में।

डा० केसकर : वह तो नमूने के तौर पर दिया गया है।

श्री एम० पी० मिश्र : रिपोर्ट बिल्कुल ो दाम निश्चित नहीं कर सकती थी, क्योंकि न्यूज प्रिंट का दाम घटता बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेस कमीशन या सरकार सब दिन के लिये एक दाम निश्चित कर दे। मैं कहता हूं कि जो नियम हम लड़ाई के जमाने में दाम आदि निश्चित करने के सम्बन्ध में बरतते थे उस को आज भी बरता जा सकता है।

[श्री एम० पी० मिश्र]

यह बहुत गलत चीज है जैसे कि बम्बई का फ्री प्रेस जरनल आठ पेज के अखबार को चार पैसे में बांट दे । कमीशन ने बतलाया है कि चार पेज का अखबार निकालने में करीब करीब चार पैसा खर्च पड़ता है । यही नियम सब अखबारों पर लागू होना चाहिये ।

आप ने कमीशन की रिपोर्ट में पढ़ा ही होगा कि हिन्दुस्तान में अखबारों के उद्योग में सिर्फ सात करोड़ रुपया लगा हुआ है । इस लिये अगर कोई आदमी १४ करोड़ रुपया लगाने को तैयार हो जाये तो वह सब अखबारों को बरबाद कर सकता है । अगर कोई इतना रुपया लगा दे तो वह देश के सारे अखबारों को खत्म कर सकता है । इसलिये मैं कहता हूं कि प्रेस कमीशन की रिपोर्ट किसी काम की न रहेगी अगर सरकार ने ईमानदारी से पेज प्राइस शेड्यूल लागू नहीं किया । इस के बारे में जो बड़े बड़े अखबार वावैला मचा रहे हैं उस को सरकार को नहीं सुनना चाहिये । और अगर सरकार सुनेगी तो सरकार इस देश के इस नये लोक राज्य के साथ बड़ा अन्याय करेगी । मैं ने कहा कि केवल दस प्रतिशत रुपया अखबार के सम्पादन विभाग पर खर्च होता है । प्रेस कमीशन ने अखबारों के पत्रकारों के लिये जो सिफारिश की है अगर उसे लागू कर दिया जाए तो मैं समझता हूं छोटे अखबारों को शुरू में कुछ कठिनाई हो सकती है । लेकिन वह कठिनाई दूर हो जायेगी अगर अखबारों के दाम पर नियंत्रण हो, और साथ ही साथ एक दूसरी सिफारिश पर भी अमल किया जाये, यानी विज्ञापनों के लिये भी एक कानून बनाया जाय । आप लोग जानते हैं कि आज बड़े बड़े अखबारों में ७० प्रतिशत स्थान में विज्ञापन ही छपते हैं और केवल ३० प्रतिशत स्थान समाचारों को दिया जाता है, उस में भी समाचारों से विचार ज्यादा रहते हैं । प्रेस कमीशन की सिफारिश है कि अखबार ४० प्रतिशत तक जगह विज्ञापनों के लिये दे सकते हैं और बाकी जगह उन को समाचारों के लिये देनी चाहिये । ऐसा हो तो जो विज्ञापन बचे रहेंगे वे छोटे अखबारों में ही मिल जायेंगे और उनके सहारे छोटे अखबार जी सकते हैं । कोई दूसरी सूरत उन के जीने की नहीं है ।

एक बात और है । अभी कुछ दोस्तों ने चर्चा की है कि किस तरह से कुछ अखबार यह एलान करते हैं कि अगर तुम हमारा अखबार खरीद लो और उस को बाद में बेच दो तो तुम को दाम का दाम मिल जाएगा । मुझको यह देख कर तकलीफ होती है कि स्टेट्स मैन जैसे अखबार कभी कभी हफ्ते में दो दो सप्लीमेंट—इंजीनियरिंग सप्लीमेंट या कोई और सप्लीमेंट, निकाल देते हैं । जो व्यापारी हैं उन्हीं से वे लेख ले लेते हैं और उन्हीं से विज्ञापन ले लेते हैं । क्योंकि उन के पास पूंजी की कमी नहीं है, वे ये हरकतें करते हैं और सब विज्ञापन समेट लेते हैं और छोटे अखबारों को विज्ञापन नहीं मिल पाते हैं । इसलिये यह बात सोचनी होगी कि अगर इस देश में लोकतन्त्र को जमाना है, प्रजातन्त्र को जमाना है तो हमें छोटे अखबारों को बचाना होगा ।

आप जानते हैं कि इस देश में लोग एक अखबार प्रति व्यक्ति भी खरीदने की स्थिति में नहीं है और अधिकांश लोग तो कोई अखबार ही नहीं खरीदते लोगों की अखबार पढ़ने की कुछ आदत नहीं बन पाई है । आप को रेल में फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठने वाले लोग मिलेंगे जो और दुनिया भर के तो सारे खर्च करते हैं लेकिन एक अखबार अपने लिये नहीं खरीदेंगे और इस बात का इंतजार करेंगे कि कब उन की बगल में बैठा हुआ मुसाफिर अखबार या पत्रिका पढ़ कर सीट पर रक्खे और वह उस को झपट लें । तो आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को अखबार खरीदने

की आदत बननी चाहिये लेकिन जब तक कि हमारा देश गरीब है और एक आदमी एक ही अखबार खरीद सकता है तब तक यह जरूर ध्यान दिया जाना चाहिये कि अखबारों की कीमत में कुछ समता रखी जाये। क्योंकि आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब पाठक को चार पैसे में आठ या दस पेज का अखबार मिलेगा तो वह चार पैसे में चार ही पेज का अखबार क्यों खरीदेगा। इसलिये मैं माननीय डा० केसकर साहब से कहना चाहता हूं, वैसे मैं जानता हूं कि उन की राय क्या है, वह प्रेस कमीशन की सिफोरिशों के साथ हैं, लेकिन जो और असर तरह तरह के पहुंचाये जाते हैं, उन असरात से उनको अपने को बचाना है। आज उन के सामने इस देश में लोक-राज्य को मजबूत करने के लिये बहुत बड़ा मौका है और उस में वह बहुत बड़ा योग दे सकते हैं और वह योग यह है कि वह प्रेस कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार कर लें और उन को अमल में लायें ताकि छोटे अखबार बच सकें और देश की आजादी बच सके।

श्री लोकनाथ मिश्र (पुरी) : हमारे देश के भविष्य के लिये प्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा कर्तव्य है कि उस के हानि-लाभ पर हम भली भांति विचार करें।

प्रेस आयोग का प्रतिवेदन बहुत प्रशंसनीय है। प्रेस की समस्त समस्याओं पर उस में यथाशक्ति सुझाव दिये गये हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि प्रेस जैसी महत्वपूर्ण वस्तु पर देश में केवल सात-आठ पूंजीपतियों का एकाधिपत्य है। सरकार को यह देखना कि ऐसी जनहितकारी वस्तु केवल थोड़े से लोगों के हाथ में न रहे। हमारे लिये यह एक अभिशाप है। लोगों के सामने जो भी छपी हुई वस्तु आती है उसे वे सत्य समझते हैं। उन्हें क्या पता है कि कौन से पत्र में कौन सी नीति का अनुसरण किया जाता है। प्रेस आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि पत्रों को समय-समय पर अपने कर्मचारियों तथा संचालकों के नाम छापने चाहियें जिस से जनता उन के बारे में कुछ जान सके।

यदि लोगों को यह ज्ञात हो जाये कि यू० पी० आई० और पी० टी० आई० पर भी पूंजीपतियों का कब्जा है तो उन्हें प्रेस के कार्यों पर बहुत सन्देह होने लगेगा।

कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि पूंजीपतियों की सहायता के बिना पत्रों का व्यय नहीं चल सकता किन्तु यह एक भ्रम है। गांधी जी का 'हरिजन' एक आदर्श पत्र था जो ठीक चलता था। मैं यह तो नहीं कहता कि प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी का-सा आदर्श अपने सामने रखेगा। व्यय को कम करने के लिये पत्र के पृष्ठों की संख्या कम की जा सकती है। बीस बीस पृष्ठ के समाचार-पत्रों को आद्योपान्त कौन पढ़ता है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाचारपत्र चार पृष्ठ से अधिक न हो और उस का मूल्य चार पैसे से अधिक न हो।

डा० केसकर : यह किस का सुझाव है ?

श्री लोकनाथ मिश्र : यह मेरा सुझाव है। मैं समझता हूं कि प्रेस का ध्येय लोगों को शिक्षित करना और सूचना देना है। इस के बजाये प्रेस वाले धड़ाधड़ विज्ञापन और फोटो छापते चले जाते हैं। आज कल कार्यों की अपेक्षा व्यक्तियों की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। जिधर देखिये उधर पंडित जवाहर लाल नेहरू की दुहाई फेरी जाती है। इस प्रकार व्यक्तियों के नाम पर अधिक जोर नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री एस० एस० मोरे : क्या आप का यह अर्थ है कि संसद्-सदस्यों के भाषण बिना उन का नाम दिये हुए छापे जायें ?

श्री लोकनाथ मिश्र : आप चाहें तो आप का नाम छप सकता है किन्तु आप की फोटो छापने की क्या जरूरत है ?

श्री एस० एस० मोरे : मैं थोड़े ही छापता हूं । मेरे पास कोई भी पत्र नहीं है ।

श्री लोकनाथ मिश्र : मुझे किसी अन्तर्बाधा की आवश्यकता नहीं । हां, तो मैं कह रहा था कि कार्यों पर अधिक बल दिया जाना चाहिये । संसद् सदस्य चाहे कितना ही सुन्दर हो, उस की फोटो छापने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री एस० एस० मोरे : यह तो मुझे आज ही मालूम हुआ कि मैं भी खूबसूरत हूं ।

श्री लोकनाथ मिश्र : यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम स्वयं अपनी आंखों पर इतना नियंत्रण रखेंगे कि हम सुन्दरता की चकाचौंध में न आ जायें और केवल समाचार की ओर ही ध्यान दें ?

एक माननीय सदस्य : ब्रह्मचर्य की बड़ी अच्छी शिक्षा दी जा रही है ।

श्री लोकनाथ मिश्र : ब्रह्मचर्य क्या कोई बुरी वस्तु है ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : किन्तु उस का प्रेस आयोग से क्या सम्बन्ध है ? आप की बातें सुसंगत नहीं हैं ?

श्री लोकनाथ मिश्र : इस का निश्चय आप क्यों कर रहे हैं। इस के लिये तो सभापति महोदय मौजूद हैं ।

हम जनता के लिये सस्ते से सस्ते पत्र चाहते हैं। प्रेस आयोग ने स्वयं अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ ६१ पर कहा है कि आज कल सरकार की प्रशंसा हो रही है और कुछ लोगों के व्यक्तित्व का अधिक वर्णन किया जा रहा है । अतः प्रेस को इन सब बातों की ओर ध्यान देना चाहिये ।

अब मैं सम्पादकों के बारे में कहता हूं । पहले तो विदेशी सरकार होने के कारण ये लोग देश प्रेम की भावना से उस के विरुद्ध आवाज उठाते थे, किन्तु अब ये हमारी सरकार के भी शत्रु बन बैठे हैं। ये लोग अपने संचालकों के हाथ की कठपुतली मात्र हैं। उन्हें स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये । लोग तो यह समझते हैं कि वे जनता के विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और वे अपने सम्पादकीय विचार भी मुक्त रूप से प्रकट नहीं कर पाते । कहीं कहीं तो यह भी होता है कि सम्पादक का केवल नाम ही किसी पत्र में लिखा हुआ होता है और सारा काम दूसरे करते हैं । बहुत से पत्र ऐसे हैं जो किसी न्यास द्वारा चलाये जाते हैं । अन्ततोगत्वा उन में भी किसी व्यक्ति-विशेष का प्रभुत्व हो जाता है और उस की इच्छा के अनुसार उन का काम चलता है । अच्छे अच्छे समाचार छपने से रह जाते हैं जब कि किसी मंत्री के भाषण में तीन तीन स्तम्भ भरे रहते हैं । हमें यह नियम बना देना चाहिये कि चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, उस के भाषण को एक स्तम्भ से अधिक स्थान न दिया जाये ।

सभापति महोदय : आप के भाषण का समय पूरा हो चुका है ।

श्री लोकनाथ मिश्र : अच्छा ! धन्यवाद । अब मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल--पश्चिम कटक) : प्रेस के बारे में काफी चर्चा की जा चुकी है । हमारे देश के लिये प्रेस एक अभिशाप हो गया है क्योंकि उस की कुंजियां थोड़े से पूंजीपतियों के हाथ में हैं ।

जो श्रमजीवी पत्रकार हैं उन की दशा अत्यन्त शोचनीय है । सवेरे से ले कर आधी-रात तक उन्हें अथक परिश्रम करना पड़ता है और उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है ।

दूसरी बात यह है कि लगभग सभी समाचारपत्र केन्द्रीय और राज्यों के मंत्रियों की प्रशंसा का ढोल पीटते रहते हैं पूंजिपतियों की यही नीति है कि येन केन प्रकारेण उनकी स्वार्थ सिद्धि होती रहे । मेरे पास एक अंग्रेजी का समाचारपत्र है जिस में बम्बई के एक संचालक का भाषण तीन दिन तक छापा

गया था ऐसा करने से अन्य समाचार छपने से रह जाते हैं ।

इसके अतिरिक्त हमारे यहां के समाचार-पत्र अनेक स्थानों पर देशी संवाददाताओं की अपेक्षा विदेशियों पर अधिक विश्वास करते हैं जैसा कि बांडुंग सम्मेलन के समय एक पत्र ने किया था । गोआ के समाचार पत्रों में भी ऐसा किया गया था । मैं समझता हूं कि ये विदेशी ठेकेदारी बन्द की जाये । एक एक पूंजीपति के आधीन अनेक पत्र होते हैं अतः उस के विचार और उस की नीति को उन सब पत्रों द्वारा प्रचारित किया जाता है । मैं चाहता हूं कि उन्हें एक से अधिक पत्र नहीं दिये जायें जिससे हमें देश विभिन्न पत्रों से विभिन्न मत पढ़ने को मिल सकें ।

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि प्रेस आयोग की सिफारिशों को अविलम्ब लागू किया जाये । मैं ने सुना है कि विभिन्न राज्यों में प्रेस कर्मचारियों के विभिन्न वेतन-स्तर निश्चित करने के सम्बन्ध में दक्षिण से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है क्योंकि वहां निर्वाह-व्यय उत्तर की अपेक्षा कम है; किन्तु मैं यह कहूंगा कि वे लोग भी जब समान परिश्रम करते हैं तो उन्हें समान वेतन क्यों न दिया जाये ?

अब मैं प्रेस ऐजेंसियों के प्रश्न को लेता हूं । स्वतन्त्रता के पहले से हमारे देश में दो समाचार ऐजेंसियां चल रही हैं । एक है यू० पी० आई० और दूसरी पी० टी० आई० । मैं चाहता हूं कि समाचार प्राप्त करने के लिये इन के पास उचित व्यक्ति और उचित साधन हों । बहुत से समाचारों की उन्हें सूचना ही नहीं मिलती । उदाहरण के लिये उड़ीसा में पिछले वर्ष से वर्षा का अभाव है किन्तु पत्रों में इस का कहीं उल्लेख नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : पत्रों में तो बाढ़ आ रही है ।

श्री सारंगधर दास : जी हां । वही तो मैं भी कहता हूं । ये समाचार ऐजेंसियां पैसा तो खर्च करती नहीं, केवल कुछ संवाददाताओं द्वारा भेजे गये समाचारों पर निर्भर करती हैं ।

जिन समाचार ऐजेंसियों को सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है वे अनेक बार सरकारी दबाव के कारण कुछ समाचार छपने से रोक देती हैं । जैसे कुछ समय पूर्व प्रजासमाजवादी दल ने 'दसगुने कर' के विरुद्ध लखनऊ में एक जलूस निकाला था जिस में लगभग एक लाख व्यक्ति थे किन्तु यहां के एक समाचार पत्र ने इस खबर को छापा ही नहीं और केवल यह लिख दिया कि वहां साम्यवादियों तथा समाजवादियों में झगड़ा हो गया ।

हम चाहते हैं कि प्रेस के बारे में इस प्रकार का विनियमन किया जाये कि वह जनता को सही सूचना और शिक्षा देने में सफल हो सके । जब तक प्रेस इस उद्देश्य को पूरा नहीं करता तब तक उस के होने से कोई लाभ नहीं ।

श्री टी० एन० सिंह : अपना भाषण प्रारम्भ करने से पहले मैं प्रेस आयोग के भूतपूर्व सभापति दिवंगत न्यायाधीश राजाध्यक्ष को श्रद्धांजलि अर्पित करना अपना कर्तव्य समझता हूं । आयोग की सिफारिशों से जो सहमत हैं या असहमत हैं वे भी उस महापुरुष की निष्पक्षता और योग्यता की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

मुझे खेद है कि आयोग की सिफारिश इतनी सुन्दर होने पर भी कुछ लोगों ने आयोग पर छींटे कसे हैं । न्यायाधीश राजाध्यक्ष ऐसे लोगों का मुंह बन्द करने के लिये आज हमारे बीच में नहीं हैं किन्तु मैं ने आयोग के सदस्य के रूप में उनकी दक्षता और निष्पक्षता का अध्ययन किया है । उन के बिना

[श्री टी० एन० सिंह]

इतना अच्छा प्रतिवेदन तैयार नहीं हो सकता था ।

वर्तमान प्रेस के प्रति इतना प्रेम होते हुए भी मुझे उस के विषय में कुछ कठोर शब्द कहने को बाध्य होना पड़ रहा है । मैं ने प्रूफ रीडर की हैसियत से ले कर पत्रकार के रूप में २१ वर्ष तक प्रेस में काम किया है और प्रेस वालों को मैं अपने निजी परिवार के सदस्यों की भांति समझता हूं । किन्तु मुझे यह कहने में बहुत दुःख होता है कि युद्ध के समय से और उस के बाद से प्रेस का स्तर बहुत गिर गया है । लोग सेवा के आदर्श को भूल गये हैं । उन दिनों मात्र अर्थोपार्जन पत्रकारिता का ध्येय नहीं था, न तो लोग मुनाफाखोरी के लिये पत्र चलाते थे किन्तु आज उन्हीं समाचारपत्रों को जनता का समर्थन प्राप्त है जो अपने मुनाफे की एक एक पाई के लिये लड़ते हैं । आज उन समाचारपत्रों का क्या हुआ, जो अपना खर्चा नहीं चला सके, जिनकी नींव देश के देश भक्तों ने डाली थी, जिन के साथ देश की समस्त गौरवमयी परम्परायें रही हैं, उदाहरणस्वरूप 'लीडर' व 'केसरी' को देखिये ।

प्रेस आयोग का उद्देश्य वाक् स्वातन्त्र्य की रक्षा करना था । उस ने इस अधिकार की रक्षा की । लेकिन यदि हम इस पहलू को छोड़ कर अन्य समाचारपत्र यथा 'सर्च लाइट' और 'न्यू इंडिया' जैसे पत्रों को देखें तो इन समाचार पत्रों की भी वही गति हुई है । उन्हें वर्तमान प्रेस पूंजीपतियों की भारी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा है इस से भी दुःख की बात यह है कि समाचार पत्रों का स्वामित्व तथा पाठन कुछ ही व्यक्तियों पर केन्द्रित होता जा रहा है । हमारे पास जो आंकड़े इस सम्बन्ध में हैं वे अधिकांशतः सत्य हैं । केवल कुछ पत्र अपने परिचालन के आंकड़ों को तो दो उद्देश्यों से बढ़ा–चढ़ा कर बताते हैं । प्रथम विज्ञापन के प्रयोजन से, दूसरे नियंत्रण के समय अधिक समाचारपत्र का कागज़ प्राप्त करने के लिये । कलकत्ते के एक बहुत बड़े समाचार पत्र के स्वामी के विरुद्ध तो समाचार पत्र के कागज में लेन-देन करने का अभियोग भी था ।

अब मैं पी० टी० आई० के सम्बन्ध में कुछ बातें कहूंगा । वहां के वर्तमान अध्यक्ष ने 'केवियट' चेतावनी नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की है । जिस में कहा गया है कि उन्हें फिर से नहीं बुलाया गया था । यदि अध्यक्ष महोदय अपने को इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति सोचते हैं तो वह गलती पर हैं । उन्हों ने कहा है कि आयोग ने जिन गलतियों की ओर निर्देश किया है वे संक्रान्ति कालीन थीं । लेकिन यह गलत है । जब हम ने विदेशियों पर पी० टी० आई० के धन का, अथवा दिल्ली, शिमला कानपुर में बिना दाम चुकाये हुए कई संस्करण निकालने का अथवा समाचारों को दबाने के मामले का निर्देश किया तो वे संक्रान्ति कालीन गलतियां नहीं थी, बल्कि प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के समय की थीं । श्रमजीवी पत्रकारों की अवस्था तथा पी० टी० आई० के सम्बन्ध में हमारी शिफारिशें प्रकाशित ही नहीं की गई । वर्तमान निदेशक ने हमारे समक्ष यह स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसे अनुदेश जारी किये कि विशेष व्यक्तियों के वक्तव्य बिना उन की अनुमति के प्रकाशित न किये जायें । इस प्रकार अभिव्यक्ति तथा वाक स्वातंत्र्य का माध्यम कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित हो गया है जो देश के लिये घातक है तथा हमें इसे तत्काल समाप्त कर देना चाहिये ।

उक्त संस्था के एक निदेशक को (क) श्रेणी की सेवायें उपलब्ध थीं, किन्तु वह (ख) श्रेणी की सेवाओं का मूल्य चुका रहे थे । एक अन्य निदेशक 'क' श्रेणी की सेवाओं के

लिये (ग) श्रेणी की सेवाओं का मूल्य चुकाते रहे जब निदेशक से यह प्रश्न पूछा गया तो उन्हों ने आयोग के अध्यक्ष से ऐसा असभ्य व्यवहार किया कि अध्यक्ष महोदय को उन से चले जाने को कहना पड़ा । एक व्यक्ति को तो आयोग को समक्ष बुलाने के लिये समन जारी करना पड़ा इस प्रकार हमारे समाचार-पत्र तथा समाचार ऐजेंसियों का रवैया बहुत ही खेद पूर्ण रहा ।

देश की अभिव्यक्ति के माध्यम का स्वामित्व कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित हो रहा है । प्रजान्तन्त्र के विकास तथा प्रगति के लिये यह अच्छा नहीं है कि परिचालन का पचास प्रतिशत से अधिक आधे दर्जन से कम व्यक्तियों के नियंत्रण में आजाये । ऐसी स्थिति में प्रेस स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है । यह भी एक गम्भीर विषय है कि हमारी मातृभाषा के समाचार-पत्रों के विकास के लिये कोई क्षेत्र नहीं है । हमें उन के परिचालन तथा उन की समृद्धि के विस्तार के लिये यथासम्भव प्रयत्न करना है । सभा को उक्त बातों को ध्यान में रख कर प्रतिवेदन की सिफारिशों पर विचार करना चाहिये ।

साथ ही जैसा कि आचार्य कृपलानी न अपने उद्घाटन भाषण में कहा है, प्रेस में भी आज वाणिज्य-भावना घुस गई है और प्रेस का एक मात्र उद्देश्य परिचालन ही रहता है । यह बहुत गम्भीर विषय है । इस के लिये संवाददाताओं को ऐसे आदेश दिये जाते हैं जो किसी भांति भी नैतिक नहीं कहे जा सकते ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अब मैं पी० टी० आई० के कर्मचारियों के विषय में कहूंगा । वे सभी बहुत असंतुष्ट हैं क्योंकि उन का वेतन बहुत कम है । दिल्ली के संवाददाता को, जो आठ दस मील की दौड़ लगा कर समाचार एकत्र करता है, केवल २५० रुपये मिलते हैं । पी० टी० आई० के ही एक भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक अपने समाचारपत्र में ३,००० रुपया प्रति मास लेते थे जब कि उस पत्र के संपादक को वस्तुतः सम्पादन का कार्य करता था उसे केवल २५० रुपये मासिक मिलते थे । दिल्ली के ही एक पत्र के उप-सम्पादकों को, जिन्हें कार्य करते हुए पांच वर्ष से अधिक हो गये हैं, केवल १५० रुपया मासिक मिलता है । ऐसी दुर्व्यवस्था देखते हुए हम ने सिफारिश की है कि उन्हें सार्वजनिक न्यास का रूप दे दिया जाये ॥ इंग्लैंड के रायल कमीशन (शाही आयोग) ने भी यही सिफारिश की थी । वहां ऐसा होने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है । जब कि यहां इतना विरोध उठ खड़ा हुआ है। अतः मैं सरकार से अग्राह करता हूं कि वह उक्त सिफारिश को तत्काल क्रियान्वित करे, क्योंकि विलम्ब होने से टेलीप्रिन्टरों की, जो इस समय खराब अवस्था में हैं तथा कर्मचारियों की अवस्था और भी खराब हो जायेगी ।

अब मैं यू० पी० आई० का मामला लेता हूं । इस ऐजेंसी से मुझे काफी सौहार्द रहा है, क्योंकि इसे भी हमारे साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । अब मुझे यह सुन कर भारी धक्का लगा कि यह सारी ऐजेंसी एक बड़े व्यापारियों के पास जिसका एक अपना समाचारपत्र है, बंधक है । मैं ने ऐजेंसी से सरकार के पास जा कर सहायता की प्रार्थना करने की सलाह दी थी । उन्होंने ऐसा नहीं किया । समाचार ऐजेंसियों के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूंगा ।

अब मैं पृष्ठों के अनुसार समाचारपत्रों के मूल्य पर आता हूं । जब इस पर पत्रों से सुझाव मांगे गये तो किसी ने भी स्पष्ट रूप से इस का विरोध नहीं किया । प्रादेशिक भाषाओं के पत्रों ने एक मत हो कर इस का समर्थन किया अथवा कोई निश्चित राय व्यक्त नहीं की । हम ने इस प्रश्न पर विचार किया तो ज्ञात हुआ कि हमारे देश में इस का एक

[श्री टी० एन० सिंह]

पूर्व उदाहरण है। महायुद्ध के दौरान पृष्ठों के अनुसार पत्रों के मूल्य की एक अनुसूची थी जिस का बहुत अच्छा परिणाम निकला और जिस के कारण अन्य पत्र भी समृद्ध हुए। आज हमारे प्रादेशिक भाषा के समाचारपत्रों की बड़ी दुर्दशा है। वे अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकते। वे समाचार पत्र के कागज पर समाचार नहीं छाप सकते क्योंकि वह मंहगा होता है। ऐसी अवस्था में वे किस प्रकार इन पुराने तथा विदेशी भाषा के पत्रों की प्रतियोगिता में उतर सकते हैं। जब तक हम उन्हें कोई सहायता या रियायतें नहीं देंगे यह किस प्रकार संभव हो सकता है।

हम ने इस सब का हिसाब लगाया है, यद्यपि हम में से सभी सदस्यों को टेकनीकल ज्ञान नहीं था। यदि यह सच है कि प्रत्येक समाचार-पत्र के पृष्ठों का एक निश्चित मूल्य होता है तब भला केवल प्रतियोगियों को पछाड़ने के लिये उससे आधे मूल्य में समाचार-पत्र बेचना कहां तक न्यायोचित है। तत्पश्चात् जब सारे प्रतियोगी पत्र हट जाते हैं तो समाचार-पत्र का मूल्य एक दम बढ़ा दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि पाठक को जिस के नाम से यह सब किया जाता है हानि उठानी पड़ती है। किन्तु मुझे विश्वास है कि हमारे पाठकों की प्रेस स्वातन्त्र्य की भावना इतनी ऊंची और सच्ची है कि वह समाचारपत्रों को कुछ एक व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित करने से एक या आधी पाई अधिक व्यय करना अधिक पसन्द करेंगे। इसलिये मैं चाहूंगा कि प्रेस आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह क्रियान्वित किया जाये।

जब पृष्ठों के अनुसार पत्र के मूल्य के प्रस्ताव का ज़ोरदार विरोध होने लगा तो मेरी समझ में नहीं आया कि इस का क्या कारण हो सकता है। उन्होंने अपनी आशंकायें व्यक्त करते हुये कहा कि हम इसे स्वीकार करने को प्रस्तुत हैं लेकिन प्रादेशिक भाषाओं के पत्र समाप्त हो जायेंगे आश्चर्य की बात थी कि यकायक भारतीय भाषाओं के पत्रों से कैसे सहानुभूति पैदा हो गई। अन्त में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पृष्ठों के अनसार समाचारपत्रों का मूल्य निश्चित करने के सुझाव के क्रियान्वित न होने से श्रमिकों तथा पत्रकारों को ऐच्छिक वेतन नहीं मिल सकेगा, क्योंकि उनके पास उपयुक्त राशि नहीं होगी। इस प्रकार प्रेस आयोग की सारी सिफारिशों की कमर टूट जायेगी। इस लिये मेरा निवेदन है कि पृष्ठों के अनुसार पत्रों का मूल्य निश्चित करने का सिफारिश जिस पर कि आयोग की कई सिफारिशें आधारित हैं, तथा श्रम जीवी पत्रकारों से सम्बन्ध रखने वाली अन्य सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाये। अन्यथा श्रमजीवी पत्रकारों की अवस्था में सुधार नहीं हो सकता न ही समाचार पत्रों की प्रगति हो सकती है।

अब मैं अखबारी कागज के प्रश्न पर विचार करूंगा। हम देखते हैं कि कुछ समाचारपत्रों के स्वामी धीरे धीरे अखबारी कागज़ के व्यापारी भी बनते जा रहे हैं। बम्बई क्रोनिकल का मामला सब को ज्ञात है। आजकल समाचार पत्र के कागज़ की कमी है। उसकी दरें ऊंची हैं और घटती बढ़ती रहती हैं। पहले कुछ विशेष व्यक्तियों को इसकी अनुज्ञप्ति दी जाती थी, किन्तु अब इस प्रणाली में परिवर्तन हो गया है और समाचार पत्रों के स्वामी अखबारी कागज़ के व्यापारी बन बैठे हैं। इस का जन्म अनुज्ञप्ति प्रणाली से हुआ और जब हम ने वह प्रणाली तोड़ दी तो वे अखबार के कागज के व्यापारी बन गये। उन्हों ने दूसरे अखबारों को बन्द करने की कोशिश

की। हमने इस बात की कोशिश की कि सभी लोगों को समान रूप से अखबार का कागज़ मिले इसलिए हमने एक राज्य व्यापार संगठन बनाने की बात सोची है। मैं समझता हूं कि इससे यह कठिनाई दूर ही हो जायेगी।

हमने ज़िले के अखबारों के लिए सस्ती समाचार सेवा का भी सुझाव दिया है।

अब प्रेस परिषद् की बात लीजिये। मैं प्रेस परिषद् को आवश्यक समझता हूं और इस के बिना पत्रकारिता को बहुत खतरा रहेगा। आज पत्रकार लोग भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा इस परिषद् में की गई नियुक्तियों का विरोध कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, उनका न्यायपालिका के प्रति अटूट विश्वास कैसे समाप्त हो गया। और इसी कारण वह प्रेस परिषद् का विरोध करते हैं। वह अपने अधिकार का कोई नियमन नहीं चाहते पर मैं समझता हूं कि प्रेस परिषद् का होना आवश्यक है।

अब प्रश्न यह है कि एक संविहित परिषद् हो या पत्रकारों का एक ऐच्छिक सहकारी संगठन हो। लोगों का मत यही है कि संविहित अधिकारों के बिना प्रेस परिषद् ठीक प्रकार चल नहीं सकती। मैं नहीं समझता कि वे लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि हमें अपने मार्ग से विचिलित नहीं होना चाहिए।

हमें उन स्वार्थी दलों की बात या उनका सुझाव नहीं मानना चाहिए। वह पत्रकारिता के स्तर को गिरा कर भी अपने पत्र की बिक्री बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या हमें ऐसे लोगों का परामर्श मानना चाहिए।

मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि प्रेस आयोग ने सभी व्योरों की छान बीन की है और तब इस निश्चय पर पहुंचा है।

पृष्ठों की संख्या के आधार पर अखबारों की मूल्य सूची के सम्बन्ध में हम ने कम से कम और अधिक-से-अधिक मूल्य का सुझाव दिया है। कोई निश्चित सूची उस समय इसलिये नहीं दी जा सकी कि प्रतिवेदन की सिफारिशों को न जाने कब कार्यान्वित किया जायेगा और अखबारों के कागज का दाम भी उस समय कैसा रहेगा, दूसरे इस समय के लिये सरकार को सम्बन्धित पक्षों से परामर्श भी करना चाहिये।

वैसे तो पृष्ठों की संख्या के अनुसार अखबारों की मूल्य सूची बनाई जा सकती है और इस कार्य के लिये मैं आवश्यक परामर्श देने के लिये सदैव तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डी० सी० शर्मा, माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं आयोग के सेक्रेटरी श्री एम० एल० चावला को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह प्रतिवेदन कुछ हद तक उन्हीं के कठिन परिश्रम का फल है।

यह प्रतिवेदन एक न्यायिक दस्तावेज है। देश में सब लोगों ने अधिकतर इसे पसन्द किया है। कांग्रेस दल ने भी इसे स्वीकार कर लिया है और आशा है लोक-सभा भी इसे स्वीकार करेगी। हमें यह देखना है कि हम अपने देश के प्रजातन्त्र की उन्नति के लिये क्या करने जा रहे हैं।

अखबार पढ़ने की रुचि मुझे सदा से रही है। 'बन्देमातरम्" और "पीपुल" नामक अखबारों से हमारी पत्रकारिता के स्तर का पता लगता है 'न्यू स्टेट्समैन एण्ड नेशन" भी मैं करीब करीब निमित्त रूप से पढ़ता हूं। आज हमारे देश में पत्रकारिता की दशा बहुत खराब है क्योंकि उस में ज्ञानार्जन प्रवृत्ति का पूर्ण अभाव है। यद्यपि हम इस त्रुटि को समाप्त करना चाहते हैं पर उक्त विचारधारा के समर्थक पूंजीपतियों ने देशके अखबार उद्योग पर ऐसा जाल बिछा रखा है कि कुछ भी कर सकना कठिन है।

[श्री डी० सी० शर्मा]

मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो कही जा चुकी हैं। बताया जा चुका है कि हमारे देश में केवल ७ प्रतिशत जनता अखबार पढ़ती है। पर यदि देश में शिक्षा बढ़ जाये तो भी हमारे अखबार जनता तक पहुंच नहीं पायेंगे क्योंकि इन में ऐसी बातें छपती हैं जो हमारे उपयोग की नहीं होती। जिन अखबारों की हम प्रशंसा करते आये हैं उन की नीति कभी तो सरकार की चापलूसी करना और कभी उस की निन्दा करना है। अतः हम एक स्वस्थ प्रजातन्त्र का निर्माण इन अखबारों के सहारे नहीं कर सकते। मैं अखबारों के छोटे उद्योग और छोटे व्यक्तियों के पक्ष में हूं क्योंकि वे सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। छोटे छोटे व्यक्तियों का अभिप्राय श्रम जीवी पत्रकारों से है। यह उन के खून-पसीने का नतीजा है कि हमें रोज अखबार पढ़ने को मिलता है। उन की स्थिति अच्छी नहीं है। अतः प्रेस आयोग ने उन की दशा को सुधारने के लिये जो सिफारिशें की हैं उन को अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिये। मैं जानता हूं कि उन की हालत और अधिक खराब करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। पर मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वह इस बात का ध्यान रखें कि कम-से-कम उन को जो दिया गया है वह न छीना जाये।

प्रजातन्त्र के लिये छोटे छोटे अखबार जो ईमानदार, निर्भय और स्वतन्त्र हों, अधिक उपयोगी हो सकते हैं ? भारत के विभाजन के पूर्व जिलों में कई अखबार निकला करते थे पर आज इस प्रकार स्थानीय अखबार बिल्कुल नहीं निकलते। अपने देश के मतदाताओं साधारण नागरिकों के बारे में जानने के लिये हमें ऐसे अखबार निकालने चाहियें। प्रादेशिक भाषाओं के अच्छे अखबार जो निष्पक्ष और ईमानदार होते हैं, उन्नति नहीं कर पाते। अतः मैं कहता हूं कि छोट छोटे उद्योगों की ही भांति छोटे छोटे अखबारों की भी रक्षा की जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि पृष्ठों की संख्या के अनुसार अखबारों की मूल्य सूची के द्वारा इस सम्बन्ध में काफी सहायता मिल सकती है।

लोगों ने बताया कि प्रेस के कर्मचारियों में बहुत असंतोष है। पर अब लोगों ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

एक और बात समाचार ऐजसियों की है। भारत में उन की स्थिति बहुत खराब है। हमें हर सूरत में इन की रक्षा करनी चाहिये। क्योंकि यदि समाचारों को तोड़ मरोड़ कर या बिगाड़ कर दिया जाता है तो सारा मामला बिगड़ जाता है। हमारे देश में प्रेसों के बड़े बड़े पूंजीपति स्वामियों की संख्या वैसे ही बहुत थोड़ी है और इस प्रतिवेदन से उन की महत्वाकांक्षाओं को और भी समाप्त कर दिया गया है।

यदि हमारे देश की समाचार ऐजेंसियां अन्य देशों की समाचार ऐजेंसियों की तरह काम नहीं करतीं तो हमें एक निगम बनाना पड़ेगा। हमारे अखबार और हमारी समाचार ऐजेंसियां तो बड़े बड़े व्यापारियों के प्रचार के साधन हैं। कौन जाने पी० टी० आई० भी किसी दिन इस रास्ते पर चलने लगे। इसीलिये मैं कहता हूं कि यदि हम चाहते हैं कि हमें विश्वसनीय और ठीक समाचार मिलें तो हमें प्रेस आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर के एक निगम बनाना चाहिये। तभी हमें अखबार के लिये निष्पक्ष और ठीक समाचार मिलेंगे।

इस सभा में कई बार कहा गया है कि हम अन्य देशों की नकल करते हैं। पर यह प्रतिवेदन हमारा अपना है, हमारे देश के लोगों का बनाया हुआ है। इस में कोई आश्चर्य की या प्रश्नवाचक बात नहीं है, यह तो एक सीधा सादा प्रश्न है और सरकार को चाहिये वह इसे शीघ्र-से-शीघ्र कार्यान्वित करे क्योंकि

आज देश को वाद विवाद की नहीं, काम की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि इन सिफारिशों को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जायेगा ।

श्री तिम्मय्या (कोलार–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : जब यह आयोग नियुक्त किया गया था तो मैं ने उस का स्वागत किया था और आज उस के इस प्रतिवेदन का स्वागत करता हूं। जांच के दौरान आयोग को कई आश्चर्य-जनक बातों का पता लगा। कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का पता लगा जो एकाधिपत्य और केन्द्रीकरण कर रही हैं। और यह प्रवृत्तियां समाज के समाजवादी ढांचे के लिये बिल्कुल ही अनुपयुक्त हैं। आज हमारा अखबार उद्योग कोई व्यक्तिगत या सहकारी उपक्रम नहीं है। यह तो एक बड़ा व्यवसाय है और बड़े बड़े व्यवसायों के स्वामी ही इन की नीति निर्धारित करते हैं। आज हमारे देश के छोटे छोटे अखबारों को बड़े बड़े अखबारों ने कुचल रखा है। प्रतिवेदन में हम देख चुके हैं कि बड़े बड़े अखबारों का स्वामी विज्ञापकों और समाचार ऐजंटों को किस प्रकार ठगते हैं। इन्हीं कारणों से १९५२ के आरम्भ से ही, जब से पृष्ठों की संख्या के अनुसार अखबारों का मूल्य निर्धारित करने की प्रथा हटाई गई, छोटे छोटे अखबार बन्द हो गये। इसी बात को ध्यान में रख कर प्रेस आयोग ने पृष्ठों की संख्या के अनुसार अखबारों का मूल्य निर्धारित करने की प्रथा को फिर से चलाने की सिफारिश की है। इस के लागू हो जाने से छोटे छोटे और मध्यम दर्जे के अखबार फिर से चल निकलेंगे और श्रमजीवी पत्रकारों की दशा में भी सुधार होगा। बड़े बड़े अखबारों के स्वामी आयोग के प्रतिवेदन को कार्यान्वित नहीं होने देना चाहते क्योंकि वह प्रेस की बिगड़ी दशा में सभी विशेषाधिकार और लाभों पर एकाधिपत्य रखना चाहते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े अखबार छोटे छोटे अखबारों के मार्ग में बाधक हैं। और यदि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित न किया गया और बड़े अखबारों की इन प्रवृत्तियों को यों ही जारी रहने दिया तो देश में छोटे छोटे अखबार कभी भी पनप नहीं सकते ।

श्रमजीवी पत्रकार इस उद्योग की रीढ़ की हड्डी हैं। प्रतिवेदन में बताया गया है कि श्रमजीवी पत्रकारों को न नियुक्तिपत्र दिया जाता है और न उन्हें नौकरी से अलग करने की कोई पूर्व सूचना ही दी जाती है, उन की छुट्टी, वेतन, और अवकाश ग्रहण करने के सम्बन्ध में कोई भी नियम नहीं हैं। आयोग ने इन की स्थिति का सुधार करने के लिये ही सिफारिशें की हैं। ये ही लोग जनमत का निर्माण करते हैं और जनता को उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं अतः समाज के समाजवादी ढांचे के निर्माण के लिये जब तक इन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जाता, श्रमजीवी पत्रकार उत्साह से काम नहीं कर सकेगा और यह उद्योग रसातल को चला जायेगा इन सिफारिशों को स्वीकार करने या कार्यान्वित कर के हम उन के साथ कोई अहसान नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्हें उन का हक दे रहे हैं ।

आज यह बड़े बड़े अखबार केवल अपना स्वार्थ ही पूरा नहीं कर रहे हैं बल्कि जनता का बहुत नुकसान भी कर रहे हैं। कुछ अखबारों के स्वामी किन्हीं मंत्रियों से आज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति पाने की इच्छा रखते हैं और उस में असफल होने पर मंत्री तथा सरकार की नीति की उल्टी सीधी आलोचना करके जनता को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। इस प्रकार वे प्रेस की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करते हैं। प्रेस आयोग ने इन सारी बातों की छान बीन कर के कुछ सिफारिशें की हैं। यदि सरकार इन्हें कार्यान्वित करेगी तो इस से कोई हानि होने का डर नहीं है ।

[श्री तिम्म्या]

एक बात ध्यान देने योग्य है कि विज्ञापनों के प्रभाव से अखबारों में खबरें कम आती हैं। कई अखबारों में ५० प्रतिशत स्थान में विज्ञापन ही रहता है और समाचारों के लिये मुश्किल से कोई स्तम्भ होता है। समाचार भी ऐसे छापे जाते हैं जिन का कोई महत्व नहीं होता। हमारे राज्य में एक अखबार है जो केवल वर्ग पहेली ही छापता है, उस में अन्य समाचार होते ही नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी चीजों को समाप्त करने के लिये सरकार को आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री टेकचन्द।

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : कृपया इधर की ओर भी देखें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को बोलने का अवसर सोमवार को दिया जायेगा।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं ने अपने संशोधन नहीं रखे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री टेकचन्द के बाद मैं श्री कामत को बुलाऊंगा।

श्री टेक चन्द (अम्बाला–शिमला) : मैं प्रेस आयोग के सदस्यों की प्रशंसा करता हूं क्योंकि प्रेस से सम्बन्धित सभी मामलों पर, चाहे वे छोटे हों या बड़े, अच्छे हों या बुरे, आयोग के सदस्यों ने अच्छी तरह विचार किया है।

प्रेस एक बहुत बड़ी शक्ति है। स्वतन्त्रता के संघर्ष में बड़े बड़े पत्रकारों ने जो सेवायें कीं वे सराहनीय हैं। पर पत्रकारों को स्तर से नीचे गिरते देख कर मुझे क्रोध आता है।

यह पत्रकार कई बार बहुत हानि भी करते हैं। कई बार कई समुदायों में प्रतिद्वन्द्वी गुट पैदा कर के उन में फूट डालने का प्रयत्न भी करते हैं। हमारे गांवों या कस्बों के लोग आसानी से अखबारों की बातों का बिल्कुल सही मान लेते हैं अतः हमारे हिन्दी और उर्दू के अखबारों का उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि गांवों और कस्बों की जनता ज्यादातर हिन्दी और उर्दू के अखबार ही पढ़ती है।

पत्रकारिता भी डाक्टरी और वकालत कासा एक पेशा है। डाक्टरों और वकीलों की परिषदें होती हैं और वे उन के आचरण संबंधी कुछ नियम भी बनाती हैं। पर खेद की बात है कि पत्रकारों की न कोई परिषद् है और न उन के आचरण सम्बन्धी कोई नियम हैं। अतः एक अखिल भारतीय प्रेस परिषद् बनाने का सुझाव बिल्कुल ठीक है। ताकि जब कभी भी कोई पत्रकार कोई अनुचित आचरण करे तो परिषद् उसे रोक सके और उसे उचित-अनुचित का ज्ञान करा सके।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने विज्ञापनों के संबंध में कहा। विज्ञापन के लिये कुछ स्थान निर्धारित करना कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। पर जहां तक विज्ञापनों के प्रकार का प्रश्न है, उन में स्पष्ट अन्तर होना चाहिये। बहुत से अखबारों में भद्दे, अश्लील और कामोत्तेज विज्ञापन छपते हैं। कभी कभी असाध्य रोगों की दवाओं, यंत्रों और जादू की अंगूठी आदि के विज्ञापन भी छापे जाते हैं। स्पष्ट है कि इन अखबारों की नैतिकता का कोई स्तर नहीं है। समाचार संवाददाता का कार्य बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण है और अखबारों को एकांगी या एक पक्षीय बात को न छापना चाहिये। उन्हें पूर्ण स्थिति का अच्छा अध्ययन कर के स्थिति का ठीक विश्लेषण करना चाहिये।

सत्य को छिपाना अच्छी बात नहीं है, पर सत्य को छिपाने के ही नहीं, बल्कि झूठी बातों का प्रचार करने के भी बहुत से अनचित कार्य हमारे अखबार करते हैं।

प्रेस विधान के सम्बन्ध में हमें एक बात कहनी है। प्रेस स्वतन्त्रता के बहुत से अर्थ

लगाये जाते हैं। और बहुधा लोगों को इस के अर्थ के सम्बन्ध में बड़ी गलत फहमी हो जाती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद १९ में प्रेस स्वतन्त्रता की स्पष्ट व्याख्या की गई है। मैं समझता हूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा १२४(क) को रद्द कर देना चाहिये।

न्यायालय की मान हानि के सम्बन्ध में भी हमें कुछ कहना है। पत्रकार लोग प्रायः इस प्रकार का अपराध किया करते हैं। यहां पर न्यायालय की मानहानि से मेरा अभिप्राय यह है कि कई बार अखबार अपराध के मामलों में न्यायालय के अधिकार को अपने हाथ में ले कर पहले से ही किसी पक्ष के सम्बन्ध में साक्ष्यों, न्यायाधीशों के दिमाग में पूर्व धारणा भर देते हैं। अभी हाल में इंग्लैंड के एक अखबार ने हत्या के एक मामले में, जिस का मुकदमा अभी न्यायालय में जाने वाला था, अभियुक्त के सम्बन्ध में झूठी सच्ची बातों का बड़ा भीषण वर्णन किया था। वहां के मुख्य न्यायाधिपति ने उस अखबार के संपादक को अदालत की मान हानि का आरोप लगा कर, १०,००० पौंड का अर्थ दण्ड और तीन महीने का कारावास दिया क्योंकि जीवन और मृत्यु के एक मामले में इस अखबार ने एक व्यक्ति को बहुत भारी हानि पहुंचाई थी।

श्री कामत : प्रधान मंत्री ने बताया कि कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा विरोध होने के बाद भी प्रेस आयोग नियुक्त किया गया। प्रेस आयोग के प्रतिवेदन से आप को पता लगेगा कि इन में से कुछ स्वार्थी लोगों का व्यवहार बाद में भी संतोषजनक नहीं रहा। अब भी प्रेस आयोग की कुछ सिफारिशों का विरोध वह लोग कर रहे हैं।

प्रेस आयोग ने भारतीय प्रेसों के सम्बन्ध में एक बात की चर्चा नहीं की है। आज हमारे देश में सरकार और प्रेसों के पूंजीपति-स्वामियों में एक अनुचित गठबन्धन हो रहा है। इस के लिये केवल प्रेसों के पूंजीपति स्वामी ही नहीं बल्कि हमारी सरकार भी उत्तरदायी है।

आज हमारे प्रेसों की जो हालत है उसे देख कर पता लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं जब कि हमारे प्रेस वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक पिछलगुआ और वैदेशिक कार्य मंत्रालय और सूचना मंत्रालय के हाथ की कठपुतली बन जायेंगे।

प्रेसों में अखबारों के कागज से ले कर श्रमजीवी पत्रकारों की स्थिति तक सभी बातों में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का बड़ा हाथ है। अखबार के कागज की जुलाई-दिसम्बर आयात नीति से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय प्रेसों पर अधिकार जमाना चाहता है।

यह बात भी सब को मालूम है कि किस प्रकार प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो से हमारे प्रेसों में अखबारों की सामग्री आती है। प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो द्वारा भेजे गये लेख चाहे वे सरकारी प्रचार सम्बन्धी क्यों न हों—अखबारों में सामान्यतया या विशेष स्वतन्त्रता दिवस अंकों में छपते हैं। पी० टी० आई० के कर्मचारियों की हड़ताल के समय प्रेस के स्वामियों या प्रेस के पूंजीपति स्वामियों या पी० टी० आई० के निदेशकों ने कहा था कि उन्हें जो कुछ करना हो करें हमारे पास अखबारों की सारी सामग्री प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो से आ जायेगी। मैं श्रमजीवी पत्रकारों को इस गड़बड़ी से सावधान करना चाहता हूं। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि अखबारों की खबरें प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो से नहीं आनी चाहियें बल्कि वे स्वयं सत्य का अन्वेषण करने के बाद निष्पक्ष और निर्भर हो कर खबरें दें।

लन्दन के टाइम्स अखबार में काफी समय पूर्व बताया गया था कि प्रेस और

[श्री कामत]

सरकार के बीच कैसा संबंध होना चाहिये। टाइम्स में बताया गया था कि प्रेस और सरकार दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं और कभी कभी विरोधी भी। वह किसी भी समय किसी भी राजनीतिज्ञ या किसी सरकार से किसी प्रकार गठबंधन नहीं कर सकता। प्रेस का सर्वप्रथम कर्तव्य उस समय की नयी और सच्ची खबरें ले कर राष्ट्र के सामने पेश करना है, जब कि राजनीतिज्ञ खबरों को चुपके से इकट्ठा करता है और छिपा कर रखता है।

प्रेसों का मुख्य कार्य समाचारों का निर्भय हो कर प्रकाशित करना है और यदि प्रेस ऐसा नहीं करता तो वह अपने कर्त्तव्य से विमुख होता है। अभी उस दिन मद्रास के वित्त मंत्री ने कहा कि प्रेसों को सरकारी मामले के संबंध में सूचना अन्य किसी साधनों से नहीं लेनी चाहिये, बल्कि अधिकृत सरकारी पत्रों से लेनी चाहिये। स्पष्ट है कि सरकार प्रेस पर अपना नियंत्रण रखना चाहती है। समाचार ऐजेन्सियों पर भी सरकार अधिकार करना चाहती है। यह प्रवृत्ति बहुत खराब है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री के विरुद्ध विरोधी दल को बहुत शिकायतें थीं पर पी० टी० आई० ने विरोधियों के वक्तव्य छापने से मना कर दिया अभी हाल में पटना में जो गोली चलाई गई थी उसे श्री जय प्रकाश नारायण ने दिनदहाड़े वध कहा है, पर 'इण्डियन नेशन' को छोड़ कर अन्य किसी समाचार ऐजेंसी या अखबार ने यह खबर नहीं छापी। यह उन के साहस का प्रमाण है।

जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में भी सरकार खबरों को दबा देती है।

कल प्रधान मंत्री ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि उन की रूस यात्रा में जो प्रेस प्रतिनिधि मंडल उन के साथ गया था उस के सदस्यों का चुनाव वैदेशिक कार्य मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया था। मुझे आश्चर्य है कि प्रेस पत्रकार संघ और संपादक संघ आदि ने कोई आपत्ति क्यों नहीं की। इस का अर्थ यह है कि वह सरकार के नियंत्रण में रहना चाहते हैं। श्रीजीवी पत्रकार संघ या पत्रकारों के अन्य किसी संघ को आपत्ति करनी चाहिये थी और कहना चाहिये था कि इस का चुनाव हम स्वयं करेंगे। इन बातों से स्पष्ट पता लगता है कि प्रेस और राजनैतिक सत्ता के साथ कैसा गन्दा गठबन्धन हो रहा है। प्रेस आयोग ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात का ध्यान रखे कि वह प्रेस के मामलों में हस्तक्षेप न करे। प्रेसों को भी सरकार से कोई गठबन्धन नहीं करना चाहिये, यदि उन्हें राष्ट्र की सेवा करनी है और अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अभी कुछ अधिक समय लेंगे ?

श्री कामत : मैं केवल ५ या १० मिन्ट और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : तो माननीय मंत्री अब अगले दिन बोलेंगे।

इस के पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २२ अगस्त, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।